खण्ड-362, अंक-5
गुरूवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1905
(24 मार्च, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 362 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	667–672
प्रेस दीर्घा खाली होने के सम्बन्ध में सूचना	673
प्रश्नोत्तर	673–726
शारदा सहायक एवं उसकी पोषक नहरों का पानी मड़हा नदी में छोड़ दिये जाने से फैजाबाद-बाराबंकी की सीमा पर बसे गांवों की फसलों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना..	727
फ्रीगंज (आगरा) में हुए अग्निकाण्ड के फलस्वरूप टिम्बर व्यापारी की हुयी क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	727
रामपुर नगर में लगी नुमाइश के अन्तर्गत जुए खाने और कार्निबल के द्वारा लाखों रुपये की लूट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	728
यू0 जी0 सी0 वेतनमान न दिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के पुस्तकाध्यक्षों द्वारा दिये जा रहे धरने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	728
ग्राम बेल्हना थाना रोहनियाँ (वाराणसी) निवासी हरिजनों पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये हमले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	729
सकोती टांडा शुगर मिल, (मेरठ) के बन्द रहने से किसानों के समक्ष उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	729
शारदा सहायक पोषक नहर में कई महीनों से पानी न मिलने के कारण महोना (लखनऊ) में सूख रही फसलों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	730
लहरपुर (सीतापुर) में सीपेज की समस्या के सम्बन्ध में अनशन पर बैठे संसद सदस्य श्री राम लाल राही की मरणासन्न अवस्था के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	730–732
विधान परिषद् द्वारा श्री राम यश सिंह विधायक को विशेषाधिकार की अवहेलना का दोषी पाये जाने के निर्णय के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	732–733
23 मार्च, 1983 को श्री हरगोविन्द वर्मा तथा जमुना प्रसाद के सदन से निलम्बन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	
सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना ..	734
23 मार्च, 1983 को श्री हरगोविन्द वर्मा तथा श्री जमुना प्रसाद के सदन से निलम्बन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)..	735
सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	735–736

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुर:स्थापित किये जाने पर आपत्ति	..	737–746
दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने वालों को गार्डों द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	747
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	747–756
वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 34-पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 35-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 38-मत्स्य विभाग तथा अनुदान संख्या 46-वन विभाग (स्वीकृत)	..	756–779
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	779
मुजफ्फरनगर के ग्राम जीवनीपुर आदि में जोत की जमीन गंगा नहर बैराज में डूब जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	779–781
मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा लखनऊ मेडिकल कालेज की एम0 डी0 डिग्री की मान्यता रद्द किये जाने एवं एम0 बी0 बी0 एस0 की डिग्री को रद्द करने की चेतावनी दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	782–784
गोरखपुर में विधायक श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	784–787
असरकारी संकल्प देने का समय निकल जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	788
वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में भूतपूर्व डी0 एफ0 ओ0 द्वारा अनशन किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	789–791
जनपद जालौन में स्थानीय निकायों के प्रशासक द्वारा ग्रामवासियों पर टैक्स की वृद्धि के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	792–798
आज दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना के सम्बन्ध में कार्यवाही	..	798–800
केन्द्र सरकार के प्रदेश सरकार से मण्डल आयोग की संस्तुतियों को लागू करने सम्बन्धी पत्र व्यवहार विषयक दि0 11 मार्च, 1983 को पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 (नत्थी 'ग') के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	..	800–806
नत्थियां	..	807–812

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार दिनांक 24 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म-सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 376

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (ललू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी, (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० बी० थाइस, श्री (नाम निर्देशित) (आग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर सिंह, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)

कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री ('वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री, (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गोतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तोखेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)

नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फरारे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
वंशीधर, श्री (रामपुर)
वंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शवरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)

मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अवसार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद नवी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर, (फर्रुखाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राज पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
रामकुमार सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुंवर भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद) (उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
ललई सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)

लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार , श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)

हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रेस दीर्घा खाली होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, पहले आप यह देखें कि आज प्रेस दीर्घा में कोई प्रेस प्रतिनिधि नहीं है। कल मान्यवर, मारपीट हुई है अमृत प्रभात के दफ्तर में कांग्रेस के कुछ गुण्डे घुस गये और मारपीट की। जिसके कारण आज सदन के अन्दर कोई प्रेस वाला नहीं आया है। मान्यवर, यह गम्भीर समस्या है---

(तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, आज पहले आप इस गम्भीर समस्या की ओर देखें।

श्री अध्यक्ष---

आप हमें प्रश्नों को लेने दें। प्रश्नों के समय के बाद इसे लिया जा सकता है। अभी मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। प्रश्नों के बाद में विचार करूंगा।

श्री मुख्तार अनीस---

कल भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के यहां दावत थी, उसमें मुख्य मंत्री मौजूद रहे, सारे अखबार वाले मुख्य मंत्री के पास गये यह कहने के लिये कि पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, परन्तु---

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी आज्ञा इस समय नहीं दे रहा हूं, जो कुछ कहना है प्रश्नों के समय के बाद आप कहें।

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, 24 मार्च, 1983 ई0

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ग्राम सभा चिउटहा, जनपद बस्ती के श्री जलालुद्दीन, जनस्वास्थ्य-रक्षक के विरुद्ध शिकायतों की जाँच

श्री विजय सिंह (अनुपस्थिति)---

*1 क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कपा करेंगे कि प्रा0स्वा0 केन्द्र खेसरहा, जिला बस्ती के डाक्टर ने ग्राम सभा चिउटहा के ग्राम प्रधान के लड़के डा0 जलालुद्दीन, जो अपनी प्राइवेट दवा की दुकान चला रहे हैं, को जन-स्वास्थ्य रक्षक के रूप में नियुक्त किया है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दवाओं को ग्रामवासियों से काफी पैसा लेकर देते हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर फर्जी हस्ताक्षर युक्त कागजात प्रस्तुत करते हैं ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में ग्राम सभा चिउटहा, की जनता द्वारा रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र दिनांक 18-8-82 एवं 2-11-82 को क्रमश: नम्बर 1955 व 224 को मुख्य चिकित्साधिकारी,

बस्ती एवं मा0 स्वास्थ्य मन्त्री को दिनांक 1-8-82 को रजि0 पत्र सं0 1956 तथा मा0 मुख्य मन्त्री को दनांक 2-11-82 को रजि0 पत्र सं0 223 भेजा गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेसरहा, जिला बस्ती की ग्राम सभा चिउटहा के ग्राम प्रधान के पुत्र जलालुद्दीन वर्ष 1979-80 से जन स्वास्थ्य रक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इनके विरुद्ध शिकायतों की जाँच हो रही है।

(बृहस्पतिवार, 24 मार्च, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न)

*1 श्री राम आसरे वर्मा--

--(माननीय सदस्य ने वापस ले लिया)

मेसर्स विष्णु आटोमोबाइल्स झांसी के रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण एवं श्री सुभाषचन्द्र बब्बर तथा श्रीमती राजकरन बब्बर के नाम दिया गया नवीन लाइसेन्स

श्री रियासत हुसैन---

*2 क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विष्णु आटोमोबाईल ग्वालियर रोड, झांसी का लाइसेन्स तथा रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र गम्भीर आरोपों के कारण जिलाधीश, झांसी द्वारा दिनांक 26-2-82 को निरस्त किया गया ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जिलापूर्ति अधिकारी, झांसी द्वारा निरस्त लाइसेन्स का बिना किसी आधार व प्रमाण के दि0 21-4-81 को श्री सुभाष बब्बर तथा श्रीमती राजकरन बब्बर के नाम जो कभी लाइसेन्स होल्डर नहीं रही, नवीनीकरण किया गया ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)---

मेसर्स विष्णु आटोमोबाइल्स झांसी का केवल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र "ख", जो आबकारी विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा एल्कोहल विक्रय या क्रय कराधान नियमावली 1977 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा दिया जाता है, जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 1981 को निरस्त किया गया था।

निरस्त किये गये उक्त रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का कोई नवीनीकरण दिनांक 21 अप्रैल, 1981 को जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। जिलापूर्ति अधिकारी ने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल आयल और लाइट डीजल आयल (सम्भरण बनाये रखना और वितरण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत श्री सुभाष चन्द्र बब्बर के आवेदन पत्र पर, जिसमें श्रीमती राजकरन बब्बर को भागीदार दिखाया गया था, लाइसेन्स दिनांक 21-4-81 को दिया था।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, प्रश्न बहुत स्पष्ट है, इसमें आड़ यह पकड़ी गयी है कि वह एक्साईज डिपार्टमेन्ट से निरस्त हुआ था और यह फूड डिपार्टमेन्ट ने दिया है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिसका लाईसेन्स निरस्त हुआ और जिसको दुबारा दिया गया यह दोनों क्या एक ही शख्स हैं या एक दूसरे के पार्टनर हैं ?

श्री वासुदेव सिंह---

आप सही समझ रहे हैं, वही है।

श्री रियासत हुसैन---

वह जिलाधिकारी द्वारा निरस्त हुआ था और फिर जिलाधिकारी के द्वारा ही दिया गया । क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि एक ही शख्स को जिसको कि सरकार ने पैनलाईज किया और लाईसेन्स निरस्त कर दिया, क्या उसी शख्स को उसी जिलाधिकारी के द्वारा दूसरे डिपार्टमेन्ट की आड़ ले कर लाईसेन्स दुबारा दे दिया गया ? यह अनुचित है, इस संबंध में क्या माननीय मंत्री जी आप जांच कराकर कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह---

जी हां, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं, इसकी जांच करा कर कार्यवाही करेंगे ।

*3 श्रीमती गौरी देवी---

---(दिनांक 3-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 131 द्वारा उत्तरित)

श्रीमती रेखा मानवानी की महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी में मृत्यु

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

*4 क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी के अस्पताल में 7 जुलाई, 1982 को इमरजेंसी वार्ड नं0 123 के पलंग नं0 18 पर भर्ती श्रीमती रेखा मानवानी की 13 जुलाई, 1982 को मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई ? क्या यह सत्य है कि श्रीमती रेखा मानवानी की चिकित्सा में घोर उपेक्षा की गयी ? यदि हां, तो शासन द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)---

जी हां । श्रीमती रेखा मानवानी को इस मेडिकल कालेज के अस्पताल में दिनांक 6-7-1982 को गम्भीर हालत में भर्ती किया गया था और दिनांक 13-7-1982 को प्रात: 8.50 बजे उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कार्डियक रेस्पीरेटरी फेल्योर के कारण हुई ।

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मंत्री जी यह तो साधारण व्यक्ति जानता है कि दिल और श्वास के रुकने से मृत्यु हो जाती है । मैं जानना चाहता हूँ कि गम्भीर हालत में मरीज 6-7-1982 को भरती हुआ था उसकी हालत गम्भीर थी । 17 दिन महिला अस्पताल में रही उसके बाद मृत्यु हुई। 6 दिन में उसकी बीमारी क्या थी । इसकी डाइगनोस डाक्टरों ने किया था, तो वह क्या थी और उसके अनुसार इलाज उसका हुआ और कौन डाक्टर जिम्मेदार थी इस बीमारी के निदान के लिये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

बीमारी उनको यह थी कि प्राइवेट नर्सिंग होम में एबार्शन कराने का प्रयास किया था और एबार्शन उनका क्लियर नहीं हुआ । अस्पताल में दाखिल होने के 10-5 दिन पहले से रक्त-स्राव होता रहा ।

(हँसी)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

आप जानकारी दे रहे हैं सदन में लेकिन मेरी जो जानकारी है, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। समाचार-पत्रों ने और वहाँ की स्थानीय जनता ने इस संबंध में कई पत्र लिखे हैं और आपने सहायक निदेशक, चिकित्सा से इसकी जांच करायी। तो मैं आश्वासन चाहता हूँ कि जो जांच करायी और जांच अधिकारी ने जो संस्तुति की, क्या उसके हिसाब से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जांच करायी, उसी में जांच हुई और पूरा इलाज उस महिला का, डाक्टरी नियमों, परम्पराओं के अनुसार जो होता है, हुआ। जो भी इलाज हो सकता था हुआ और सेप्टिक की बीमारी थी, इन्फेक्शन की वजह से रिवाइव किया, फिर गिर गई और वह मर गयी।

विलासपुर एवं केमरी, जनपद रामपुर एवं अन्य जनपदों में कतिपय चावल मिलों में माफ की गई लेवी के विषयन सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कथित जांच

श्री मोहन सिंह—

*5 क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विलासपुर एवं केमरी (जनपद रामपुर) की क्रमशः 3 एवं 1 तथा प्रदेश के कुछ अन्य जनपदों के कतिपय चावल मिलों के वर्ष 1978-79 के बकाया लेवी के परोक्ष माफी एवं वर्ष 1980, 1981 के लेवी की प्रत्यक्ष माफी से सम्बन्धित तत्कालीन खाद्य सचिव के आदेश के बारे में प्रदेश के सतर्कता अधिष्ठान द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच की जा रही थी ? क्या सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी नहीं, सतर्कता अधिष्ठान द्वारा ऐसी कोई जांच नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहन सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार कुछ खास चावल को, जिनसे लेवी का चावल लेना था, तत्कालीन खाद्य सचिव ने माफ कर दिया था, इस पर कुछ विधायकों के शिकायती पत्र भी प्राप्त हुए कि इसमें उन्होंने लम्बी रिश्वत दी थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र मिला ? यदि हां, तो उसकी जांच न कराने का क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय मोहन सिंह नया प्रश्न कर रहे हैं। उसका अलग से उत्तर दिया जा सकता है। मैंने कई अवसरों पर इसका उत्तर दे दिया है, लेकिन यहां पर आज यह पूछा है कि क्या सतर्कता अधिष्ठान से किसी प्रकार की जांच की जा रही है। मैंने उत्तर दिया कि कोई जांच नहीं करायी जा रही है। जो स्थिति है अगर मोहन सिंह जी मेरे पास आ जाये तो मैं उन्हें बता दूं। वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 की पूरी लिस्ट मेरे पास है। उसमें इस बात का पूरा विवरण है कि कितना बकाया है और कितना वसूल हुआ है। 1978-79

का कोई भी बकाया नहीं है। एक का 97 कुन्तल था जो देय है। इस प्रकार मेरे पास पूरा विवरण है। जांच की बात हमारे समक्ष न है और न थी।

बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में शार्ट सर्किट के कारण आगजनी की घटना

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

*6 क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ में स्थित बलरामपुर अस्पताल में हार्ट यूनिट के अन्दर दि0 25-11-82 में भयंकर आग लग गयी जिसमें कई रोगी भागने में घायल हो गये? यदि हां, तो इस दुर्घटना के लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी?

श्री हरि सिंह---

दिनांक 25-11-82 को बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में बिजली के तारों में शार्ट सर्किट (तार जुड़ जाने) के कारण न्यू ब्लाक के एक बिजली मीटर से धुवाँ निकलने लगा था जिस पर तुरन्त काबू पा लिया गया। इसमें कोई भी रोगी घायल नहीं हुआ। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मान्यवर, मैं उस दिन अपनी पत्नी को लेकर हार्ट यूनिट में गया था, इ0 सी0 जी0 कराने गया था, बिजली के धुंए से वहां पर इतना अंधकार हो गया कि लोग भागने लगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उसी स्थान पर और भी पहले आग लग चुकी है?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

प्रश्न मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष---

पूछ रहे हैं कि क्या इससे भी पहले आग लगी।

श्री लोकपति त्रिपाठी---

ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

बिजली के मेन्टीनेन्स के लिए क्या वहां पर कोई बिजली अधिकारी रहता है, काफी देर तक धुआं भरा रहा। मैं देख रहा था कि लोग घुटने के बल भाग रहे थे।

श्री अध्यक्ष---

जब आपको सारी जानकारी है तो प्रश्न क्यों कर रहे हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

श्रीमन्, बिजली विभाग नहीं, स्वास्थ्य विभाग इसकी देख-रेख करता है।

नगरपालिका फैजाबाद की सीमा पर स्थित कतिपय गांवों हेतु पेयजल आपूर्ति की कथित व्यवस्था

डा0 विनोद कुमार तिवारी---

*7 क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि शासन की तरफ से फैजाबाद नगर-पालिका की सीमा पर स्थित खोजनपुर, मुदहा पहाड़गंज और घोसियाना गांवों को लालबाग

की पानी की टंकी से पीने का पानी देने का आदेश दिया गया था और इस सम्बन्ध में नगर-पालिका, फैजाबाद को जिला परिषद फैजाबाद से सहमति भी प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस योजना को लागू कराने की व्यवस्था करेगी ?

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

जी नहीं।

खोजनपुर, मुदहा, पहाड़गंज और घोसियाना गाँव नगर पालिका फैजाबाद की सीमा पर स्थित हैं परन्तु, यह सभी गाँव जिला परिषद क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में पाइप लाइन अपने व्यय पर बिछाये जाने के लिये जिला परिषद् को नगर पालिका, फैजाबाद द्वारा प्रस्ताव किया गया था परन्तु, जिला परिषद् फैजाबाद ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी है।

नगरपालिका फैजाबाद के नजूल प्लाट पर अवैध रूप से कुष्ट रोगी सेवा समिति की स्थापना, कुष्ट रोगियों के उपचार हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही

श्री रामधनी--

*8 क्या नगर विकास मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन के ठीक दक्षिण फैजाबाद नगरपालिका के एक बड़े नजूल प्लाट पर कुछ व्यक्तियों ने जबरदस्ती कुष्ट आश्रम की स्थापना कर रखी है और वे कुष्ट रोगियों से फैजाबाद अयोध्या रेलवे स्टेशनों बस स्टैंडों तथा शहर में अपने आदमियों की देखरेख में भीख मंगवाते हैं तथा उस धन का अधिकांश भाग स्वयं हड़प लेते हैं ? यदि हां, तो कुष्ट रोग के फैलने की इस खुली छूट से जन साधारण को बचाने के लिए विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हाँ, कुष्ट रोगियों ने कुष्ट रोगी सेवा समिति की स्थापना करके नजूल गाटा सं0 4562 स्थित मोहल्ला सिविल लाइन फैजाबाद के 2 बीघा 10 विस्वाँ क्षेत्रफल पर अनाधिकृत रूप से आवासीय मकान बना लिए हैं। इनमें से कुछ कुष्ट रोगी भीख माँगने के लिए स्वयं ही नगर में यदा-कदा चले जाते हैं। इनसे जबरदस्ती भीख मँगवाने तथा उनसे धन वसूलने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन कुष्ट रोगियों में से 90% रोग नियंत्रित हैं, जिनसे रोग फैलने की संभावना नहीं है। इन्हें पिछले कई वर्षों से दवा वितरित की जा रही है। इन कुष्ट रोगियों में से कुछ संक्रामक भी हैं। ऐसे कुष्ट रोगियों की देखरेख व उपचार चिकित्सा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

श्री रामधनी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है नजूल जमीन गाटा नं0 4562 में अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिये हैं और मकान बना लिये हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उस अनधिकृत बनाये हुए मकान को विधिवत एलाटमेन्ट करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना--

मान्यवर, अभी यह अदालत में है। उन्होंने समिति बना ली, अदालत चले गये और स्टे ले लिया।

श्री गोपीनाथ वर्मा---

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में जानना चाहता हूं कि जिस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है : उस पर मा0 मंत्री जी को आपत्ति है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

न्यायालय में है।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि शासन को आपत्ति है या नहीं। अगर आपत्ति है तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामसिंह खन्ना---

आपत्ति हुई इसलिये हटाने की कार्यवाही की गयी। रजिस्टर्ड सोसाइटी है। उन्होंने केस दायर कर दिया। स्टे मिल गया।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मान्यवर आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो कुष्ट रोगियों ने भवन बना लिये वह किस प्रकार के हैं। कच्चे हैं, पक्के हैं, झोपड़ी वाले हैं। भवन किस प्रकार के हैं बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना---

जैसे गरीबों के होते हैं।

फर्रुखाबाद अस्थायी प्रकल्प शाखा के सहायक अभियन्ता द्वारा की गयी आत्महत्या एवं जांच

श्री हुकम सिंह---

*9 क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 12 अक्तूबर, 1982 को फर्रुखाबाद अस्थायी प्रकल्प शाखा के एक सहायक अभियन्ता ने विभागीय अधिकारियों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न, अपमान एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन विभागीय अधिकारी दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना---

जी नहीं। विभागीय जांच में किसी का दोषी होना सिद्ध नहीं हो सका है। अतएव किसी के विरुद्ध, इस जांच के आधार पर, कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मान्यवर, एक बात मैं और बता दूं। हमने पिछले सप्ताह यह निर्णय लिया कि स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये गृह विभाग से हमने कहा है कि इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच करा दें।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी जितने ऊंचे हैं उतना ही छोटा उनका उत्तर है।

श्री अध्यक्ष---

आपकी ऊंचाई लम्बी है और उनकी छोटी है।

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जिस सहायक अभियन्ता ने आत्महत्या की, क्या उन्होंने मरने से पहले कोई अपना प्रत्यावेदन शासन को दिया था जिसमें उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाकर यह कहा था कि वे उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उसी के आधार पर यह जांच करायी गई ?

श्री रामसिंह खन्ना---

मान्यवर, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि उनका कोई रिप्रिजेन्टेशन आया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो आपने प्रश्न किया था कि अधिकारी इनको उत्पीड़ित कर रहे हैं, इसकी जानकारी हो जानी चाहिए, जिससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या की। इसी बात की छानबीन के लिये हमने सी० आई० डी० को जांच दी है।

श्री हुकम सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे जैसा कि आपने बताया कि विभागीय जांच में किसी का दोषी होना सिद्ध नहीं हो सका इसलिये आपने सी० आई० डी० से जांच करवायी है क्योंकि आपने विभागीय जांच भी उन्हीं अधिकारियों से करायी जिनके विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाये थे जिसकी वजह से उनको आत्महत्या करनी पड़ी। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस अधिकारी ने जांच की थी और अब इस जांच का आपका क्या आधार रहा ?

श्री रामसिंह खन्ना---

मान्यवर, ए० सी० सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जांच करायी गई थी। जब यह प्रश्न आया और शंका व्यक्त की गई तो उसी पर सी० आई० डी० को जांच के लिये कहा गया।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उस इंजीनियर ने आत्महत्या करने से पूर्व कई बार अपने उच्च अधिकारियों और शासन का ध्यान आकर्षित कराया था कि मेरे साथ ये-ये ज्यादतियां हो रही हैं उसके ऊपर शासन ने या उच्च अधिकारियों ने कोई जांच पड़-ताल या कोई कार्यवाही की अथवा नहीं की ? नहीं की, तो क्यों नहीं की ?

श्री रामसिंह खन्ना---

मान्यवर, मैंने बताया कि इसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। अगर कोई ऐसी सूचना होगी तो इन्क्वायरी में उसको भी देख लिया जायेगा।

श्री मेंहदी असगर---

मान्यवर, जब यह व्यक्ति मर गया तो उसका पोस्टमार्टम भी हुआ होगा। उसकी क्या रिपोर्ट है, क्या मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना---

उन्होंने तो आत्महत्या की और उसका पंचनामा हो गया। प्रश्न यह किया गया था कि उत्पीड़न की वजह से उन्होंने आत्महत्या की, इसकी जांच करायी जा रही है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है, इसलिए मेरी जानकारी को सही मानते हुए क्या सी० आई० डी० से जांच करायेंगे ? निश्चय ही अपने उच्च अधि-कारियों के उत्पीड़न से प्रभावित होकर सहायक अभियंता ने विवश होकर आत्महत्या कर

ली। मुझे प्रसन्नता है माननीय मंत्री जी ने प्रश्नगत मामले में गृह विभाग से जांच कराने का फैसला लिया जो एक अच्छे प्रशासक के नाते करना चाहिये था। मेरी निश्चित जानकारी है उत्पीड़न के कारण यह आत्महत्या उसने की क्योंकि जब अधिशासी अभियंता वहां गये तो उनके परिवार वालों ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया तो इसकी भी सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना---

इसकी जांच भी सुपुर्द कर देंगे।

स्थानीय निकायों के बकाया कतिपय ऋणों को शासन द्वारा अनुदान में परिवर्तित तथा ब्याज को बट्टे खाते में डाले जाने का निर्णय

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

*10 क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने स्थानीय निकायों को 31 मार्च, 1981 तक दिए गये कर्ज को अनुदान में परिवर्तित करने तथा इस धनराशि पर अर्जित ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना---

जी हाँ।

स्थानीय निकायों की खराब वित्तीय स्थिति व ऋणों के भुगतान में उनकी असमर्थता को दृष्टिगत रखते हुये शासन ने दिनांक 31 मार्च, 1981 तक उन पर बकाया कतिपय ऋणों को अनुदान में परिवर्तित करने व अर्जित ब्याज को बट्टे खाते में डाले जाने का निर्णय लिया है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 1981 तक स्थानीय निकायों के ऊपर कितनी धनराशि कर्ज की बकाया थी जो अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया तथा कितनी धनराशि ब्याज की बकाया थी जिसको बट्टे खाते में डाला गया ? दूसरा क्या इसी आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद और उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम जो कर्जों के भार से और ब्याज के भार से दबे हैं उनको भी यह रियायत देने पर विचार करेंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना---

मान्यवर, 83,82,12,814 रु0 बकाया मूलधन और 23,82,24,799 रु0 ब्याज का अनुदान और बट्टेखाते में डाला गया।

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

क्या इसी आधार पर विद्युत् परिषद् और परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति खराब है उसके ऋण और ब्याज को अनुदान और बट्टे खाते में डालेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता इसका संबंध इनके विभाग से नहीं है।

गढ़वाल और कुमायूँ मण्डलों में पेयजल जलोत्सारण आदि योजनाओं को सम्बन्धित जल संस्थानों द्वारा किए जाने का निर्णय

श्री कुंवर सिंह नेगी---

*11 क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊं और गढ़वाल मण्डलों में पेयजल, जलोत्सारण आदि योजनाओं के विरचन, निर्माण, संचालन व रख-रखाव के लिए जल निगम व जल-संस्थान की दोहरी व्यवस्था को समाप्त करके समस्त कार्य सम्बन्धित जल संस्थानों द्वारा किए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है? यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया है? इसके कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री रामसिंह खन्ना---

जी हाँ, कुमाऊँ और गढ़वाल मण्डलों में पेयजल, जलोत्सारण आदि योजनाओं के विरचन, निर्माण संचालन व रख-रखाव का समस्त कार्य एक इकाई द्वारा किये जाने का निर्णय शासन ने मार्च, 1982 में लिया था। इस निर्णय को लागू किये जाने हेतु समस्त पहलुओं पर अभी शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है।

श्री कुंवर सिंह नेगी---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके एकीकरण का निर्णय मार्च, 82 में लिया गया तब से कई बार शासन द्वारा घोषणा भी कर दी गयी। तो वह कौन से पहलू हैं जिनकी वजह से अभी तक इतना व्यवधान हो रहा है?

श्री रामसिंह खन्ना---

शासन के इस निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर अभी विचार हो रहा है। यथा एक इकाई की स्थापना पर पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत जल निगम व जल संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मर्जर किस प्रकार किया जाय। नयी इकाईयों में किस स्तर का कितना स्टाफ आवश्यक है। इस संबंध में बराबर सोच विचार चल रहा है चूंकि दोनों बातों की सशक्त पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत पहलू हैं, इसलिये उनको देखकर निर्णय लेना है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जहां जल निगम और जल संस्थान दोनों कार्यरत हैं जैसे बुन्देलखंड में जलसंस्थान अपने संसाधनों से पेयजल की वृद्धि करने के लिये योजना बनाता है तो उसी को अपनी बनायी हुई योजनाओं पर कार्य करे ऐसी स्वीकृति क्या आप प्रदान करेंगे?

श्री रामसिंह खन्ना---

मान्यवर, इस समय तो स्थिति नहीं है चूंकि इस समय जल संस्थान इंडेपेंडेंट वाडी नहीं है लेकिन जहां तक इस बात का तालुक है कि जल निगम को कार्य सौंपे जाने की बात है और दूसरे जलसंस्थान को कार्य सौंपे जाने की बात है तो अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जल निगम और जल संस्थान के एकीकरण के लिये शासनादेश निर्गत हुआ था, इस शासनादेश को कब तक आप लागू करेंगे और एकीकरण की घोषणा कब तक करेंगे?

श्री रामसिंह खन्ना--

सिद्धान्त: शासन ने यह समझा कि यह उचित है, दोनों पक्ष के तर्क अलग अलग हैं, जल निगम को सौंपे जाने का तर्क अलग है, इसलिये इन चीजों का निर्णय हो जाय, तो समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जल्दी कोशिश की जा सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी के मूल उत्तर में लिखा है और जो पूरक उत्तर दिये हैं उसमें विरोधाभास का संदेह है, इसलिये मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि सरकार ने अनुभव किया कि संदर्भित स्थान पर अलग अलग दोनों से काम कराने में व्यवधान हो रहा है जो जन-हित में नहीं है, इसलिये जबकि एक साल पहले फैसला लिया जा चुका है कि एक एजेन्सी से काम करायेंगे और उत्तर में कहा है कि पक्ष और विपक्ष में दो तरह के मत आये हैं, इस-लिये मैं जानना चाहता हूँ कि एक बार सभी दृष्टियों से विचार करने के बाद जनहित में फैसला किया कि एक एजेन्सी से काम करायेंगे तो दुबारा इसमें विचार करने का क्या कारण है ? सभी बातों को देखकर एक साल पहले इसमें निर्णय किया है तो अब कितना समय और लेंगे इसने निर्णय करने में ?

श्री रामसिंह खन्ना--

जल्दी से जल्दी कर देंगे।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मंत्री जी ने कहा कि जल निगम और जल संस्थान के कर्मचारियों की किस प्रकार की व्यवस्था की जाय इस संबंध में मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 1975 में जब जल संस्थान का निर्माण हुआ था उस समय यह व्यवस्था की गयी थी कि जेल निगम के कर्मचारी तब तक डिपुटेशन पर वहां रहेंगे जबतक जल संस्थान इन कार्यों को करने के लिये सक्षम नहीं होगा। इसमें आपने पहले ही शासनादेश निर्गत कर दिया है तो अ इन सभी पहलुओं पर विचार क्या होगा, एक साल से ऊपर समय बीत गया है, मेरी जानकारी है कि जल निगम के अभियंताओं का सरकार पर दबाव पड़ रहा है कि इनको डिपुटेशन पर लाभ है, इसलिये सरकार दबाव में आकर इस जी0 ओ0 के कार्यान्वयन को रोक रही है ?

श्री रामसिंह खन्ना--

मान्यवर, आपने स्वयं कहा कि वहां जल निगम का एक दृष्टिकोण है और जल संस्थान का दूसरा दृष्टिकोण है, इसलिये इन सभी पहलुओं पर विचार करके हम निर्णय करेंगे।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मैं मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि सन् 81 के बजट में, 82 के बजट में वित्त मंत्री जी ने, पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने और बाद में ब्रह्मदत्त जी ने इसकी घोषणा करके अपनी अपनी पीठ थपथपाई थी कि अलग से इसके लिए धन का प्राविधान किया गया है, तो जो आपने धन लिया था, उसका क्या हुआ ? और कब तक आप इस कार्य में पूर्ण कार्य-वाही कर लेने का इस सदन को आश्वासन देंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना--

आज भी इंकार तो नहीं किया, इसका फैसला जल्दी से जल्दी किया जाएगा।

प्रदेश की जन्म तथा मृत्यु दर में कमी करने हेतु कार्यक्रम

श्री शंकर सिंह--

*12 क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश की जन्म तथा मृत्यु दर देश में सब से अधिक है ? यदि हां, तो उसमें कमी लाने के लिए सरकार क्या किसी कारगर योजना को लागू कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हरि सिंह--

जी हां, जन्म दर को कम करने के लिये परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। मृत्यु दर में अधिकांश मृत्यु शिशुओं की होती है। इसके लिये मातृ शिशु कल्याण की सेवाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सेवायें गांव गांव तक पहुँचायी जा रही हैं।

श्री शंकर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और उन्होंने यह भी कहा कि इसी ढंग से मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम को भी प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दोनों कार्यक्रम कब से लागू किये गये थे और जब से यह दोनों कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू हुए हैं, तब से मृत्यु दर और मृत्यु दर में कितनी कितनी कमी आई है और अब घट कर कितनी मृत्यु दर रह गई है ? आपने यह भी कहा कि मृत्यु दर में अधिकांश मृत्यु शिशुओं की होती है, तो शिशुओं और वयस्कों में परस्पर मृत्यु दर का अनुपात क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

श्रीमन्, जहां तक जन्मदर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष के अन्दर सबसे अधिक जन्म दर है 33 प्रति हजार। मृत्यु दर भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है--93 प्रति हजार है, जबकि हमारे देश में यह 66 प्रति हजार, प्रति दिन है। इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे तो 1960 से आज तक उत्तर प्रदेश में आज के दिन 6 करोड़ 79 लाख व्यक्ति-पुरुष और स्त्री उस आयु सीमा के अन्तर्गत हैं, किनसे जनसंख्या का विस्फोट होने का खतरा रहता है। इस आयु सीमा में आज तक कुल संख्या 55 लाख लोगों की है, जिस 55 लाख में से 3 लाख 84 हजार व्यक्ति अप्रैल, 82 से फरवरी, 83 तक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आए हैं।

प्रयास हो रहा है, आप सबका भी सहयोग है। प्रयास यह है कि इसको हम 1990 तक राष्ट्रीय स्तर पर ला दें। राष्ट्रीय स्तर इस वक्त 28 प्रति हजार है, जबकि हमारा 33 प्रति हजार है। राष्ट्रीय मृत्यु दर 66 प्रति हजार है। हमारे यहां प्रदेश में मृत्यु दर 93 प्रति हजार है। हमारे प्रदेश में अधिकांश मृत्यु शिशु मृत्यु से है। गर्भाधान के समय में यह मृत्यु अधिकांश होती है, तो गर्भवती महिलायें जो हैं, उनको आयरन टैबलेट्स और ऐंटी-टिटनेस इन्जेक्शन गर्भवती महिलाओं को दिया जाय। यह जो मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना की जा रही है, 1990 तक, 8 वर्षों के अन्दर इसको हम पूरा कर देंगे। जो हमारे यहां 93 है, उसको घटा कर राष्ट्रीय स्तर पर, 66 पर ला दें, यह हमारा प्रयास है।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी, उसके लिए उनको धन्यवाद है। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर जो था, वह नहीं आ पाया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह

तो बताया ही नहीं कि कब से यह सेवायें शुरू की और जब से शुरू की, तब क्या प्रतिशत थी ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आज की स्थिति तो बता दिया कि 33 और 93, लेकिन जब आपने शुरू किया तब क्या स्थिति थी या आपके इस कार्यक्रम लागू करने के बावजूद भी आप पीछे की तरफ चल रहे हैं ? दूसरे इसी के साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि गांवों तक ये सेवायें पहुंचाई जायंगी, 5 हजार तक कर दी जायगी। मान्यवर, आप भी जानते हैं कि जो शिशु केन्द्र देहातों में हैं, जो आपके पी0 एच0 सी0 सेन्टर्स देहातों में हैं, वहां पर तो कोई डाक्टर और नर्स जाना ही नहीं चाहती हैं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, 1960 में जहां तक जानकारी उपलब्ध है, हमारी जन्म दर 48 प्रति हजार थी और 60 में जो जानकारी है, हमारी मृत्यु दर 127 या 123 प्रति हजार है।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, यह 1960 में ही आपने लागू किया था ? जब आपने प्रभावी ढंग से लागू किया, वह बता दीजिए ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, प्रभावी ढंग से तो शासन ने 1960 से लागू किया। 1960 से प्रयास के बाद आज की स्थिति जो है, वह आपके सामने रख दिया कि 48 से नीचे हम आ गये 33 में और 127 से नीचे आ गये हैं 93 स। यह जो समस्या है, इससे भागने की तो आवश्यकता नहीं है। अगर ए0 एन0 एम0 सब सेन्टर्स पर नहीं जाती हैं, तो उनको जाना पड़ेगा। अब उनको गांवों में आवास की परेशानियां हो जाती थीं, जो जाती भी थीं, तो वहां पर डर की वजह से नहीं रहती थीं। हमारा प्रयास यह हो रहा है कि ग्राम सभा के अन्दर ही उनको जगह मिल जाय। इस साल हम 1400 या 1800 सब-सेन्टर्स इस वर्ष बना रहे हैं और बनाने 18000 सेन्टर्स हैं, 5 हजार बना चुके हैं, 13 हजार और बनाने हैं।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जन्म दर को कम करने के लिये या परिवार कल्याण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या शासन के कोई इंसेंटिव या डि-इंसेंटिव योजना विचाराधीन है।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

डि-इंसेंटिव तो अभी कोई नहीं है। वैसे अगर यह सदन सहमत हो जायगा तो कर दिया जायगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूँ कि डि-इंसेंटिव कर दिया जाय। वैसे इसके लिये इंसेंटिव है। इस प्रदेश के विकासखंडों में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं। अगर जो उनके लिये लक्ष्य निर्धारित है वह उसके ऊपर चले गये हैं, शतप्रतिशत से ऊपर चले गये हैं उस विकास खंड में एक लाख रुपये तक का, चाहे वह सार्वजनिक भवन हो, पंचायत भवन हो, पानी पीने की सुविधा हो, तालाब हो तो घाट बनवा देने की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। अगर वहां पर विद्यालय नहीं है तो विद्यालय भवन बनवा देने, तो इस प्रकार का इंसेंटिव कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, इस बात को देखते हुये कि जैसा आपने बताया है, वाराणसी जिले में पिंडरा

ब्लाक का पी0 एच0 सी0 इस वक्त प्रथम आ गया है तो आपने जो घोषणा की है उसको तुरंत लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर आ गया होगा उसको वहां एक लाख रुपये की सुविधा दी जायगी।

श्री शंकर सिंह--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 5 हजार की आबादी पर सेंटर्स खोले जा रहे हैं। 15 हजार खोलने का आपका लक्ष्य है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यह इतना अहम कार्यक्रम है जिस पर आपकी पूरी प्रगति निर्भर करती है तो आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको कब तक पूरा कर देंगे इतना और बताने की कृपा करें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, पूर्ण लक्ष्य तो 1990 तक का बना रखा है। आज 6 करोड़ 79 लाख व्यक्ति (स्त्री-पुरुष) हैं। एक मिनट में 150 व्यक्ति नये पैदा हो रहे हैं सारे देश में। इसके 1/6 उत्तर प्रदेश में पैदा हो रहे हैं। तो 1990 तक 8 करोड़ 78 लाख या 9 करोड़ तक पहुंच जायेंगे। 9 करोड़ स्त्री-पुरुष, 18-से 45 वर्ष की एज ग्रुप के उस समय होंगे। तो इन 9 करोड़ आदमियों को, परिवार कल्याण कार्यक्रम में समायोजित करने का लक्ष्य 1990 तक इस प्रदेश की सरकार का है।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, परिवार नियोजन प्रभावी ढंग से सन् 75-76 में लागू किया गया था जिसका अंजाम है कि आज देश की आबादी में 5 करोड़ व्यक्ति नहीं बढ़े। लेकिन उस समय तत्कालीन शासन के लिये यह महंगा पड़ गया। ट्यूबेक्टामी, वेसेक्टामी इसको अधिक लोग जानते हैं। इससे थोड़ा डरते भी हैं और दिल चाहते भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने ऐसी कोई अचूक औषधि का आविष्कार कराया है जिसके माध्यम से महिला किसी हालत में गर्भ धारण न करे ? यदि करवाया है तो वह क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, युग तो विकास का है। किसी युग में पेट चीर कर होता था वही आज दूरबीन से होता है। एक दिन आयेगा कि टेबलेट से होगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, जो परिवार कल्याण के बाबत बात कही जा रही है। तो इसमें ऐसा है कि लड़कियों की वजह से जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है। तो क्या स्वास्थ्य मंत्री जी विशेषज्ञों से ऐसी व्यवस्था करायेंगे जिससे लड़कियों के बजाय लड़के ही लड़के पैदा हों, जिससे जनसंख्या वृद्धि रुक जाय ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

अनिलकुमार श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता द्वारा की गये कथित अनियमितता

श्री रमाकान्त मिश्र (अनुपस्थित)--

*13 क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्र: अनिल कुमार श्रीवास्तव अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उ0 प्र0, जल निगम, इलाहाबाद के विरुद्ध

1981-82 के अर्ध कुंभ प्रयाग में किये गये लाखों रुपयों की अनियमितताओं के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने सतर्कता विभाग को जांच सौंपी है ? यदि हां, तो ऐसा अधिकारी अब तक इलाहाबाद में ही अपने पूर्व स्थान पर ही क्यों कार्यरत है ?

श्री रामसिंह खन्ना--

जी नहीं, अतएव शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

14 श्री जमुना प्रसाद--

--[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त]

चिकित्साकर्मियों पर द्वितीय वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करने का प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

*15 क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस आशय की अनुशन्सा द्वितीय वेतन आयोग ने की थी कि प्रदेश में फार्मेसिस्ट एवं स्टाफ नर्सेज के स्थान पर वर्ष 1966 से कार्यरत मेडिकल अटेंडेंटों को रिफरेशर कोर्स कराकर उनका वेतनमान फार्मेसिस्ट के पद का कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरि सिंह--

जी हाँ। स्वास्थ्य सेवा निदेशक से मार्च, 1982 में प्रस्ताव माँगा जा चुका है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर माननीय मंत्री जी ने उत्तर में यह बताया है कि जो द्वितीय वेतन आयोग की रिपोर्ट है उसमें जिस बात की अनुशन्सा की गयी, उसे सिद्धान्त: सरकार ने स्वीकार कर लिया है और सरकार ने मार्च, 1982 में प्रस्ताव मांगा था। लेकिन एक साल हो गया प्रस्ताव नहीं आया। यदि सरकार सिद्धान्त: इस बात से सहमत है और यह शासन को प्रस्तुत हुआ था, तथा शासन को यह जिम्मेदारी है, शासन को स्वीकार या अस्वीकार करना है, और एक साल में आपका अपना प्रस्ताव नहीं आया। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात से सहमत होते हुए कि सिद्धान्त: ठीक है, वेतन कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट दी है, ऐसी प्रक्रिया अपनायेंगे जिससे जल्दी से वहाँ से प्रस्ताव आ जाय, और इस पर जल्दी निर्णय हो जाय ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

किस संवर्ग की बात आप जानना चाहते हैं, फार्मेसिस्ट की, अप्रशिक्षित फार्मेसिस्ट जो उत्तर प्रदेश में थे, फार्मेसिस्ट काउंसिल आफ इंडिया के आदेशानुसार उनको 15 महीने की ट्रेनिंग आवश्यक थी, वह ट्रेनिंग उनकी हो गयी है, वे अपने अपने स्थानों पर वापस भेजे जा रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दिये जा रहे हैं, उनको प्रशिक्षित फार्मेसिस्ट का जो वेतनमान है, वह उनको मिल जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मुझे दुख है कि मंत्री जी खड़े हो गये लेकिन उन्होंने प्रश्न का संदर्भ नहीं देखा, जो जवाब उन्होंने दिया है, उसके लिए प्रसन्नता है। प्रश्न यह है कि प्रदेश में फार्मेसिस्ट एवं

स्टाफ नर्सेस के स्थान पर वर्ष 1966 से जहां काम कर रहे थे, मेडिकल अटेन्डेन्ट 1966 से काम कर रहे थे, उनकी क्वालिफिकेशन वही है, ट्रेंड भले ही न हों, ट्रेनिंग करा दी जाय, इस पर वेतन आयोग ने सिफारिश की है, उनको रिफरेशियर कोर्स करा करके, ट्रेनिंग कराकर वेतन दिया जाय, इसके बारे में आपने निदेशालय से प्रस्ताव मांगा मार्च, 1982 में, एक साल हो गया, प्रस्ताव नहीं आया। मैं अपने प्रश्न के माध्यम से ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि एक वर्ष का विलंब हो गया प्रस्ताव में प्रस्ताव तो तभी मांगा गया, जब शासन सहमत होगा, इस पर जल्दी कौन सी कार्यवाही होगी, जिससे शासन की मंशा पूरी हो जाय, वेतन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उनका काम बन जाय ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

इसमें हमारे जितने मेडिकल अटेन्डेन्ट थे, 1979 में सब स्थायी कर दिये गये। अब वेतन आयोग ने उनको रिफरेशियर कोर्स, ट्रेनिंग कराने तथा प्रशिक्षित वेतन में करने की सिफारिश की है, इससे हम सहमत हैं। इस पर निदेशालय से आख्या मांगी गयी है, कि कार्यक्रम बनाकर दें। आप कहते हैं प्रयास करूँगा कि जल्दी हो जाय।

*16 श्री श्याम लाल वाजपेयी--

[22 वें मंगलवार तारांकित प्रश्न संख्या-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। कृपया प्रश्न संख्या 16 देखने का कष्ट करें। एक प्रदेश के ऐसे भ्रष्ट अफसर का मामला है जिस पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है, उसको निलम्बित किया गया, हाईकोर्ट ने उसको स्टे आर्डर नहीं दिया, उसके बाद जून, 1982 में उसको फिर वापस ले लिया गया। मान्यवर, इतने गम्भीर सवाल को 22वें मंगलवार के लिए स्थानांन्तरित किया गया है, जो कभी नहीं होगा। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ और सरकार से कहिये कि इसी सत्र में उसका उत्तर दें यह बड़ा गम्भीर मामला है

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। मैं इसको देखूंगा।

*17 श्री कुंवर सिंह नेगी तथा डा0 शिवानन्द नौटियाल--

--(दिनांक 3-3-83 को तारांकित प्रश्न संख्या-7 द्वारा उत्तरित)

जनपद मथुरा के तीर्थस्थान बल्देव में स्थित "क्षीर सागर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही

श्री सरदार सिंह--

*18 क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मथुरा के तीर्थ स्थान बल्देव में स्थित पवित्र तालाब "क्षीर सागर' का जल विषाक्त हो गया है और लाखों तीर्थयात्री इस तालाब में स्नान कर जल (आचमन) ग्रहण करने से वंचित हो रहे हैं ? यदि हां, तो स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मथुरा जिले में बल्देव में स्थित तालाब क्षीरसागर का जल प्रदूषित हो गया है और वह स्नान के लिए उपर्युक्त नहीं कहा जा सकता। इसीलिए नवम्बर, 1982 में पानी के ऊपर की काई निकलवा कर उसमें उचित मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर भी डलवाया गया था। तालाब के गन्दे पानी को निकलवाने, उसकी सफाई कराने, साफ पानी भरवाने एवं टूटी

हुई सीढ़ियों की मरम्मत कराने के लिए जिलाधिकारी मथुरा द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, यह हमारा बहुत प्राचीन धार्मिक स्थान है। यह बहुत पुराना तालाब है। इसका विशेष धार्मिक महत्व है। प्रति दिन और प्रति महीने लाखों यात्री विदेश के आते हैं, स्नान करते हैं। आचमन लेते हैं। बहुत पवित्र माना जाता है।....

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री सरदार सिंह--

वही कर रहा हूं, मान्यवर। आवश्यक कार्यवाही तो साधारण सी बात हो जाती है। जिलाधिकारी के पास फंड नहीं है कि उसको ठीक कराया जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि क्या शासन स्तर से फंड देंगे जिससे उसको ठीक कराया जा सके। गन्दे पानी को निकालने और अच्छे पानी को लाने की व्यवस्था की जा सके।

श्री रामसिंह खन्ना--

अधिशासी अभियन्ता मथुरा से अनुरोध किया गया है कि तालाब के गन्दे पानी को निकलवाने, उसकी सफाई कराने, साफ पानी भरवाने एवं टूटी हुई सीढ़ियों की मरम्मत कराने का एस्टीमेट बनाकर भेजें। एस्टीमेट भेजा नहीं। एस्टीमेट आ जाये। शासन मा0 सदस्य के विचारों से सहमत है उसको ठीक कराने के लिये।

श्री सरदार सिंह--

मंत्री जी की तरफ से जो आदेश गये हैं, वह कब गये हैं।

श्री रामसिंह खन्ना--

5 फरवरी, 1983 को।

श्री भगवती सिंह विशारद--

होली आ रही है। बृज की होली बहुत प्रसिद्ध है। देश भर के लोग बृज की होली खेलने और देखने जाते हैं।

श्री मोहन सिंह--

शुरू हो गयी है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

वही मैं कह रहा हूं। अभी 15 दिन तक चलेगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह ऐसी कोई तत्कालिक व्यवस्था करेंगे कि जो लोग जायें उन पर खराब जल का प्रभाव न पड़े।

श्री रामसिंह खन्ना--

मान्यवर, माननीय श्री विशारद जी की बात मुनासिब है। जब यह मान लिया गया कि उसके सफाई की व्यवस्था की पूरी प्रक्रिया की जायेगी। थोड़े समय के लिये कुछ-न-कुछ व्यवस्था की जायेगी।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह बिलकुल असत्य है। आप इनके उत्तर की अन्तिम लाइन को देखें, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तालाब के गन्दे पानी को

निकलवाने, उसकी सफाई कराने, साफ पानी भरवाने एवं में टूटी हुई सीढ़ियों की मरम्मत कराने के लिये जिलाधिकारी मथुरा द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, मैंने स्वयं इस तालाब को देखा है। यह एक बहुत बड़ा तालाब है। माननीय मंत्री जी इसका पानी ही नहीं निकाला गया है तो फिर यह कैसे सम्भव हो सकता है कि इसकी सफाई, साफ पानी भरवाने तथा टूटी हुई सीढ़ियों की मरम्मत आप करा लेंगे, जब पानी ही नहीं निकला है तो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि यदि इसका पानी निकाल दिया गया है तो कितना पानी इसका निकाल दिया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, नहर विभाग के इन्जीनियर्स को इसका एस्टीमेट दे दिया गया है। उसमें जो वे आवश्यक चीजें समझेंगे उसे वह पूरा करेंगे और उसमें जो काम नहीं हो रहा है उसे पूरा करवा लिया जायेगा।

श्री हरि मेहरोत्रा रवि कपूर तथा झुनझुनवाला के विरुद्ध अनधिकृत निर्माण करने तथा नजूल पट्टों को निरस्त करने के संबंध में दिये गये आदेश

श्री केदार नाथ सिंह—

*19 क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण के आदेश सं0 10/ उपा0 का0/1982-83 दिनांक 3 जून, 1982 जो सर्वश्री हरि मेहरोत्रा, रवी कपूर तथा झुनझुनवाला के विरुद्ध उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही किये जाने तथा नजूल भूमि के पट्टे को निरस्त करने के संबंध में था का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामसिंह खन्ना—

उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण के आदेश संख्या 10/उपा0 का0/ 1982-83 दिनांक 3 जून, 1982 में अन्य बातों के साथ साथ सर्वश्री हरि मेहरोत्रा, रवि कपूर एवं योगेश चन्द्र झुन झुनवाला के विरुद्ध अनाधिकृत निर्माण करने के कारण उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने के आदेश दिये गये थे।

उपर्युक्त तीनों व्यक्तियों के नजूल पट्टों के निरस्त करने के संबंध में अलग से उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या 287/एन0 एस0 दिनांक 9 अगस्त, 1982 में अपनी संस्तुति शासन को भेजी थी।

धारा-27 के अन्तर्गत श्री योगेश कुमार झुन झुनवाला के मामले में अनधिकृत निर्माण को गिराये जाने के आदेश दिनांक 13-10-82 को पारित किये गये थे जिसके विरुद्ध उन्होंने आयुक्त लखनऊ मण्डल से दिनांक 3-11-82 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे। श्री रवि कपूर तथा श्री हरि मेहरोत्रा ने शमन (कम्पाउण्डिंग) का प्रार्थना पत्र दिया था तथा इनके पट्टों को निरस्त करने का मामला शासन को सन्दर्भित होने के कारण इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-26 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना स्थगित रखा गया इन तीनों व्यक्तियों के नजूल पट्टों को निरस्त करने का मामला शासन में विचाराधीन हैं। इनके विरुद्ध शेष कार्यवाही शीघ्र पूरा करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री केदारनाथ सिंह––

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि आयुक्त लखनऊ मण्डल ने दिनांक 3-11-82 को स्थगन आदेश दिया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्थगन आदेश किस आधार पर दिया गया और शासन में इतने दिन से क्यों विचाराधीन है ?

श्री राम सिंह खन्ना––

यह कानूनन प्रक्रिया है कि वह कमिश्नर के यहाँ अपील करते हैं और उसको वह सुनते और फैसला करते हैं फैसले के वक्त स्थगित कर देते हैं। मैंने इसको देखा और समझा जो समय लगा है दफ्तर में इन सारी चीजों की छानबीन के आदेश दिये हैं और जो दोषी हो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं। शासन ने यह आदेश दिया है कि पट्टा निरस्त करने के आदेश कि बिना प्रतीक्षा किये हुये सेक्शन 26 में कार्यवाही कर सकते हैं।

टाउन एरिया जोया, जनपद मुरादाबाद में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या स्थाई, अस्थाई तथा दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मचारी

श्री रामकृष्ण माहेश्वरी––

*20 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया जोया, जनपद मुरादाबाद में वर्ष 1982 में कुल कितने कर्मचारी नियुक्त थे उनमें से कितने कर्मचारी स्थाई व कितने अस्थाई हैं ? स्थाई कर्मचारियों के स्थान पर दैनिक मजदूरी पर कर्मचारी नियुक्त करने का क्या कारण है और कब तक स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जायगी।

श्री राम सिंह खन्ना––

टाउन एरिया जोया में जनवरी, 82 व फरवरी, 82 में 7, मार्च, 82 व अप्रैल, 82 में 10 मई, 82 से सितम्बर, 82 तक 13 तथा अक्टूबर, 82 से दिसम्बर, 82 तक 16 कर्मचारी कार्यरत रहे, जिनमें से केवल एक कर्मचारी अस्थाई है और शेष दैनिक वेतन पर हैं। नियमित पद सृजित न होने के कारण दैनिक मजदूरी पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है। शासन द्वारा नियमित पद सृजन पर रोक लगी होने के कारण फिलहाल स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति संभव नहीं है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सी0 पी0 एम0 टी0 परीक्षा में पिछड़ी जाति के आरक्षण की समाप्ति

श्री गोपीनाथ वर्मा तथा श्री हरिवंश सहाय––

**1 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 82-83 में सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण दिया गया था ? यदि हां, तो किस शासनादेश, संख्या व दिनांक द्वारा यह आरक्षण निरस्त किया गया ?

श्री हरि सिंह––

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-1878 से014/पाँच-82-661/81, दिनांक 20 अप्रैल, 1982 द्वारा 1982 की सी0 पी0 एम0 टी0 में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण समाप्त किया गया था।

नोट:––तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में बताया कि 20 अप्रैल, 1982 द्वारा सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण समाप्त किया गया था। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि यह आरक्षण किन उद्देश्यों के अनुसार समाप्त कर दिया गया। दूसरा, क्या वह इसी सत्र के लिए समाप्त किया गया था या आगे आने वाले सत्र के लिये भी समाप्त कर दिया गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, इनके लिये 12 परसेन्ट आरक्षण था सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा में और 50 परसेन्ट क्वैलिफाइंग मार्कस था तथा इनके लिये 45 परसेन्ट क्वैलिफाइंग मार्कस किया गया था। लेकिन विगत दो वर्षों में, 1980-81 और 1981-82 में, जो छात्र चयनित किये गये हैं उनमें पिछड़ी जाति के वर्ग के छात्रों के प्राप्तांक 50 प्रतिशत से ऊपर तथा 95 प्रतिशत के बीच में रहे। इसलिये इसको देखते हुए आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया।

श्री राम कुमार भार्गव—

मान्यवर, सवाल के प्रथम में ही मैं बता देना चाहता हूँ कि दिमागी स्तर की प्रतियोगिताओं में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिये। इस संबंध में क्या माननीय मंत्रीजी इस बात की भी घोषणा करेंगे कि इस आरक्षण को आगे के लिये भी समाप्त किया गया है या फिर केवल 1982 के सत्र के लिये ?

श्री अध्यक्ष—

मैं, इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री शंकर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने बताया कि सी0 पी0 एम0 टी0 की परीक्षा में पिछड़ी जातियों के आरक्षण इसलिये समाप्त कर दिया है कि उनके मार्कस 50 प्रतिशत से ऊपर है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि उसमें जो हरिजन छात्रों का सलेक्सन हुआ है उनके औसत प्राप्तांक क्या हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, पहले हरिजन छात्रों का प्राप्तांक 30 प्रतिशत था लेकिन विगत दो वर्षों में देखा गया कि उनके प्राप्तांक 40 प्रतिशत से भी ऊपर चला गया है। अब सी0 पी0 एम0 टी0 में हरिजन छात्रों का प्राप्तांक 30 से उठकर 40 हो गया है।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पिछड़ी जातियों के अभ्यर्थियों का स्तर ऊँचा रहा चयन में। इसलिये आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उनके लिये आरक्षण को बरकरार रखते हुए, जो अभ्यर्थी ऊँचे मार्कस लाते हैं, उनको उसी स्तर पर चयनित किया जाय, माननीय मंत्री जी को क्या दिक्कत है ?

क्या पिछड़ी जातियों को यह शासन दबाने पर तुला है। इस वर्ष हरिजन और पिछड़े वर्ग के छात्रों को एक पैसा भी छात्रवृत्ति नहीं दी गयी। ठीक इसी तरह आरक्षण भी समाप्त किया गया....

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मैं यह चाहता हूं कि आरक्षण को बरकरार रखें और जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स अच्छे हों उनको सेलेक्ट किया जाय। इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जब आवश्यकता ही नहीं रही तो रखने की क्या आवश्यकता है।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, आरक्षण जब भी दिया जाता है तो मैरिट के अलावा जो छात्र होते हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है। मण्डल आयोग ने भी इस बात की संस्तुति की है कि 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय। 70 फीसदी जो पिछड़े लोग हैं, उनकी संख्या के अनुसार मेडीकल कालेज में छात्र नहीं हैं। क्या मण्डल आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए तथा मेडिकल कालेज में छात्रों की कमी देखते हुए, मैरिट के आधार पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, आवश्यकता ही नहीं है। उनका नम्बर अपने आप ऊपर चला गया, 40-50 से ऊपर चला गया। 12 प्रतिशत था, अब 88 प्रतिशत हो गया।

डा0 बृज किशोर मिश्र--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनका आरक्षण करने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

यह मामला तो भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

आरक्षण जो समाप्त किया है, इसके पीछे जो मंशा छिपी है, क्या वह सत्य है ? वह मंशा यह है कि आरक्षण जो समाप्त किया है, वह सवर्ण लोगों को अधिक सख्या में रखने के लिये आरक्षण समाप्त किया है, क्या यह सही है या गलत है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

किसी सवर्ण को रखने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री गोपीनाथ वर्मा---

मेरा कहने का मतलब था कि यह आपने बैकवर्ड को दबाने के लिये और अपने लोगों को भर्ती करने के लिये किया है।

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

मंशाओं का जवाब यहां नहीं दिया जाता है, तथ्य पूछिए, तथ्य का जवाब दिया जायगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने बताया कि पिछड़े वर्गों का इण्डेक्स अलग होता जा रहा है, क्या यह सूचना देंगे कि जनरल इण्डेक्स क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठें।

श्री गोपीनाथ वर्मा---

यह जानना चाहता था कि पिछड़ी जातियों का आरक्षण पिछली सरकार ने किया था, काफी अरसे से आरक्षण चला आ रहा था। क्या आरक्षण समाप्त करने के पीछे यह मंशा थी कि पिछड़ी जातियों को दबाया जाय ?

श्री अध्यक्ष---

इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मा0 मन्त्री जी के उत्तर से सम्बंधित आरक्षण की प्रक्रिया का कार्यान्वयन दोषपूर्ण है। होना यह चाहिये कि मैरिट में चाहे हरिजन हों या और कोई हों, मैरिट में अगर आ जायं तो अलग से सूची बनानी चाहिये, यह तो नीति सम्बन्धी बात है। आपने जो आरक्षण की चर्चा की है, वह इसलिये की है कि वहां मैरिट बढ़ जाती है और बैकवर्ड या पिछड़ी जातियों को जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण लाभ मिलना चाहिये, नहीं मिल पाता, तो क्या इस दृष्टिसे आरक्षण की बात पर पुनर्विचार करेंगे ?

क्या यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू करने की कृपा करेंगे कि जो छात्र अपनी मैरिट के हिसाब से आ जाएं तो वह आ जाएं और जो मैरिट में नहीं आ पाते हैं उनके लिए आप अलग से आरक्षण कोटे को पूरा करने पर विचार करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

उसी मेरिट के अंतर्गत हमारे कोटे की पूर्ति हो गयी, इसलिए अलग से फिर आरक्षण कोटा पूरा करने की आवश्यकता नहीं रही।

निजी भवनों की मरम्मत कार्यों हेतु लेवी सीमेन्ट का आवंटन

श्री सुन्दर सिंह---

**2 क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेवी सीमेन्ट का आवंटन जन साधारण को वर्षा से हुई मकानों की क्षति की मरम्मत कार्यों हेतु दिये जाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह---

वर्तमान समय में निजी भवनों के मरम्मत हेतु लेवी सीमेंट देने का प्राविधान है।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुन्दर सिंह---

मान्यवर, हमारा प्रश्न जो था कि वर्षा से क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के लिए लेवी सीमेंट देने का प्राविधान है या नहीं, परन्तु माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है वह निजी भवनों के मरम्मत के लिए लेवी सीमेंट देने का प्राविधान किया है। मान्यवर, यह प्रश्न दूसरा है, इसलिए मान्यवर, मेरे प्रश्न का जबाव दिया जाए।

श्री वासुदेव सिंह---

यह निर्णय माह मई, 1982 में शासन द्वारा लिया गया था किन्तु बाढ़/वर्षा की विभीषिका से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 23 सितम्बर, 1982 को मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में खाद्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के समय अनौपचारिक रूप से यह निर्णय लिया गया था कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त

भवनों के मरम्मत के लिए लेवी सीमेंट देने की व्यवस्था कर दी जाए। और यह व्यवस्था मान्यवर, 31 मार्च, 83 तक लागू है, जिसे और बढ़ा दिया जायेगा।

श्री सुन्दर सिंह--

मान्यवर हमारे जनपद बहराइच में आई भीषण बाढ़ के कारण काफी तबाही मची हुयी है, इस तबाही को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर अब तक कितना सीमेंट आवंटित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता, क्योंकि यह केवल आपके क्षेत्र से संबंधित नहीं है।

श्री रियासत हुसैन---

यह देखते हुए कि जो लेवी सीमेंट का वितरण है, वह सही न होने के कारण काफी लोगों को परेशानी होती है। एक तो लोगों को परमिट मिलता नहीं और यदि मिल भी जाता है तो उसे सीमेंट हासिल करने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। क्योंकि परमिट तो कटता है ब्लाक से और दुकानें सीमेंट की ब्लाक से काफी दूर होती हैं, इसलिए इस विषय पर हमने पहले भी अनुरोध किया था कि यदि ब्लाक के पास ही इसकी दुकानें हों तो सीमेंट लेने वालों को आसानी हो सके ?

श्री वासुदेव सिंह--

इस आशय के आदेश कर दिये गये हैं कि जहाँ पर विकास खण्ड हों, वहां सीमेंट वितरण की व्यवस्था की जाए। बहुत-सी जगहों पर यह व्यवस्था लागू भी कर दी गयी है। और जहाँ पर अभी नहीं हो सका है वहाँ पर फिर विचार किया जायेगा।

श्री धरम पाल--

जनपद बहराइच में इतनी भयंकर बाढ़ आयी, जिसके कारण बहुत मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, परन्तु सरकार केवल तीन बोरी सीमेंट ही देती है तो क्या उस तीन बोरी सीमेंट से इतनी बढ़ी हुयी क्षति को पूरा कराया जा सकता है, यदि नहीं तो क्या माननीय मंत्री जी कुछ और व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है। पूरी नीति यदि आप इजाजत दें तो मैं बता दूं। उसमें यह सब चीजें आ जाती हैं। मान्यवर, जानकारी लोगों को नहीं है, इसलिए लेना नहीं जानते हैं और हो सकता है अधिकारी भी उन्हें टाल देते हों, करना काफी तादाद में ऐसी अवस्था में सीमेंट देने की व्यवस्था है। सिर्फ जानकारी के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है, यदि पूरी नीति की जानकारी हो जाए तो ऐसी बात सामने न आए।

श्री पंचानन राय--

क्या माननीय मंत्री जी जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं वहां के लिये सीमेंट के विशेष कोटे की व्यवस्था करेंगे क्योंकि 30-35 जिले प्रदेश के ऐसे हैं जहां हर वर्ष बाढ़ आती रहती है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जब जब बाढ़ आयेगी समुचित व्यवस्था करेंगे।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जो लोग सीमेंट के लिये परमिट लेकर जाते हैं उनको दूकानदार के यहां से ऐसी बोरी मिलती हैं जो 50 के0 जी0 के स्थान पर 30 के0 जी0 ही होती है। इसके कारण परमिट

लेने वाला व्यक्ति वहां से न खरीद कर बाहर से अधिक दाम वाली खरीद लेता है । तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो बोरी परमिट पर दी जाये वह सही नाप में हो ?

श्री वासुदेव सिंह—

अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है, अगर कहीं ऐसी बात होगी तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मेंहदी असगर—

जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां के लिये क्या मंत्रीजी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लेवी की सीमेंट वहीं उपलब्ध रहे ?

श्री वासुदेव सिंह—

जहां बाढ़ आयेगी वहां व्यवस्था करेंगे ।

डा० बृजकिशोर मिश्र—

देवरिया जनपद में ओलावृष्टि से तमाम मकान गिर गये और फसलें नष्ट हो गयीं । क्या मंत्री जी देवरिया जनपद के लिये सीमेंट की विशेष व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री नन्दकिशोर सिंह—

इधर लेवी सीमेंट का दाम एक महीने में 5-10 रुपये बोरी बढ़ गया है, क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री वासुदेव सिंह—

अभी तो नहीं बढ़े हैं ।

श्री कुंवरसिंह नेगी—

पर्वतीय क्षेत्रों में सीमेंट ट्रक द्वारा फैक्टरी से लाने पर वह अधिक कास्टली पड़ जाता है, तो क्या मंत्री जी इसकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि रेल द्वारा सीमेंट फैक्टरी से जाया करे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री किरनपाल सिंह—

जो 3 बोरी प्रति राशनकार्ड पर देने की व्यवस्था है और आदेश हैं, पर गांवों में एक परिवार के लिये एक बोरी से अधिक नहीं दी जा रही है । क्या मंत्री जी इसकी जाँच करा कर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आदेशों का सही पालन हो और 3-3 बोरी मिल सके ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

अतारांकित प्रश्न

नगर पालिका गाजीपुर को दिया गया अनुदान

श्री रामनारायण सिंह एडवोकेट—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका

नोट :—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

गाजीपुर को वर्ष 79-80, 80-81 एवं 81-82 में कितनी धनराशि किन-किन मदों के रूप में अनुदान के रूप में दी गई थी और उनका खर्च किन किन मदों में किया गया है। इन वर्षों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट नगरपालिका द्वारा शासन को भेजी गयी है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगरपालिका गाजीपुर को उक्त वर्षों में क्रमशः रु0 3.00 लाख, रु0 4.65 लाख तथा रु0 5.00 लाख का अनुदान सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया था। उक्त स्वीकृत अनुदानों में से वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के अनुदानों का पूर्ण उपयोग सड़क निर्माण एवं मरम्मत के कार्य में किया गया है। वर्ष 1981-82 में स्वीकृत अनुदान रु0 5.00 लाख में से लगभग रु0 4.17 लाख का उपयोग सड़क निर्माण कार्यों में कर लिया गया है तथा शेष धनराशि अनुपयोगित है।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी मद से किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

नगरपालिकाओं से वार्षिक प्रगति रिपोर्ट नहीं वरन् मासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजी जाती है। प्रश्नगत पालिका की मासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम हरदोई के पर्यवेक्षण श्री प्रेम नारायण श्रीवास्तव की सेवा पुस्तिका

श्री राम आसरे वर्मा--

2 क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलग्राम में पर्यवेक्षक पद पर कार्यरत श्री प्रेमनारायण श्रीवास्तव की 18 वर्ष सेवाओं के बावजूद भी इनकी सेवा पुस्तिका तैयार नहीं की गई है जिसके कारण उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है और सेवा पुस्तिका कब तक तैयार करा दी जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहायक मलेरिया अधिकारी श्री टी0 यू0 खान पीलीभीत की सेवा पुस्तिका सेवा पत्रावली एवं हाईस्कूल प्रमाण-पत्र तथा इस विभाग में नियुक्ति के पूर्व नायब तहसीलदार के पद पर कथित आरोप

श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

3 क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहायक मलेरिया अधिकारी (श्री टी0 यू0 खान) जनपद पीलीभीत की सेवा पत्रावली सेवा पुस्तिका एवं हाई स्कूल प्रमाण पत्र सहित समस्त आवश्यक अभिलेख गायब हो गये हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्री खान की सेवा पत्रावली एवं हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की प्रति कार्यालय में उपलब्ध है। उनकी सेवा पुस्तिका उनके पूर्व नियुक्त स्थान बरेली से प्राप्त नहीं हुई है।

श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा--

4 क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में कार्यरत सहायक मलेरिया अधिकारी (श्री टी0 यू0 खान) इस विभाग में नियुक्ति के पूर्व पीलीभीत में ही नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त थे ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में नायब तहसीलदार के पद से डिसमिस कर दिया गया था ? यदि हां, तो इन्हें पुनः किस आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्त किया गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी----

जी हां, श्री खान इस विभाग में नियुक्त के पूर्व सीजनल नायब तहसीलदार के पद पर 15-12-52 से 1-12-55 तक छः सीजन में कार्य कर चुके थे। जिलाधिकारी पीलीभीत ने सूचित किया है कि श्री खान के सम्बन्ध में उनके यहाँ कोई अभिलेख नहीं है। दिनांक 13-8-1956 को तत्कालीन जिलाधिकारी पीलीभीत द्वारा दिए गए एक प्रमाण-पत्र में उक्त अवधि में उनके कार्य एवं आचरण को संतोषजनक बताया गया है तथा उन्हें किसी भी उत्तरदायित्व के पद पर नियुक्त किए जाने की संस्तुति दी गयी है।

5 श्री यदुनाथ सिंह--

---(माननीय सदस्य के सदन की सेवा में निष्क्रमित होने के कारण निरस्त)

समस्त नगरपालिकाओं में पालिका के अकेन्द्रित सेवा के कर्मचारियों का स्थानान्तरण, के शासनादेश का आदेश

श्री राम सागर--

6 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 11-6-82 को शासनादेश द्वारा समस्त नगरपालिकाओं में पालिका के अकेन्द्रित सेवा के कर्मचारियों का स्थानान्तरण अनिवार्य रूप से 5 वर्ष की अवधि के बाद एक काउन्टर से दूसरे काउन्टर करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस आदेश का पालन बाराबंकी नगरपालिका में किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना--

जी हाँ। शासनादेश का दिनांक 16-6-82 है।

जी नहीं।

जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त परिपालन के आदेश दे दिये गये हैं।

बांदा नगर में पाइप लाइन बिछाने का कार्य

प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

7 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगर के कितने मुहल्लों में अभी तक पेयजल की लाइन नहीं बिछाई गयी है और इसके क्या कारण हैं ? कब तक पेयजल की लाइन बिछेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

बांदा नगर के सभी मुहल्लों में पेयजल की लाइन बिछा दी गयी है।

8 प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

---(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

गाजीपुर नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत नजूल लैण्ड पर अवैध कब्जा के विरुद्ध कार्यवाही

श्री राम नारायण सिंह एडवोकेट—

9 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत नजूल लैण्ड कितनी है, कितनी भूमि पर नगरपालिका का कब्जा है तथा कितनी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा लोगों द्वारा कर लिया गया है ? नगरपालिका गाजीपुर द्वारा अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध अब तक कोई ठोस कार्यवाही न करने के क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगरपालिका गाजीपुर के अन्तर्गत कुल नजूल भूमि 36 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी है। 35 बीघा 15 बिस्वा 2 बिस्वांसी भूमि नगरपालिका के प्रयोग में है तथा शेष 19 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि पर 21 व्यक्तियों का अनाधिकृत कब्जा है। इन अनाधिकृत कब्जेदारों में से एक अनाधिकृत कब्जेदार श्री परशुराम के विरुद्ध न्यायालय में वाद विचाराधीन हैं और शेष 20 व्यक्तियों के विरुद्ध पी0पी0 ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश जिलाधिकारी गाजीपुर को दिनांक 8-2-83 को दिए जा चुके हैं।

10 श्री मोतीलाल देहलवी—

(दिनांक 10-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 95 द्वारा उत्तरित)

टाउन एरिया कमेटी बिल्हौर के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव का क्रियान्वयन

श्री मोतीलाल देहलवी—

11 19अगस्त, 82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिल्हौर जनपद कानपुर की टाउन एरिया कमेटी ने जो प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया था उसका क्रियान्वयन अभी तक क्यों नहीं हुआ ? क्या शासन उक्त प्रस्ताव को तत्काल क्रियान्वित करेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

टाउन एरिया कमेटी बिल्हौर ने अपनी बैठक दिनांक 20-3-1970 के प्रस्ताव सं0 3 द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए थे :—

(1) जिन टाउन एरिया कर्मचारियों को वहाँ काम करते हुए एक वर्ष से अधिक हो चुका है, उन्हें स्थाई किया जाता है।

(2) उनका प्राविडेन्ट फण्ड काटा जायेगा जिसके नियम चेयरमैन महोदय द्वारा निश्चित होंगे।

उक्त प्रस्ताव के द्वितीय अंश का पालन किया गया है अर्थात् ऐसे कर्मचारियों की भविष्य निधि की कटौती प्रारम्भ कर दी गई। यह टाउन एरिया कमेटी नगरपालिका घोषित हो चुकी है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रथम अंश के कार्यान्वयन का प्रश्न अब नहीं उठता।

एक्जीक्यूटिव आफीसर नगर पालिका बिल्हौर के भ्रष्टाचार सम्बन्धी पत्र की जांच

श्री मोतीलाल देहलवी—

12 द्वितीय सत्र 82 के 2रे गुरूवार को निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अता0 प्र0 सं0

105 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत मामले में जांच हो चुकी है ? यदि हां, तो जांच कब व किससे कराई गई तथा जांच परिणाम के अनुसार क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हाँ। प्रश्नगत जांच सहायक निदेशक, स्थानीय निकाय से अगस्त 1982 से मार्च 1983 के मध्य कराई गई। सहायक निदेशक की जांच आख्या दिनांक 17 मार्च 1983 विचाराधीन है।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, बिल्हौर द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों के धन का आडिट

श्री मोतीलाल देहलवी---

13 द्वितीय सत्र 82 के 2रे गुरुवार को निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 107 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सहायक परीक्षक स्थानीय निधि लेखा कानपुर ने संबंधित मामले में आडिट कर लिया है ? यदि हां, तो कब और आडिट में क्या-क्या गड़बड़ी पाई गई तथा उस गड़बड़ी के कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना---

जी नहीं। अभी परीक्षक, स्थानीय लेखा निधि, ने आडिट प्रारंभ नहीं किया है। आडिट समाप्त होने के उपरान्त ही अनियमितताओं और उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के बारे में जानकारी हो सकेगी।

परगनाधिकारी-बिल्हौर द्वारा नगर पालिका के अन्तर्गत निर्माण हेतु समान खरीदने की स्वीकृति

श्री मोतीलाल देहलवी---

14 द्वितीय सत्र 82 के 2रे गुरुवार को निर्धारित प्रश्नकर्त्ता के अता० प्र० सं० 21 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उनकी जानकारी में यह तथ्य आये हैं कि शासकीय नियमों का उल्लंघन कर प्राइवेट एजेन्सी से जो सामान खरीदा गया था उसकी स्वीकृति तत्कालीन परगनाधिकारी, बिल्हौर ने दी थी ? यदि हाँ, तो परगनाधिकारी व संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना---

जी हाँ।

जाँच की जा रही है।

15 श्री मोतीलाल देहलवी---

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

मेडिकल कालेज झांसी में कैंसर विशेषज्ञ डा० टी० बी० एल० जायसवाल की नियुक्ति

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

16 क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज झांसी में रेडियो-

थिरेपी का विभाग नहीं है ? यदि हां, तो मेडिकल कालेज झांसी में कार्यरत कैंसर विशेषज्ञ डा0 टी0 बी0 एल0 जायसवाल किस आधार पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

झांसी मेडिकल कालेज में रेडियोथेरापी का अलग विभाग नहीं है। वहां पर रेडियोलोजी का कम्बाइन्ड विभाग है जिसमें रेडियोडायग्नोसिस व रेडियोथेरापी दोनों सम्मिलित हैं। डा0 टी0 बी0 ल0 जायसवाल वहां के रेडियोलाजी विभाग में लेक्चरर के पद पर तैनात हैं।

बाबा राघवदास कुष्ठ सेवाश्रम, देवरिया द्वारा चाइल्ड केयर फंड की कथित योजना

श्री हरिवंश सहाय----

17 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाबा राघव दास कुष्ट सेवाश्रम देवरिया द्वारा सी0 सी0 एफ0 (चाइल्ड केयर फंड) योजना कहां कब से चालू होने जा रही है ? इस पर सालाना कितना धन खर्च होगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

ऐसी कोई योजना नहीं है। अतः इस पर व्यय का प्रश्न नहीं उठता है।

कानपुर देहात के ए0 आर0 के विरुद्ध शिकायती-पत्र

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

18 क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर देहात के ए0 आर0 के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र श्री अजीत कुमार सिंह विधायक तथा अन्य कुछ विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित उन्हें 24-11-82 के आसपास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)--

जी हाँ।

भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की शिकायतें हैं जिनकी जाँच कराई जा रही है।

19 श्री अकबर हुसैन---

(10वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के डा0 जंगबहादुर सिंह सेंगर का स्थानान्तरण

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

20 क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में डाक्टर जंगबहादुर सिंह सेंगर, जूनियर मेडिकल आफिसर को कार्य करते हुए 15 वर्ष से भी अधिक हो गया है ? यदि हां, तो इनकी इतनी लम्बी अवधि तक एक ही स्थान में रखने का कारण क्या है और क्या इन्हें किसी अन्य अस्पताल में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं।

डा0 जंग बहादुर सिंह सेंगर दिनांक 16 फरवरी, 1980 से राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में जूनियर मेडिकल आफिसर के पद पर कार्यरत हैं। इस समय जिस पद पर डा0 सेंगर कार्यरत हैं उसके समकक्ष पद अन्य आयुर्वेदिक कालेजों में स्वीकृत नहीं है। सम्भव हुआ तो वर्तमान सत्र में डा0 सेंगर को इनके समकक्ष संवर्ग में उपलब्ध किसी स्थान पर स्थानान्तरण कर दिया जायेगा।

बलरमपुर अस्पताल लखनऊ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ व जिला अस्पताल बरेली के चिकित्साकर्मियों के पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेष का भुगतान

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

21 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर अस्पताल लखनऊ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ व जिला अस्पताल बरेली में कितनी मैट्रन, सिस्टर, ट्यूटर, सिस्टर एवं स्टाफ नर्स हैं जिन्हें उनका पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेष धन का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? भुगतान न कि, जाने का क्या कारण है तथा उक्त धन को यथाशीघ्र दिलाए जाने के निदेश क्या सरकार जारी करेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ व जिला अस्पताल, बरेली में निम्नलिखित मैट्रन, सिस्टर ट्यूटर, सिस्टर एवं स्टाफ नर्स हैं जिन्हें उनका पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेष धन का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है :

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ	
मैट्रन	1
सिस्टर ट्यूटर	1
सिस्टर	21
स्टाफ नर्स	69
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ	
मैट्रन	शून्य
सिस्टर ट्यूटर	1
सिस्टर	शून्य
स्टाफ नर्स	शून्य
जिला अस्पताल, बरेली	
मैट्रन	शून्य
सिस्टर ट्यूटर	शून्य
सिस्टर	शून्य
स्टाफ नर्स	शून्य

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ के सिस्टर ट्यूटर के पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेष धन के बिल को तैयार करके उसे राजकीय कोषागार लखनऊ को भुगतान आहरण हेतु भेजा जा चुका है जिसका भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाना संभावित है। बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के नर्सिग स्टाफ को उनके पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेष धन का भुगतान न हो पाने का मुख्य कारण यह है कि वहां पर नर्सिग स्टाफ की संख्या अधिक है तथा अवशेष लगभग 3 वर्ष का है इस कारण विलम्ब हुआ हैं।

उक्त धन को यथा शीघ्र दिलाये जाने के निदेश सरकार द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

जिला सहकारी बैंक लि0, बुलन्दशहर द्वारा प्रदत्त मध्यकालीन ऋण सीमा डी0 आर0 डी0 ए0 योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

22 क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, बुलन्दशहर द्वारा मध्यकालीन ऋण सीमा स्वीकृत (डी0 आर0 डी0 ए0 योजना के अन्तर्गत 27-8-82 से 31-12-82 तक) कुल कितनी धनराशि स्वीकार हुई ? उसके अन्तर्गत कितनी धन-राशि सदस्यों को बांटी गयी तथा किस-किस मद में बांटी गयी और अनूपशहर ब्लाक में ऋण वितरण की मात्रा क्या रही ?

श्री बच्चा पाठक--

जिला सहकारी बैंक लि0, बुलन्दशहर द्वारा मध्यकालीन ऋण सीमा डी0 आर0 डी0 ए0 योजना के अन्तर्गत दिनांक 27-8-1982 31-12-1982 तक मु0 रु0 1,15,-55,030 (एक करोड़ पन्द्रह लाख पचपन हजार तीस रुपये) की धनराशि स्वीकृत की गयी और उसमें से रु0 30,37,000 (तीस लाख सैंतीस हजार रुपये) की ऋण राशियां सदस्यों को वितरित की गयी है।

जिनका मदवार विवरण निम्नवत् है :--

प्रयोजन	वितरित धनराशि
1--दुधारु पशु हेतु	20,90,400
2--बैल।भैंस हेतु	43,800
3--मुर्गी पालन हेतु	6,000
4--सुअर पालन हेतु	58,900
5--गोबर गैस हेतु	5,000
6--कृषि यंत्र हेतु	3,000
7--भैंसा बुगी हेतु	6,80,00
8--घोड़ा तांगा हेतु	1,49,900

अनुप शहर ब्लाक में रु0 9,000/- (रु0 नौ हजार रुपये) की ऋण राशि वितरित की गयी है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैरिंग्टनगंज फैजाबाद में दाइयों का प्रशिक्षण

श्री गोपीनाथ वर्मा--

23 क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैरिंग्टनगंज, जनपद फैजाबाद में कितनी दाइयों को वर्ष 1981-82 व 1982-83 में प्रशिक्षण दिया गया ? क्या सरकार ने ऐसी प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों को रुपया 300 प्रतिमाह की दर से वेतन भुगतान किए जाने के आदेश दिए हैं ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र पर दाइयों को किस दर से उपरोक्त अवधि में वेतन भुगतान किया गया तथा कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैरिंग्टनगंज, जनपद फैजाबाद में वर्ष 1981-82 में 20 तथा वर्ष 1982-83 में 21 दाइयों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों को वेतन दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है अत: भुगतान का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री राकेश कुमार उर्फ ठाकुर की गाँधी स्मारक एवं संबद्ध चिकित्सालय, लखनऊ में मृत्यु तथा चढ़ाने हेतु मंगाये गये खून को वापस किया जाना

श्री ऊदल—

24 क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राकेश कुमार उर्फ ठाकुर डी-13, पार्क लेन, हजरतगंज, लखनऊ को चोट की वजह से 3-2-83 से मेडिकल कालेज, लखनऊ में श्री नेकराम शर्मा, भू0 पू0 एस0 एल0 सी0 ने भर्ती कराया था और उसकी मृत्यु 4-2-83 को रात 11 बजे मेडिकल कालेज में हो गयी ? क्या उसका पोस्टमार्टम कराया गया ? यदि हां, तो कितनी चोटें कहां-कहां लगी थीं। क्या वह श्री नेकराम शर्मा का नौकर था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री राकेश कुमार को स्थानीय सिविल अस्पताल से स्थानान्तरण के पश्चात् दिनांक 3 फरवरी, 1983 को सायं 4.00 बजे गांधी स्मारक एवं संबद्ध चिकित्सालय, लखनऊ में श्री मुरारी लाल द्वारा भर्ती कराया गया था तथा दिनांक 4 फरवरी, 1983 को रात्रि 11.55 बजे उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव परीक्षण दिनांक 5 फरवरी, 1983 को कराया गया था। मृतक के शरीर पर निम्नलिखित तीन बाहरी चोटें मौजूद थीं :—

i—खराश एवं नीलगू चोटें 6×1 सेमी0 क्षेत्र में दाहिने कन्धे पर थी।

ii—नीलगू चोट 7×5 सेमी0 क्षेत्र में जिसके बीच में एक चिथड़ा घाव $2\frac{1}{2}\times 1\frac{1}{4}$ सेमी0×हड्डी तक गहरा बायें पिछले ऊपरी सर पर मौजूद था। उसके नीचे हड्डी टूटी हुई थी।

iii—नीलगू चोट 11×7.5 सेमी0 क्षेत्र में दाहिने सर पर सामने मौजूद थी जिसके नीचे सिर की दाहिनी फ्रन्टल हड्डी टूटी हुई थी।

हास्पिटल के अभिलेखों से यह जानकारी नहीं होती कि श्री राकेश कुमार श्री नेकराम शर्मा का नौकर था।

श्री ऊदल—

25 क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राकेश कुमार को खून चढ़ाने हेतु इमरजेंसी के डाक्टरों ने एक बोतल खून मंगवाया था ? वह खून न तो चढ़ाया गया और न वापस ही किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि वह खून कहां गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ। एक बोतल खून मँगवाया गया था। चूंकि रोगी की दशा बहुत गम्भीर थी इसलिए शल्य-क्रिया नहीं की जा सकी और खून नहीं चढ़ाया गया। उक्त खून मृतक के पास उपस्थित पुष्पा द्वारा वापस प्राप्त किया गया। शेष प्रश्न नहीं उठता।

ब्लड बैंक संस्था के संचालक श्री रस्तोगी के विरुद्ध शिकायत

श्री ऊदल—

26 क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लड बैंक एक प्राइवेट व्यक्ति श्री रस्तोगी के हाथ में है जिन्होंने तीन घंटे में खून दिया ? यदि हां, तो देरी का क्या कारण था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

श्री रस्तोगी द्वारा चलाया जा रहा ब्लड-बैंक प्राइवेट संस्था है जिसका राजकीय, ब्लड-बैंक से कोई संबंध नहीं है। प्राइवेट ब्लड-बैंक द्वारा देर से खून दिये जाने के लिए शासन उत्तरदायी नहीं है।

उ0 प्र0 के परिवार नियोजन विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद

श्री बंशीधर---

27 क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-1-83 को उ0 प्र0 में परिवार नियोजन विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों पर स्थानीय व्यवस्था पर प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य लिया जा रहा है ? क्या उनकी स्वीकृति शासन ने दे दी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

प्रश्नगत तिथि को प्रशासनिक अधिकारी के 5 पद रिक्त थे। शेष सूचना एकत्र की जा रही है।

आपूर्ति कार्यालय, गोरखपुर के कर्णिकों के विरुद्ध शिकायत

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

28 क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के पूर्ति कार्यालय से सम्बन्धित किन-किन कर्णिकों के विरुद्ध मई, 1980 से जनवरी, 1983 तक शिकायतें शासन व स्थानीय अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं ? क्या इन शिकायतों में श्री रामवृक्ष क्लर्क का भी नाम है जिसकी जांच डी0 एस0 ओ0 गोरखपुर को मिली हुई है ? यदि हां, तो अब तक जांच कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री वासुदेव सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

29 श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

नगर पालिका झांसी द्वारा नगर के मलिन बस्ती की सफाई

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

30 क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर के हरिजन तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार व स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाने पर क्या निर्णय लिया है ? उक्त कार्य में शासन द्वारा कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

झांसी नगर में हरिजन तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े नागरिक क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार व स्वच्छता बनाए रखने के लिये नगरपालिका झांसी द्वारा खुशीपुरा व तालपुरा में बहने वाले कच्चे नाले को पक्का कराया जा चुका है। नटवली नाले को खोल कर सफाई करा दी गई है। इन्हीं क्षेत्रों में स्थित 27 जन शौचालयों की सफाई प्रतिदिन कराई जाती है।

28 नये प्रकाश स्तम्भ लगाये गये हैं।

इन सब कार्यों में अब तक इस वर्ष कुल रु0 6,82,049/—की धनराशि पालिका द्वारा व्यय की गई है।

जिला अस्पताल बाराबंकी में एक्सरे टेक्नीशियन के पद का स्थायीकरण

श्री प्रदीप कुमार यादव—

31 क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी स्थित जिला अस्पताल बाराबंकी में विगत 22 सालों से कार्यरत एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट को अब तक स्थायी नहीं किया गया ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है और उक्त पद पर कार्यरत टेक्नीशियन को कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ। जिला चिकित्सालय बाराबंकी के लिये सृजित एक्सरे टेक्नीशियन के पद के स्थायीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के स्नातकोत्तर प्रशिक्षणार्थी को रोजगार दिये जाने की मांग

श्री धर्मवीर सिंह त्यागी—

32 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं खुलने के पश्चात् कुल कितने विद्यार्थियों ने अब तक पोस्ट ग्रेजुएशन किया उनमें से कितनों को शासन ने नौकरियां प्रदान की और जो अभी बेरोजगार हैं उनके लिए शासन क्या कुछ करने जा रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, लखनऊ से 27 छात्र स्नातकोत्तर प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुये हैं। इनमें से 17 को विभिन्न सेवाओं में नियुक्त किया गया है। शेष के संबंध में शासन को कोई जानकारी नहीं है।

विभिन्न जिला सहकारी बैंकों द्वारा बिना सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के माध्यम से की गयी नियुक्तियां/पदोन्नतियां

श्री राम गोविन्द—

33 क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों में 25-8-1972 के पश्चात् बिना उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के माध्यम के सीधे बैंक स्तर से नियुक्तियां/पदोन्नतियां की गयी हैं ? यदि हां, तो वर्गवार कुल कितने ऐसे कर्मचारी अब भी कार्यरत हैं ? तथा कितने कर्मचारियों ने 240 दिन की अवधि पूरी कर ली है ? क्या ऐसे कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं श्रमिकों के लिए बने कानून लागू होते हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे कर्मचारियों के सेवाओं के नियमतीकरण का सरकार क्या विकल्प ले रही है ? जबकि ऐसे कर्मचारी 240 दिन से अधिक एवं लगभग 10 वर्ष से कड़ी मेहनत एवं लगन से कार्य कर रहे हैं तथा निर्धारित आयु सीमा भी पार कर चुके हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण/नगर महापालिका द्वारा मलवा संचय शुल्क की वसूली

श्री भास्कर पाण्डेय––

34 क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं0 451/37-2-116 डी0 ए0 180 दिनांक 29 अप्रैल, 81 के अनुसार किसी भी प्राधिकरण को मलवा संचय शुल्क वसूल करने का अधिकार नहीं है? यदि हां, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मलवा शुल्क किस आधार पर लिया जा रहा है। क्या सरकार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री राम सिंह खन्ना––

जी हां।

मलवा शुल्क नगर महापालिका लखनऊ द्वारा वसूल किया जाता है न कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा। विकास प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र पारित करते समय मलवा शुल्क की धनराशि महापालिका की ओर से मानचित्र प्रस्तुतकर्ताओं की सुविधा के लिए जमा करा ली जाती है जिसे अन्ततः महापालिका कोष में जमा कर दिया जाता है।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

टाउन एरिया रुद्रपुर, देवरिया में कार्यालय एवं शौचालय का निर्माण

श्री भास्कर पाण्डेय––

35 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में रुद्रपुर टाउन एरिया के कार्यालय निर्माण एवं शौचालय निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण होगा?

श्री राम सिंह खन्ना––

टाउन एरिया कमेटी रुद्रपुर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है अतः फिलहाल कार्यालय एवं शौचालय निर्माण का कार्य संभव नहीं है।

प्रदेश के नगरों में विद्युत् शवदाह गृह के निर्माण हेतु प्रस्ताव

श्री मित्रसेन तथा श्री माधव प्रसाद––

36 क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के सभी नगरों में विद्युत शवदाह गृह बनाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? प्रदेश के किन-किन नगरों में विद्युत शवदाह गृह की व्यवस्था अब तक की गई है?

श्री राम सिंह खन्ना––

जी नहीं।

वित्तीय साधनों व जनता की मांग तथा आवश्यकता को देखते हुए निर्माण पर निर्णय लिया जावेगा।

अभी केवल कानपुर नगर में विद्युत शवदाह गृह की व्यवस्था की गयी है। इलाहाबाद, लखनऊ तथा वाराणसी नगरों में विद्युत शवदाह गृह के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है।

जिला परिषदों द्वारा संचालित औषधालयों का प्रान्तीयकरण

श्री शंकर सिंह---

37 क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में जिला परिषदों द्वारा संचालित औषधालयों का प्रान्तीयकरण करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उनका कब तक प्रान्तीयकरण हो जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी हाँ। संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार प्रान्तीयकरण की कार्यवाही की जायेगी।

38 श्री शंकर सिंह---

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

जनपद हरदोई में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना हेतु प्रस्ताव तथा स्वीकृत धनराशि

श्री प्रमोद कुमार---

39 क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना हरदोई में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वर्ष 82-83 की योजना में 8 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 9 लाख 60 हजार रुपये का प्रस्ताव था और उसे उच्च स्तरीय नियोजन समिति ने उसी रूप में स्वीकार कर दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि निदेशक, एलोपैथिक ने उसे काट कर 8 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के स्थान पर 2 कर दिया और धनराशि को घटाकर कुल 80 हजार रुपए कर दिया है ? शेष धनराशि को अपनी योजना (ऐलोपैथी) में सम्मिलित कर दिया है यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या सरकार उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी हाँ,

2 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों हेतु स्वीकृत 80 हजार रुपये की धनराशि निदेशक, आयुर्वेद को ही उपलब्ध कराई गई है।

श्री प्रमोद कुमार---

40 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला योजना हरदोई में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए 25 लाख 7 हजार की योजना वर्ष 82-83 में स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो उसमें 2 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 80 हजार रुपए की स्वीकृत धनराशि नियोजन विभाग द्वारा निदेशक, आयुर्वेद को न उपलब्ध कराकर निदेशक, एलोपैथिक को क्यों उपलब्ध कराई गई जब कि दोनों निदेशालय अलग-अलग हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठते।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ताल की पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

41 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर शहर को नगरमहापालिका घोषित करने के बाद रामगढ़ ताल में शहर के प्रयुक्त गंदे पानी के नाले के गिरने संबंधी पत्र पर उन्होंने प्राप्ति की स्वीकृति अपने पत्रांक 1247/न0 वि0 मं0/82

दिनांक 27 नवम्बर 1982 द्वारा किया है, उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि ऐसा नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां।

रामगढ़ताल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना गोरखपुर-विकास प्राधिकरण द्वारा बनायी जा रही है जिसका तलपट मानचित्र मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया जा रहा है। तलपट मानचित्र प्राप्त होने पर यह निश्चित करना सम्भव हो पायेगा कि किस विभाग को योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सा कार्य कार्यान्वित करना होगा।

जनपद गोरखपुर की ग्राम सभा महराजगंज को टाउन एरिया बनाने विषयक प्रार्थना-पत्र

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

42 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 1981 व 1982 के बीच किन-किन ग्राम सभाओं को टाउन एरिया घोषित किया गया है ? जनगणना रिपोर्ट 1981 के आधार पर टाउन एरिया घोषित ग्राम की आबादी क्या है ? क्या नगर विकास मंत्री ने जनपद गोरखपुर व आजमगढ़ के कुछ गांवों की बात लिखते हुए प्रश्नकर्त्ता के पत्र की अपने पत्रांक 1246-1247/ न0 वि0 मं0/82 दिनांक 27 नवम्बर, 82 द्वारा पत्र प्राप्ति की स्वीकृति दी है उस पर जांच आख्या के आधार पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

वर्ष 1981 व 1982 में जनपद आजमगढ़ की किसी ग्राम सभा को टाउन एरिया घोषित नहीं किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की ग्रामसभा महराजगंज को टाउन एरिया बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ था। शासन ने इस प्रस्ताव को विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया है।

श्री रंग प्रसाद त्रिपाठी, फार्मेसिस्ट, महिला चिकित्सालय, डुमरियागंज द्वारा जेल से छूटने के बाद अवकाश स्वीकृत कराकर वेतन का भुगतान

श्री मलिक मो0 कमाल युसूफ---

43 क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रंग प्रसाद त्रिपाठी फार्मेसिस्ट महिला चिकित्सालय डुमरियागंज, बस्ती जो थाना लालगंज बस्ती के निवासी हैं, दिनांक 3 अक्टूबर, 1982 से 4 नवम्बर 1982 तक यू0 टी0 नम्बर 3053 जिला जेल बस्ती में निरुद्ध रहे ? यदि हां, तो किस दफा में ? क्या यह भी सत्य है कि जेल से छूटने के बाद उन्होंने विभाग को धोखा देकर अवकाश स्वीकृत कराकर वेतन प्राप्त किया है ? यदि हां तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

सूचना एकत्र की जा रही है।

44 श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री ओम प्रकाश जिन्दल तथा श्री देवेन्द्र पाण्डेय---
(9वें गुरुवार के लिये स्थगित)

रिफ्रेक्सनिस्ट और फिजियोंथिरेपिस्ट के वेतनमान में कथित असमानता

श्री झिलमिट राम---

45 प्रथम सत्र 1981 के सातवें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि रिफ्रेक्सनिस्टों का वेतन फिजियोथिरापिस्टों के समान 430-685 रुपया के स्थान पर 570-1100 रुपये के समान पुनरीक्षित किये जाने का मामला विचाराधीन है यदि हां तो 26-1-83 तक वेतन 430-685 रु0 के स्थान पर 570-1100 रुपये न करने का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा विभाग में फार्मेसिस्टों स्टाफ नर्सेस के रिक्त पदों पर मेडिकल अटेन्डेन्ट की कथित नियुक्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

46 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के चिकित्सा विभाग में फार्मेसिस्टों स्टाफ, नर्सेस के रिक्त पदों पर नियुक्त एवं कार्यरत मेडिकल अटेन्डेन्ट क्या उपरोक्त पदों हेतु सक्षम हैं? यदि सक्षम है तो इन्हें समान कार्य हेतु समान वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है? यदि सक्षम नहीं हैं तो इनसे फार्मेसिस्ट स्टाफ नर्सेस के पदों का कार्य क्यों लिया जा रहा है?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

फार्मेसिस्ट/स्टाफ नर्स के पदों के लिए मेडिकल अटेन्डेन्ट निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अब मेडिकल अटेन्डेन्ट का सवर्ग समाप्त किया जा रहा है।

ग्राम ककराकलां, बरेली में डिस्पेंसरी खोले जाने की कथित स्वीकृति

श्री नन्द राम---

47 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ककराकलां तहसील फरीदपुर जिला बरेली में एक डिस्पेंसरी खोलने की स्वीकृति शासन द्वारा की थी? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही एवं प्रगति है?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय में आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सा कक्ष की स्थापना व चिकित्सक की नियुक्ति की मांग तथा जिला उप मुख्यालयों पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव

श्री श्यामलाल वाजपेयी, श्री राम औतार दीक्षित तथा डाक्टर श्री रामकृष्ण उपाध्याय---

48 क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के बजट सत्र में मंत्री ने प्रत्येक जिला चिकित्सालय में एक आयुर्वेदिक तथा एक होम्योपैथिक चिकित्सा कक्ष की स्थापना व एक आयुर्वेदिक तथा होमियोपैथिक चिकित्सक की नियुक्ति की घोषणा की थी ? यदि हां तो आयुर्वेदिक कक्ष की स्थापना व चिकित्सक की नियुक्ति अब तक नहीं की गयी ? यदि हां तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामलाल वाजपेयी, श्री राम औतार दीक्षित तथा डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय---

49 क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिला चिकित्सालयों में जनप्रिय आयुर्वेदिक कक्ष की स्थापना व आयुर्वेदिक चिकित्सक की नियुक्ति कब तक कर दी जायगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जिला चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक कक्ष की स्थापना की कोई योजना नहीं है। इस वर्ष जिला उप मुख्यालयों पर 10 आयुर्वेदिक चिकित्सालय यूनानी कक्ष सहित खोले जायेंगे।

प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग

डाक्टर रामकृष्ण उपाध्याय---

50 क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि भूतपूर्व इन्दिरा कांग्रेस शासन में वर्ष 1975-76 में प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय हो चुका था ? यदि हां तो अभी तक प्रदेश में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना न होने का क्या कारण है। क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस आयुर्वेद विश्वविद्यालय का शुभारम्भ कब होगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जे0 के0 कैन्सर इन्स्टीट्यूट, कानपुर में प्रवक्ताओं की तदर्थ नियुक्तियाँ

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

51 क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जे0 के0 कैन्सर इन्स्टीट्यूट कानपुर में जितने भी प्रवक्ताओं की नियुक्तियां हुई हैं क्या वे पद विज्ञापित किये गये थे और उन पदों पर जिन अभ्यर्थियों की तदर्थ नियुक्तियां की गयी थी क्या वे अभ्यर्थीगण उस पद के लिए मेडिकल काउन्सिल आफ इन्डिया के अनुसार योग्य तथा अनुभवी थे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां। राजकीय मेडिकल कालेजों, जिनमें कैन्सर इन्स्टीट्यूट, कानपुर भी सम्मिलित है, के प्रवक्ताओं के पद तदर्थ नियुक्ति हेतु विज्ञापित किये गये थे। इन पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्त अभ्यर्थी मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अर्हता रखते हैं।

लखनऊ स्थित एलोपैथिक सरकारी अस्पतालों में मुख्य लिपिकों का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

श्री ईश्वरशरण विद्यार्थी----

52 विधान सभा के वर्ष 1983 के प्रथम सत्र के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 64 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चालू सत्र की समाप्ति के बाद क्या उक्त लिपिक का स्थानान्तरण लखनऊ जनपद के बाहर हो जायेगा? क्या यह भी बतायेंगे कि 5 वर्षों में मध्य सत्र में ही उक्त लिपिक के स्थानान्तरण पर विचार किया गया और मध्य सत्र के बाद नहीं? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

श्री लोकपति त्रिपाठी----

इस सत्र में सम्बन्धित लिपिक के स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा। पिछले पांच वर्षों में मध्य सत्र में अथवा उसके बाद उक्त लिपिक के स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया गया अतः किसी अधिकारी की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं है।

टाउन एरिया मोहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़ को चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका में वर्गोत्थान हेतु विचार

श्री नन्दकिशोर सिंह---

53 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया मोहम्मदाबाद गोहना जिला आजमगढ़ को चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका में वर्गोत्थान हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री राम सिंह खन्ना---

जी हाँ।

प्रस्ताव पर सम्यक् विचार हेतु जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

54 श्री प्रदीप कुमार यादव---

(3-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के द्वारा उत्तरित)

नगर पालिका शाहजहांपुर में सीवर लाइन योजना की स्वीकृति

श्री सिकन्दर अली खां--

55 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका शाहजहांपुर में सीवर लाइन योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है तथा कार्य कब प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री राम सिंह खन्ना---

जी हाँ।

योजना की स्वीकृति हो चुकी है तथा आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा ।

56 श्री सिकन्दर अली खां नवाब---

(9 वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

स्व0 श्री बलधारी सिंह यादव सहायक संक्रामक रोग अधिकारी के आश्रित की नियुक्ति पर विचार

श्री सुल्तान सिंह---

57 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद के श्री बलधारी सिंह यादव सहायक संक्रामक रोग अधिकारी के पद पर बरेली में कार्यरत थे ? यदि हां तो क्या यह सही है कि सेवाकाल में सहायक 1-9-77 को आकस्मिक निधन हो गया था ? यदि हां, तो राजाज्ञा संख्या 6-12/1973-नियुक्ति (4) दिनांक 21 दिसम्बर 1973 के आधार पर उनके लड़के की नियुक्ति की गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी हां,

श्री बलधारी सिंह के आश्रित द्वारा आवेदन पत्र देने पर उन्हें नियमानुसार कोई नियुक्ति देने पर विचार किया जावेगा ।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र तारुन फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा कर्मचारी संघ द्वारा धरना तथा मांगें

श्री मित्रसेन---

58 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रभारी चिकित्साधिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र तारुन फैजाबाद के डा0 आर0 एल0 जायसवाल के विरुद्ध श्री आर0 ए0 मिश्रा मंत्री, चि0 स्वा0 एवं परिवार कल्याण संयुक्त कर्मचारी संघ शाखा प्रा0 स्वा0 केन्द्र तारुन, फैजाबाद का कोई पत्र दिनांक 26-8-82 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां ? तो उक्त शिकायती पत्र की मुख्य शिकायतें क्या थी एवं शिकायतों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है ? अनियमितता करने एवं दोषी पाये जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी हां। उक्त पत्र में डा0 जायसवाल के विरुद्ध यात्रा भत्ता बिलों में से 50 प्रतिशत वितरण न करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तारुन, के कर्मचारियों की जी0 पी0 एफ0 पास बुक न बनवाना, श्री गया दीन बी0 एच0 डब्लू0 के मेडिकल वेतन में से 30 प्रतिशत लेकर 70 प्रतिशत का भुगतान करना, भविष्य निधि से ऋण प्रदान करने में अनियमितता बरतना, परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने वाली महिलाओं से यात्रा भत्ता 15/—प्रतिकेस लेकर व्यक्तिगत खर्चे में प्रयोग करना तथा आपरेशन कराने वाली महिलाओं से पुनः देखने के लिये फीस लेना आदि आरोप लगाये गये हैं।

उक्त शिकायतों की जांच मुख्य चिकित्साधिकारी फैजाबाद द्वारा कराई जा रही है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री मित्रसेन––

59 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र तारुन फैजाबाद के कर्मचारी संघ ने अपनी कुछ मांगों को लेकर दिनांक 16-12-82 से कोई अनिश्चित कालीन धरना देने का कार्यक्रम चलाया था? जिसकी सूचना दिनांक 14-12-82 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा स्वास्थ्य मंत्री जी को प्राप्त हुई थी ? यदि हां तो धरना देने वाले चि0 स्वा0 एवं परिवार कल्याण कर्मचारी संघ की मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं ? उनके मांग पत्र की कौन-कौन सी मांगें धरना समाप्त करने के लिए स्वीकार की गयी थी ? यदि हां, तो उन्हें अब तक न लागू किये जाने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी––

जी हां, धरना देने वाले चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कर्मचारी संघ की मुख्य-मुख्य मांगें निम्न हैं :––

1. प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 आर0 एल0 जायसवाल के भ्रष्टाचार एवं कर्मचारियों के शोषण के सम्बन्ध में दिनांक 12-7-82 से अब तक दिये प्रतिवेदन पर कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में।

2. डा0 आर0 एल0 जायसवाल को प्रा0 स्वा0 केन्द्र तारुन से तुरन्त हटाकर मजिस्ट्रीयल जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में।

3. डा0 जायसवाल द्वारा हेड 281 बजट का दुरुपयोग करके देय यात्राभत्ता में 50 प्रतिशत कटौती के सम्बन्ध में।

4. श्री सिद्दीकी ए0 एन0 एम0 का मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वीकृत नकदीकरण एवं देहरादून ट्रेनिंग के यात्रा-भत्ता के न भुगतान करने के सम्बन्ध में।

5. डा0 जायसवाल द्वारा कर्मचारियों को परेशान करने के नियत से माह नवम्बर देय दिसम्बर के वेतन के भुगतान न करने के सम्बन्ध में।

6. डा0 जायसवाल द्वारा दाइयों को देय 2/= प्रतिकेस के स्थान पर एक रुपया प्रति दिया जाना एवं फर्जी दाइयों का प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में।

7. कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 पास बुक बनाने एवं बकाया यात्रा-भत्ता एरियर के भुगतान न करने के सम्बन्ध में।

विकास खण्ड राया व बलदेव, मथुरा के प्रा0 स्वा0 केन्द्रों की भवन निर्माण की मांग

धरना देने वाले चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कर्मचारी संघ तारुन की मांग सं0 1-3-6 के सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा उपचार) एवं संयुक्त निदेशक (चिकित्सा उपचार) के द्वारा क्रमशः दिनांक 5.8.82 एवं 15 तथा 16 अक्टूबर 82 की जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। धरना समाप्त करने हेतु किये गये समझौते के अनुसार मांग संख्या-2 कर्मचारी संघ द्वारा स्वयं समाप्त कर दी गई थी तथा मांग संख्या-4, 5 और 7 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

विकास खण्ड राया व बलदेव, मथुरा के प्र0 स्वा0 केन्द्रों की भवन निर्माण की मांग

श्री सरदार सिंह--

60 क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के विकास खण्ड राया व बलदेव में प्राथमिक स्वा0 केन्द्रों की स्थापना हेतु नवीन इमारत बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्यवाही हो जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रदेश के जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अपने भवन नहीं हैं उनके भवनों के निर्माण की एक योजना आय व्ययक में सम्मिलित है, किन्तु यह योजना अब जिला सेक्टर की योजना है। अतः यदि जिला नियोजन समिति द्वारा राया व बलदेव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नवीन भवनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव पारित होकर धन के आवंटन के साथ प्राप्त होता है तो यथासमय उसकी स्वीकृत दे दी जायगी।

विकास खण्ड राया व बलदेव जनपद मथुरा में पेयजल हेतु पानी की टंकी निर्माण कराने की मांग

श्री सरदार सिंह--

61 क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद के विकास खण्ड राया व बलदेव में सभी सरकारी हैण्ड पम्पों तथा कुओं में पानी खारा है ? यदि हां, तो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु शासन इन विकास खण्डों में पानी की टंकी निर्माण कराने की व्यवस्था करेगा ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं।

वर्ष 1972 के जल निगम द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार मथुरा जनपद के विकास खण्ड राया व बलदेव में केवल 91 एवं 44 ग्राम अभावग्रस्त पाये गये हैं। जिन अभावग्रस्त ग्रामों का पानी खारा है, वहां पाइप द्वारा पेयजल सुविधा 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

जनपद मैनपुरी में हरिजन एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों से आवास विकास योजना के अन्तर्गत जमा कराया गया धन

श्री राम आसरे वर्मा--

62 क्या आवास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी में हरिजन एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों से इस जनपद में चल रहे आवास विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980 में भवन प्राप्ति हेतु रुपया जमा करा लिया गया है ? यदि हां तो क्या अब तक जो भवन निर्माण किया गया है उनको प्राप्त करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो बिलम्ब क्यों ? क्या शासन द्वारा इस जनपद में आवास विकास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण कराकर हरिजन वर्ग को इस योजना के अन्तर्गत भवन प्राप्त कराये जावेंगे ? हां तो कब तक ? यदि नहीं तो ऐसा क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा मैनपुरी में वर्ष 1980 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के लिए पंजीकरण कराया गया था जिसमें 36 व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं। मैनपुरी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 में समाविष्ट भूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है और कब्जा प्रसुप्त होने पर इस योजना में भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। परिषद द्वारा हरिजनों के लिए अलग से कोई आवासीय योजना नहीं बनाई जाती है। शासन की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 18 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण है। तदनुसार मैनपुरी योजना में हरिजन वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्बल वर्ग हेतु बनाये गये भवन एवं भूखण्ड

श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी—

63 क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 1983 तक कितने आवास निर्बल वर्ग के लोगों के लिये बनाये गये हैं? उपरोक्त योजना लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री की दिनांक 14 जनवरी 1982 को घोषित करने के पश्चात् कब लागू किया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रामसिंह खन्ना—

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 1983 तक निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए 328 भवन एवं 280 भूखण्ड बनाये गये हैं।

दिनांक 14 जनवरी, 1982 के पश्चात् लखनऊ मध्य क्षेत्र में 144 भवन एवं 635 भूखण्डों के निर्माण की योजना बनाई गई है।

झांसी नगर के परकोटा की दीवार गिराये जाने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

64 क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 18 जनवरी 1983 को सचिव, नगर विकास के माध्यम से शासन को कोई पत्र जिसमें झांसी नगर के परकोटा की दीवार गिराये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया है, जिसे जिलाधिकारी झांसी को कार्यवाही के लिए भेजा गया? यदि हां, तो अभी तक उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी।

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ।

जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत दीवार कैन्टू-मेन्ट बोर्ड एवं मिलिट्री एस्टेट आफिसर आगरा के स्वामित्व एवं अधिकार क्षेत्र में है। जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक जाँच करायी जा रही है।

राजकीय जिला महिला अस्पताल ललितपुर के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

65 क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ संलग्न पत्र श्री कैलाश नारायण पाठक, महामंत्री जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ललितपुर का राजकीय

जिला महिला अस्पताल ललितपुर के डाक्टरों की अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 10 फरवरी, 1983 के आस पास मिला है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र कोपागंज, आजमगढ़ के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री सुखारीराम को पेंशन न मिलने की शिकायत

श्री तपेश्वर राम---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुखारीराम हरिजन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, कोपागंज, आजमगढ़ से सेवा निवृत्त हुए 4 वर्ष हो चुके ? यदि हां तो क्या उन्हें पेंशन मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र के लिपिक श्री सुधाकर पाण्डेय द्वारा उसके पेंशन के कागजात गायब कर दिये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि पैसे के अभाव में उस कर्मचारी को भयानक रोग टी0 बी0 हो गई है ? क्या उसे मृत्यु पेंशन सरकार शीघ्र देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

सूचना एकत्र की जा रही है।

रुदौली क्रय-विक्रय समिति लि0 बाराबंकी में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बंधित शिकायती-पत्र

श्री प्रदीप कुमार यादव---

67 क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि दिनांक 6-11-82 तथा उसके बाद कस्बा रुदौली जनपद बाराबंकी के मोहल्ला पुरा-वसावन के श्री हाफिज अब्दुल हसीब द्वारा रजिस्टर्ड शिकायती प्रार्थना पत्र जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत रुदौली क्रय विक्रय समिति लि0 बाराबंकी में व्याप्त भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सहकारिता मंत्री, जिला अधिकारी बाराबंकी निबन्धक सहकारी समितियों उत्तर प्रदेश लखनऊ जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश जिला बाराबंकी को भेजी गई उन्हें प्राप्त हुई ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या है और शासन द्वारा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बच्चा पाठक---

जी हाँ।

मुख्य शिकायतें निम्नवत् हैं :--

(1) अपने स्तर से ही दो व्यक्तियों की अनियमित नियुक्ति करना,

(2) समिति की कार्यवाही पुस्तिका के अतिरिक्त अन्य कागज पर स्वत: प्रस्ताव पारित करके समिति के खाता संख्या 16 का संयुक्त संचालन के बजाय स्वत: संचालन का निर्णय लेना,

(3) विभाग द्वारा नियुक्त सचिव को बिना विभाग को संदर्भ किये स्वत: कार्य-मुक्त कर देना,

(4) उक्त अव्यवस्था के कारण शीतगृह का निर्माण कार्य आगे न बढ़ना,

(5) बिना नियमित भुगतान आदेश अथवा सचिव की अभ्युक्ति के 998 रु0 का अपने यात्रा भत्ते का भुगतान लेना।

जनपद स्तर से अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी द्वारा शिकायती पत्र की जाँच कराई गई तथा कतिपय आरोप सिद्ध पाये जाने के कारण प्रशासक को हटा दिया गया है।

पौड़ी गढ़वाल के अभावग्रस्त ग्रामों में पेयजल संकट को दूर करने हेतु कार्यवाही

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

68 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत 1972 के सर्वेक्षण के अतिरिक्त कितने ऐसे अभावग्रस्त ग्राम हैं जिनमें पेयजल का संकट है और इन अतिरिक्त ग्रामों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? कब तक इन गांवों को पेयजल संकट से मुक्ति मिल सकेगी?

श्री राम सिंह खन्ना--

1118 ग्राम/किन्तु शासन की वर्तमान नीति के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना काल में केवल 1972 के सर्वेक्षण के आधार पर अभावग्रस्त ग्रामों को ही पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जिसके पश्चात् ही अतिरिक्त अन्य ग्रामों में पेयजल आपूर्ति के लिए व्यवस्था की जानी सम्भव हो सकेगी।

पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की सेवा शर्तों को आकर्षक बनाने की मांग

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

69 क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर सीमान्त जनपदों में सेवारत चिकित्सकों की कठिनाइयों को देखते हुए उनकी सेवा शर्तों को आकर्षक बनायेगी? क्या उन्हें उत्तरोत्तर शिक्षा में प्रवेश, पारिवारिक लाभ तथा छुट्टियों में विशेष छूट देगी ताकि उन जनपदों में चिकित्सक सेवा करने को उत्साहित हों?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम सभा डेढ़गावा विकास खण्ड बरहनी जनपद वाराणसी में जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी आदेश का अनुपालन

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

70 क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा डेढ़गावा विकास खण्ड बरहनी जनपद वाराणसी के पूर्वी छोर का अविकसित सीमान्त ग्राम में जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में संख्या 3979 दिनांक 20-9-82 से मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को किये गये निर्माण सम्बन्धी आदेश का अनुपालन इसी वर्ष हो जायेगा? यदि हां तो कब तक?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद वाराणसी में मेडिकल आफिसर का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

श्रीमती धनेश्वरी देवी---

71 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद में कितने मेडिकल आफिसर ऐसे हैं जिनको जनपद में कार्य करते हुए 5 वर्ष या उससे अधिक हो गया है ? क्या मंत्री जी उन सभी मेडिकल आफिसरों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

वाराणसी जनपद में 19 मेडिकल आफिसर ऐसे हैं जिनको जनपद में कार्य करते हुये 5 वर्ष या उससे अधिक हो गया है। जन हित में आवश्यक हुआ तो इनको अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार किया जायगा ।

जनपद बांदा में नव सृजित टाउन एरियाओं में पदों के सृजन की मांग

श्री रामेश्वर प्रसाद---

72 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद की किन-किन नव सृजित टाउन एरियाओं में अब तक विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया ऐक्ट 1914 की धारा 9 व नगरपालिका ऐक्ट की धारा 71 के प्राविधानों के पश्चात् भी पद सृजन की स्वीकृति शासन से ली जानी आवश्यक है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री राम सिंह खन्ना---

वर्ष 1982 में जनपद बांदा की किसी टाउन एरिया में पद सृजन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। टाउन एरिया में पदों के सृजन की स्वीकृति निदेशक स्थानीय निकाय की संस्तुति के साथ टाउन एरिया का प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्त विभाग की सहमति से प्रदान की जाती है। चूंकि स्थानीय निकाय कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय पर होने वाले व्यय की एक निश्चित प्रतिशत अंशदान शासन द्वारा दिया जाता है अतः पदों के सृजन के लिए शासन की स्वीकृत अपेक्षित है ।

श्री राजीव भार्गव को कर अधीक्षक नगर महापालिका लखनऊ के पद पर तदर्थ नियुक्ति का आधार

श्री राम गोविन्द---

73 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर अधीक्षक लखनऊ नगर महापालिका, लखनऊ के पद पर श्री राजीव भार्गव की तदर्थ नियुक्ति का आधार क्या है और क्या लोक सेवा आयोग से इनका अनुमोदन लिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार इनकी नियुक्ति की समाप्त करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना---

श्री राजीव भार्गव की नियुक्ति कर अधीक्षक नगर महापालिका के पद पर तदर्थ आधार पर शासन द्वारा, उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 के नये नियम 31 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, की गई थी। तदर्थ नियुक्ति सम्बन्धी शासनादेश की प्रति लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है। लोक सेवा आयोग से इनकी तदर्थ नियुक्ति का अनुमोदन अभी तक नहीं हो पाया है। इनकी तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने हेतु अभी कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश की नगर महापालिकाओं में कर अधीक्षकों एवं सहायक नगर अधिकारी की कथित तदर्थ नियुक्ति

श्री राम गोविन्द--

74 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरमहापालिकाओं में सीधी भर्ती में तदर्थ आधार पर कितने कर अधीक्षकों एवं सहायक नगर अधिकारियों की नियुक्ति दिनांक 1-1-80 से 31-1-81 तक हुई और किसके द्वारा हुई तथा नियुक्ति का आधार क्या था और क्या लोक सेवा आयोग से नियुक्तियों का अनुमोदन हुआ ? यदि नहीं तो इसका उत्तरदायित्व किस पर है तथा इन्हें कब तक हटाया जा रहा है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

दिनांक 1 जनवरी 1980 से 31 जनवरी 1983 तक नगरमहापालिकाओं में किसी कर अवीक्षक अथवा सहायक नगर अधिकारी की नियुक्ति तदर्थ आधार पर नहीं की गई है।

कर अधीक्षकों/सहायक नगर अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची

श्री राम गोविन्द--

75 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक स्थानीय निकाय ने क्या वरीयता सूची कर अधीक्षकों एवं सहायक नगर अधिकारियों की नियुक्ति के दिनांक को प्रकाशित करके सभी नगर महापालिकाओं में भेजी थी ? यदि हां तो क्या मंत्री जी उसकी प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना--

हां, निदेशक स्थानीय निकाय ने उत्तर प्रदेश प्रशासी (अधीनस्थ) सेवा के अन्तर्गत आने वाले संविलीन अधिकारियों/कर्मचारियों की अन्तिम संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार कर वर्ष 1978 में सभी महापालिकाओं में भेजी थी। इस सूची में सहायक नगर अधिकारी सम्मिलित नहीं थे क्योंकि ये उ0 प्र0 पालिका प्रशासी (प्रवर) सेवा में आते हैं। उपर्युक्त वरिष्ठता सूची की एक प्रति संलग्न† है।

हल्द्वानी शहर के विकास हेतु स्वीकृत की गयी धनराशि

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

76 क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि हल्द्वानी शहर के विकास के लिए सरकार ने सन् 1979 से 1982 तक कितनी धनराशि दी है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगर पालिका हल्द्वानी-काठगोदाम को प्रश्नगत वर्षों में निम्नलिखित धनराशि सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु विकास मद में स्वीकृत की गयी :--

वर्ष	धनराशि
1979	2,69,000
1980	7,69,000
1981	9,03,000
1982	5,03,000

†छापी नहीं गई।

ग्राम राधाकुण्ड जनपद मथुरा में गौरधाम हाउसिंग सोसाइटी द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं भवननिर्माण तथा भूमि को स्कूल भवन बनाने हेतु दिया गया कथित पट्टा

श्री कन्हैयालाल--

77 क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मथुरा जिला अन्तर्गत ग्राम राधाकुण्ड के किसानों की लगभग 28.90 एकड़ भूमि गौरधाम हाउसिंग सोसाइटी द्वारा अधिग्रहीत की गई थी जिसका कब्जा उक्त हाउसिंग सोसाइटी ने दिनांक 1-6-70 को ले लिया था? क्या यह सच है कि समिति ने उक्त भूमि पर सन् 80 तक कोई रिहायशी मकान नहीं बनाया जिसके कारण सरकार ने उक्त समिति को दिनांक 23-11-73 को धारा 4-ए के उल्लंघन का नोटिस दिया था?

श्री बच्चा पाठक--

मथुरा जिले के ग्राम राधाकुण्ड में श्री गौरधाम सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 द्वारा 28-84 एकड़ भूमि अर्जित की गई जिसका कब्जा 1-6-70 को दिया गया था।

यह कहना सही नहीं है कि समिति के द्वारा कोई आवासीय भवन सन् 1980 तक नहीं बनाए गये। सरकार द्वारा दिये गये नोटिस दिनांक 23-11-73 का उत्तर समिति द्वारा दिया जा चुका है।

श्री कन्हैयालाल--

78 क्या यह भी सही है कि उक्त प्रबन्धक समिति ने उस भूमि के एक बड़े भाग को गोरधाम औद्योगिक सहकारी समिति को कारखाना चलाने हेतु पट्टे पर दे दिया था एवं किसी ट्रस्ट को स्कूल भवन बनाने हेतु पट्टे पर दे दिया है? क्या उसी समिति ने उक्त भूमि पर रिहायशी मकान न बनाकर कार्यालय के मकान बनवा कर स्टेट बैंक एवं डाकखाने इत्यादि को किराये पर दे दिये हैं? यदि हां, तो इन भारी अनियमितता एवं दुरुपयोग के लिए क्या सरकार उक्त साइट के विरुद्ध कार्यवाही करके उस भूमि को उनके पुराने मालिक किसानों को वापिस दिलायेगी।

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायक परिवहन अभियन्ता श्री कृष्णानन्द मिश्रा का कार्यकाल, स्थानान्तरण एवं तकनीकी प्रमाणित योग्यता तथा उक्त पद हेतु अर्हतायें

श्री शंकर सिंह--

79 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य निदेशालय के परिवहन संगठन में कार्यरत श्री कृष्णानन्द मिश्रा, सहायक अभियन्ता पिछले लगभग 10-12 वर्षों से लखनऊ में ही उक्त पद पर तैनात है। यदि हां, तो इस बीच अब तक श्री मिश्रा का स्थानान्तरण अन्यत्र क्यों नहीं किया गया?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के परिवहन संगठन में लखनऊ में श्री कृष्णानन्द मिश्रा,

सहायक परिवहन अभियन्ता, के पद पर दिनांक 11 अप्रैल, 1972 से कार्यरत हैं। कार्य-हित में श्री मिश्रा का स्थानान्तरण लखनऊ से अन्यत्र नहीं किया गया।

श्री शंकर सिंह---

80 क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहायक परिवहन अभियन्ता के पद के लिए वांछित तकनीकी योग्यता क्या निर्धारित है ? और श्री कृष्णानन्द मिश्रा की तकनीकी प्रमाणित योग्यता क्या है ? क्या इस बारे में उप निदेशक (प्राविधिक) या स्वास्थ्य सचिवालय स्तर से हरियाणा सरकार से कोई पूछतांछ कर विभागीय जांच एवं कार्यवाही वर्ष 1982 में की गयी ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या अनियमितता पायी गयी ? पायी गयी अनियमितताओं के लिए श्री मिश्रा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

सहायक परिवहन अभियन्ता के पद के लिये वांछित तकनीकी योग्यता उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य परिवहन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 1981 के नियम 8 में निर्धारित है। इस नियम 8 का उद्धरण परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।* श्री मिश्रा की शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव का विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है। श्री मिश्रा द्वारा प्राप्त जनता इंजीनियरिंग कालेज, करनाल (हरियाणा) के डिप्लोमा के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी थी। जांच अभी भी जारी है। जांच पूरी हो जाने के पश्चात् अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

81 श्री हरिद्वार पाण्डेय---

(मा0 सदस्य ने वापस ले लिया)

हैदर कैनाल लखनऊ के दोनों किनारों पर बसे गरीबों को बसाने हेतु शेखपुर कसैला पुनर्वास योजना का प्रस्ताव

श्री रामधनी---

82 क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित हैदर कैनाल लखनऊ के दोनों किनारे पर बसे गरीबों को बसाने हेतु कोई जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 75-77 में शेखपुर, कसैला, फैजाबाद रोड लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के निकट अधिग्रहीत करके उसकी लेवेलिंग आदि कराकर शौचालय एवं हैण्डपम्प आदि बनवाने का कार्य प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर किन-किन व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गयी थी और वहां पर इस समस्त कार्य का भुगतान संबंधित ठेकेदारों को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना---

वर्ष 1976 में लखनऊ स्थित जी0 एच0 कैनाल के दोनों किनारों पर बसे लोगों को पुनर्वास करने हेतु शेखपुर कसैला पुनर्वास योजना प्रस्तावित की गई थी जिसके अधीन 66.08 एकड़ भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित किये जाने का प्रस्ताव था। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत 7 बीघा नजूल भूमि का अस्थायी रूप से विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण हुआ था जिस पर सार्वजनिक शौचालय कच्चे फुटपाथ एवं नालियों का निर्माण हुआ था।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ.....पर।)

चूंकि अभी भूमि का अर्जन नहीं हुआ है, अतः उक्त क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी भूमि अभी तक आवंटित नहीं की गई । प्रश्नगत क्षेत्र का कुछ कार्य ठेकेदारों को आवंटित हुआ था और उन्हें प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया गया था। आंशिक भुगतान अवशेष है जिसके संबंध में छानबीन के उपरान्त भुगतान कर दिया जायगा।

विकास प्राधिकरण कानपुर द्वारा निर्मित आवासों के आवंटन में आरक्षण

श्री मोतीलाल देहलवी––

83 क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एल0 आई0 जी0 व एम0 आई0 जी0 तथा एच0 आई0 जी0 के आवास 2 अगस्त, 1982 तक कहां-कहां व कितने कितने बनकर तैयार हो चुके हैं और उपरोक्त आवासों में कितने प्रतिशत आवास भू0 पू0 सैनिकों को देने हेतु आरक्षित किये गये हैं? उपरोक्त आवासों में 2 अगस्त, 1982 तक किन-किन स्थानों के आवासों में कितने-कितने प्रतिशत आवास भू0 पू0 सैनिकों को दिए जा चुके हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना––

कानपुर विकास प्राधिकरण के गठन दिनांक 13-9-74 से 2-8-82 तक जिन-जिन क्षेत्रों में भवनों का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया गया था । उसका विवरण संलग्न है।

शासनादेश संख्या-1003-ख/37-168 (मह)/64 दिनांक 19-4-70 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं किया गया था। निम्न श्रेणी के सुरक्षा कर्मचारियों के लिए 15 प्रतिशत का आरक्षण किया गया था ।

(अ) सुरक्षा कर्मचारियों, जो कार्य पर मारे गए, की विधवाओं तथा उनके आश्रितों को।
(ब) सेवा में अयोग्य (डिस एब्लड) कर्मचारियों जो इनवैलिड हैं तथा सेवा में नहीं हैं।
(स) सेवा के भूतपूर्व कर्मचारी।
(द) सेवा में रत कर्मचारी।

शासनादेश संख्या-4156/37-2-18 मिस/78 दिनांक 24-8-81 द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों के लिये 4 प्रतिशत आरक्षण का आदेश दिया गया। इस शासनादेश के अन्तर्गत 4 प्रतिशत में सुरक्षा कर्मचारियों के साथ साथ भूतपूर्व सुरक्षा कर्मचारियों को भी भवन आवंटित किया जाता है।

जिन जिन क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मचारियों को जिसमें भूतपूर्व सुरक्षा कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जितने भवन आवंटित किए गए हैं उनकी संख्या तथा प्रतिशत संलग्न है*। चूंकि भूतपूर्व सुरक्षा कर्मचारियों का अलग से कोई कोटा नहीं था अतः उनकी अलग से कोई सूची नहीं रखी गई।

महावीर छपरा, जनपद गोरखपुर में एक उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

श्रीमती गौरी देवी––

84 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में महावीर छपरा

*(देखिए नत्थी "ख" आगे पष्ठ.....पर।)

नामक स्थान पर एक उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए फरवरी, 82 में सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा ग्राम सभा जंगल रानी सोहास, कुअरी, तहसील सदर, गोरखपुर द्वारा एक एकड़ जमीन प्राप्त कर ली गई है ? यदि हां, तो महाबीर छपरा, गोरखपुर में उच्चकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिसमें 30 रोगी शैय्याओं का प्राविधान होना कब तक कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री के0 पी0 चौधरी मंत्री फारमेसिस्ट एसोसियेशन शाखा, फैजाबाद द्वारा आमरण अनशन सम्बन्धी नोटिस

श्री मित्रसेन---

85 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला चिकित्सालय फैजाबाद में फारमेसिस्ट श्री के0 पी0 चौधरी, मंत्री फारमेसिस्ट एसोसियेशन शाखा फैजाबाद ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उत्पीड़न से विवश होकर न्याय पाने हेतु दिनांक 16-12-82 से आमरण अनशन की कोई नोटिस, तार या प्रार्थना पत्र महा दिसम्बर 82 में शासन को प्राप्त हुए हैं ? और इसी से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त फारमेसिस्ट श्री के0 पी0 चौधरी की मुख्य मुख्य शिकायतें क्या हैं ? जांचोपरान्त उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उसमें कौन-कौन लोग दोषी पाये गये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोण्डा के सहकारी साधन समितियों के सचिवों का निलम्बन

श्री उमेश्वर सिंह--

86-87 क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में सन् 1982 में सार्वन सहकारी समितियों के सचिवों की निलम्बिन की कार्यवाही जिन पर की गयी है उनका नाम, पता तथा आरोप क्या-क्या हैं ?

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में कितने और किस साधन सहकारी समितियों के सचिव हैं जो निलम्बित होने पर अपने स्थान का चार्ज व कागजात दाखिल नहीं किये हैं ? दाखिल न करने का कारण क्या है ?

श्री बच्चा पाठक--

वांछित सूचना मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है, जिसे माननीय सदस्य देख सकते हैं।

श्री धर्मेन्द्र कुमार एकाउन्टेन्ट जिला सहकारी बैंक शाहजहांपुर की निलम्बित अवधि का वेतन भुगतान

श्री सत्यपाल सिंह--

88 क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक शाहजहांपुर के एकाउन्टेन्ट श्री धर्मेन्द्र कुमार सक्सेना का निलम्बन 19-7-79 को मा0 हाईकोर्ट द्वारा अवैध घोषित होने के उपरान्त उनका निलम्बन काल का पूरा वेतन आदि भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

माननीय हाई कार्ट के निर्णय दिनांक 10-7-79 के द्वारा श्री धर्मेन्द्र कुमार सक्सेना आंकिक का निलम्बन अवैध घोषित नहीं किया गया था, अपितु श्रम न्यायालय लखनऊ के निर्णय दिनांक 29-11-77 को रद्द करते हुए वादक नये सिरे से पुनः सुनवाई हेतु श्रमन्यायालय लखनऊ को वापस (रिमाण्ड) किया गया था।

श्री सक्सेना के निलम्बन काल के समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है।

89 श्री हरगोविन्द वर्मा—

(माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त)

90 श्री हरगोविन्द वर्मा—

(माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त)

साधन सहकारी समिति लि0 अनियामंसूरपुर बुलन्दशहर के सचिव लिपिक, आंकिक आदि के विरुद्ध गबन की जाँच एवं विकृत कार्यवाही

श्री छत्तर सिंह—

91 क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0 बुलन्दशहर शाखा खुर्जा पर साधन सहकारी समिति लि0 अनियामंसूरपुर के गेहूं खरीद खाते में से दिनांक 27 व 28 मई, 82 को 13993.80 रु0 का गबन हुआ जिसकी रिपोर्ट समिति सचिव ने थाना जहांगीर, जनपद बुलन्दशहर में जून, 1982 के प्रथम सप्ताह में धारा 409, 420 के तहत दर्ज कराई तथा इसी गबन से संबंधित खाते में उक्त ब्रांच खुर्जा के शाखा प्रबन्धक ने मुबलिक 5000 रुपया भी जमा कराया ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य पाये गये तथा कौन-कौन दोषी पाये गये और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ।

रिपोर्ट धारा, 467, 468 419 तथा 420 के अन्तर्गत दर्ज कराई गई है। समिति के विक्रेता ने रु0 12993.80 तथा प्रशासक श्री राजवीर सिंह ने रु0 1000 जमा किया है। मामले की जांच कराई गई जिसमें पाया गया कि 3 चेक गायब हुए और चेकों का भुगतान लेकर धन का अपहरण किया गया। जांच में समिति के सचिव, गेहूँ खरीद लिपिक, आंकिक तथा विक्रेता दोषी पाये गये। सचिव को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। गेहूँ खरीद लिपिक, आंकिक तथा विक्रेता की सेवाएं समाप्त कर दी गई है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

श्रीमती गौरी देवी—

92 क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती रेशमी, ग्राम छेदी उड़वा, तह0 बांसगांव, जिला गोरखपुर ने नवम्बर, 1982 में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर को दाइयों के प्रशिक्षण में वर्ष 1981-82 अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र भेजा था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमती रेशमी का कोई शिकायती पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त नहीं हुआ। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, जौनपुर में वित्तीय अनियमितता

श्री प्रभूनारायण सिंह--

93 क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि वित्तीय अनियमितता के कारण केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, जौनपुर पूर्णतया घाटे में चल रहा है ? यदि हां तो क्या सरकार बतायेगी कि इस संस्था को घाटे में चलाने का औचित्य क्या है ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हाँ।

केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार जौनपुर संचालन प्रबन्ध के दोष के कारण घाटे की ओर अग्रसर हुआ। इसके सुधार के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है। यह भण्डार अब सुचारु रूप से चल रहा है ।

94 श्री मोती लाल देहलवी---

---(दिनांक 10-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 95 द्वारा उत्तरित)

पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल आफिसरों/फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

95 क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल आफिसरों फार्मेसिस्टों के कब से कितने पद रिक्त हैं ? रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में हो रहे विलम्ब के कारण क्या हैं तथा कब तक पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सालयों में मेडिकल आफिसरों/फार्मेसिस्टों की नियुक्तियां हो सकेंगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल आफिसरों के 416 पद व फार्मेसिस्टों के 48 पद विभिन्न तिथियों से रिक्त हैं। शासन द्वारा पी0 एम0 एच0 एस0 संवर्ग (साधारण ग्रेड) के लिए एक नया पर्वतीय उप संवर्ग सृजित कर लोक सेवा आयोग से प्राप्त चयनित सूची में से उक्त उप संवर्ग में 344 नियुक्तियां कर दी गई हैं। फार्मेसिस्टों के पदों पर नियुक्तियां शीघ्र की जा रही हैं।

96 श्री मोतीलाल देहलवी--

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

अप्रशिक्षित पैथालाजिस्ट प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षण से छूट देकर प्रशिक्षित वेतनमान दिये जाना

श्री राम आसरे वर्मा--

97 क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल फैकेल्टी द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता न रखने वाले कितने चिकित्सा संवर्ग में अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षण से छूट देकर वैकल्पिक वेतनमान प्रशिक्षित का दिया गया है ? क्या प्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बिना पैथालाजिस्ट के कार्यरत हैं, को इस प्रकार की छूट देकर कोई वैकल्पिक वेतनमान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

पूर्ण सूचना अभी भी नहीं प्राप्त हुयी है। सूचना एकत्र हो जाने पर माननीय सदन को दे दी जावेगी ।

शारदा सहायक एवं उसकी पोषक नहरों का पानी मड़हा नदी में छोड़ दिये जाने से फैजाबाद बाराबंकी की सीमा पर बसे गांवों की फसलों की क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

शारदा सहायक एवं उसकी पोषक नहरों का पानी मड़हा नदी में छोड़ दिये जाने से फैजाबाद बाराबंकी की सीमा पर बसे गांवों की फसलों की क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 26 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से मैंने 7 को स्वीकार किया है, जो स्वीकार की गयी हैं, वे इस प्रकार हैं:---(1) श्री प्रदीप कुमार यादव, (2) श्री बदन सिंह, (3) श्री मुहम्मद आजम खां, (4) श्री पंचानन राय, (5) श्री केदार नाथ सिंह, (6) श्री मेंहदी असगर तथा (7) श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी। बाकी को मैंने अस्वीकार किया है।

*श्री प्रदीप कुमार यादव---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जनपद बाराबंकी और फैजाबाद की सरहद पर बसे हुए दर्जनों गांव जिसमें सेरसूलपुर, बेतौली, मांगी, चान्दपुर, सधारपुर खास, गूपुर ऐहार, गोहनियां बकौली बोरवा, मुंडरवा चिरकी आदि के किसानों को मौजूदा फसलें मड़हा नदी में शारदा सहायक परियोजना व उसकी पोषक नहरों का फालतू पानी छोड़े जाने के कारण मड़हा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है जिसके फलस्वरूप किसानों की सारी फसलें बरबाद हो रही हैं और उक्त गांवों में नावें चल रही हैं। ज्ञातव्य हो कि विगत वर्षों में भी उपरोक्त गांवों के किसानों की खरीफ की फसलें मड़हा नदी में अतिवृष्टि, जलभराव से और रबी की फसलें मौजूदा समय की अतिवृष्टि की भांति नष्ट हो गयी थीं।

ऐसी दशा में उपरोक्त गांवों के किसानों पर सिंचाई विभाग द्वारा बरती जाने वाली लापरवाही से संबंधित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन में लाते हुए आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त नहरों के फालतू पानी को मड़हा नदी में न छोड़े जाने के निर्देश देवें और किसानों की फसलों के हुए नुकसान का मुआविजा तत्काल दिलाये जाने का निर्देश देवें।

फ्रीगंज (आगरा) में हुए अग्निकांड के फलस्वरूप टिम्बर व्यापारी की हुयी क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह---

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 16/17 मार्च, 1983 की रात्रि में आगरा स्थित फ्रीगंज के एक टिम्बर व्यापारी की करोड़ों रुपये की इमारती लकड़ी जल कर राख हो गयी। बेचारे व्यापारी और उसके सभी पास-पड़ोसियों ने जिलाधिकारी ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप महा-निरीक्षक पुलिस आयुक्त, आगरा, सभी अधिकारियों से फोन पर सम्पर्क किया पर कोई भी अधिकारी उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ। कोई बाथरूप में था तो कोई अपने पूजा घर में। वे 10 बजे के बाद ही घटनास्थल पर पहुँचे तब सैन्य अग्निशमनकारी दमकल और मथुरा, एटा तथा अलीगढ़ से बुलाये गये। दमकल भी घण्टों तक पानी की तलाश में भटकते रहे। पानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का प्रेशर तब तक बहुत कम हो चुका था और जल संस्थान के हाईड्रन्ट विन्दुओं में पानी उपलब्ध न होने के कारण दूसरे दिन आग बुझ पायी। इस भयंकर अग्निकाण्ड में जल संस्थान व जिले के अधिकारियों द्वारा वर्ती गयी अकर्मण्यता पर आगरा में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

आपके माध्यम से मैं इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न को उठा कर शासन से मांग करता हूं कि इस अग्निकाण्ड के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को कठोर दण्ड दिया जाय।

रामपुर नगर में लगी नुमाइश के अन्तर्गत जुएखाने और कार्निवल के द्वारा लाखों रुपये की लूट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के सवाल की तरफ ले जा रहा हूं।

रामपुर दोहरी गुलामी अंग्रेजों और नवाबों का शहर अपनी गरीबी और बेरोजगारी की खुद में नाकाबिले बयान दास्तान है जहाँ आबादी और सवालात तो बड़े हैं मगर उसका जवाब सरकार से कभी नहीं मिला।

इस गरीब शहर में बड़े जोरों से अधिकारीगण नुमाइश अपनी कमाई के लिये लगवाते हैं जिसमें जुए खाने और कार्निवाल में लाखों रुपए के ठेके देहली कलकत्ता और बम्बई के कार्निवाल ठेकेदार लेकर भारी रकम गरीब शहर के मजदूरों, रिक्शा वाले, बीड़ी मजदूरों का लूट कर ले जाते हैं जो कि इस गरीब शहर की पीठ में छुरा मारने के बराबर है। मैं उनके प्रतिनिधि की हैसियत से मांग करता हूं कि हमारी हालत पर रहम किया जाय, हमें और न लूटा जाय। शासन इस पर प्रतिबन्ध लगाये जैसा कि दूसरी नुमाइशों में इसका न होना सुबूत के तौर पर है। अगर ऐसा न हुआ तो यह आन्दोलन का रूप ले सकता है।

यू0 जी0 सी0 वेतनमान न दिये जाने के फलस्वरूप प्रदेश विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के पुस्तकाध्यक्षों द्वारा दिये जा रहे धरने के संबंध में 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन राय---

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन तथा राज्य सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूँ।

प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालय अध्यक्ष आन्दोलित हैं। उन्होंने अपने संघ के आवाहन पर कल दिनांक 23 मार्च, 1983 से विधान सभा के समक्ष धरना प्रारम्भ कर दिया है। इनके आन्दोलन के कारण छात्रों को पुस्तकालयों से पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में परीक्षायें प्रारम्भ हो गयी हैं तथा कुछ में सन्निकट हैं। पूरे प्रदेश के छात्रों में भारी असन्तोष व्याप्त है, स्थिति अत्यन्त गम्भीर है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनकी प्रमुख मांगें शारीरिक शिक्षा निदेशकों की भांति पुस्तकाध्यक्षों को भी यू0 जी0 सी0 वेतन मान दिया जाना है। शासन ने बार-बार इन्हें आश्वासन भी दिया किन्तु अभी तक इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका है।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि तत्काल इनके प्रतिनिधियों से वार्ता करके इन्हें यू0 जी0 सी0 वेतनमान देने की व्यवस्था की जाय।

ग्राम बेल्हना थाना रोहनिया (वाराणसी) निवासी हरिजनों पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये हमले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री केदार नाथ सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम बेल्हना थाना रोहनिया जिला वाराणसी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक 30-1-83 को हथियारों से लैस तथा तेजाब का प्रयोग करते हुए हरिजनों पर आक्रमण किये जाने, उनकी झोपड़ी फूके जाने तथा गुरु रविदास मंदिर के ध्वस्त किए जाने से रिपोर्ट दिनांक 31-1-83 को धारा 147/148/149/301 323/324/435/295 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत थाना कैन्ट जिला वाराणसी में दर्ज हुआ।

इस अमानवीय आक्रमण से बाबूलाल, करमू, रामजी व पचकोसी घायल हो गये तथा श्रीमती कलकोरा देवी व श्रीमती निर्मला देवी भी घायल हो गयीं। ध्वस्त मंदिर को देखकर जिले में काफी क्षोभ व्याप्त है। इस विवाद की जड़ ग्राम प्रधान का चुनाव है। वर्तमान ग्राम प्रधान की सह से यह घटना घटी है जबकि मंदिर को भूमि ग्राम समाज की नहीं है। वह भूमि एक हरिजन ने रैदास मंदिर के लिए दिया था। अभी तक इस घटना के सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया परिणामस्वरूप वहां पर हरिजनों में भारी असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में शासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु सूचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार कराने का कष्ट करें।

सकोती टांडा शुगर मिल (मेरठ) को बन्द रहने से किसानों के समक्ष उत्पन्न संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मेंहदी असगर--

महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं सरकार का ध्यान लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सकोती टाण्डा जनपद मेरठ का शुगर मिल इस साल नहीं चल पाया है। इस कारण हजारों एकड़ गन्ना खेतों में खड़ा सूख रहा है। पिछले साल का लगभग 50 लाख रुपया मिल पर बकाया है। इस कारण क्षेत्र का किसान आपसी लगान तथा अन्य सरकारी देय सरकार को भुगतान करने में असमर्थ है। उपरोक्त मिल मेरी जानकारी में ऐसी स्थिति में है जो अब चलाया जा सकता है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व को देखते हुए मांग करता हूँ कि मिल को तुरन्त चलाने की व्यवस्था की जाय, किसानों पर सरकारी देय स्थगित किया जाय तथा 50 लाख रुपया बकाया किसानों को तुरन्त दिलाया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शारदा सहायक पोषक नहर में कई महीनों से पानी न मिलने के कारण महोना (लखनऊ) में सूख रही फसलों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

मैं आपके माध्यम से सरकार एवं मा0 सिंचाई मंत्री का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र/महोना के अन्तर्गत शारदा सहायक पोषक नहर के अधिकारियों की उपेक्षा, लापरवाही, धांधागर्दी व भ्रष्टाचार के कारण चनहट, रजौली, मियापुर, गणेशपुर, नौबस्ता नहरों में पिछले कई महीनों से पानी न देने के कारण दस हजार एकड़ जमीन सिंचाई से वांछित है, जिसके कारण फसलें समाप्त हो रही है किसानों की स्थिति दयनीय हो रही है व शासन के प्रति आक्रोश व्याप्त हो रहा है। क्योंकि अधिकारी शारदा, सहायक नहर में पूरा पानी नहीं देते हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि शारदा सहायक पोषक नहर 25-3-1983 से 2 महीनों के लिए बन्द की जा रही है।

मान्यवर, इसी नहर के मि0 मी0 149 से नहर का लगभग 4000 क्यूसैक फालतू पानी गोमती नदी में गिराने के लिए गोमती स्केप बनाया गया है जिसने आस-पास की खेती को काट काट कर नई गोमती नदी बना चुका है, और इससे देवरिया आदि गावों के भी बह जाने का भय है।

मान्यवर, आपके माध्यम से इस लोक महत्व की समस्या पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए क्षेत्र की नहरों को पानी देने तथा गोमती स्केप को पक्का बनवाने की मांग करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सब लोग बैठिए मैंने नियम 301 के अन्तर्गत सात सूचनाओं को स्वीकार किया है। 26 सूचनाएं मिली थी बाकी को अस्वीकार कर दिया है।

लहरपुर (सीतापुर) में सीपेज की समस्या के संबंध में अनशन पर बैठे संसद सदस्य श्री रामलाल राही की मरणासन्न अवस्था के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। कल इस माननीय सदन में सीपेज के प्रश्न को लेकर जो बात सामने आयी थी उसके सम्बन्ध में हमारी पार्टी के संसद सदस्य श्री राही जी कल से लहरपुर में पानी में बैठे हुये हैं और वे रात से बेहोश पड़े हुये हैं। आज सबेरे साढ़े आठ बजे डाक्टर ने उनके मृत होने की सम्भावना की रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट संख्या 183/8665 के आधार लिख दी है। यदि उनकी व्यवस्था सरकार शीघ्र नहीं करती है तो उनकी मृत्यु होने की सम्भावना है। मान्यवर, वे एक ऐसे प्रश्न को लेकर सीपेज वाले पानी में बैठे हैं, माननीय अम्मार रिजवी उसी जिले से सम्बन्ध रखते हैं, वे परिस्थितियों को जानते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि उनकी जो मांगें हैं वे क्या हैं उन्हें आप शीघ्र पूरा करें, वरना उनकी जान को खतरा है, इसके बारे में आपसे व्यवस्था चाहता हूं।..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग बैठें। इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उसके बारे में सुन लें।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्बार रिजवी)—

मान्यवर, सीपेज की समस्या का प्रश्न इससे पहले भी इस माननीय सदन में आया था और उससे पहले भी मुख्य मंत्री जी के सामने यह समस्या आयी थी। हमने उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की है। इसकी पूरी सूचना माननीय राही जी ने मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखकर दी थी। हमारी तरफ से उसके सम्बन्ध में यह कार्यवाही की गई है कि वहां पर ड्रेनेज की व्यवस्था की गई, वहां के किसानों का लगान भी माफ किया गया और जो प्रभावित एरिया है उसके बारे में वहां के लोगों को राहत देने के लिये कार्यवाही शासन के विचाराधीन है। काश्तकारों की जो जमीन नष्ट हो गई है उसे उपजाऊ बनाने के लिये उस पर विचार किया जा रहा है और दूसरे कार्य वहां पर किये जा रहे हैं।

मान्यवर, जो पत्र माननीय राही जी ने लिखा था उसके उत्तर में भी हमने उनसे अनुरोध किया था कि इसमें धरना देने की आवश्यकता नहीं है। सारी कार्यवाही की जा रही है। हमने उनसे कहा था कि आप हमें सुझाव दें। जहां तक जनता को राहत देने का सवाल है, यह शासन किसानों को राहत देने के लिये कृत संकल्प है। फिर भी वे धरने पर बैठे हुये हैं। शासन इस समस्या पर पूरी तरह से सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है साथ ही शासन को सहयोग देने के लिये हम उन लोगों से भी अपेक्षा करते हैं और निवेदन करते हैं।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया बैठें। शासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है।

*श्री फखरे आलम—

राही जी की हालत बहुत चिन्ताजनक है। उनके खत्म होने की सम्भावना है। अगर उनको कुछ हो गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। उनकी हालत बहुत नाजुक है। वे किसी वक्त भी खतम हो सकते हैं। वहां पर हजारों एकड़ जमीन बरबाद हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठें। शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है। आप बैठें।.... (व्यवधान)। कोई चीज नहीं लिखी जायेगी। फखरे आलम साहब बैठें।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन सुन लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, आपका औचित्य का प्रश्न क्या है ? आप लोग अपने-अपने स्थानों पर बैठें। नेगी जी बैठें। कृपया शांत रहें।

*श्री रियासत हुसैन--

मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के एम0 पी0 की हालत जैसा कि बताया गया खराब है, उन्हें पानी में जोंक चिपक गयी हैं और वे मर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से उन्हें समझा-बुझा कर और आश्वासन देकर पानी से निकाल लायें उनकी हालत खराब हो रही है। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। आपस में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की उधर के लोगों से बात हुई। (व्यवधान) जो तथ्य उठाये गये हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। शासन को इसकी जानकारी है इसलिए इस का निर्णय उन पर छोड़ दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

पहले मान्यवर, मुझे राही जी के बारे में कुछ कहना है, आपने मेरा नाम लिया, मैं उस जिले का हूं वहां से मुझे प्रातःकाल टेलीफोन मिला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह हो गया आप औचित्य का प्रश्न लें।

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, मैंने नियम 301 में एक सूचना दी थी हमारे यहां लालगंज, फूलपुर आदि में भयंकर ओलावृष्टि हुई है। इस पर विचार करा दें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, हम आगे बढ़ गये हैं (व्यवधान) सभी सूचनाओं को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं, 7 मैंने स्वीकार की हैं। (व्यवधान) आप बतायें यह किस प्रकार हो सकता है।

विधान परिषद् द्वारा श्री रामयश सिंह विधायक को विशेषाधिकार की अवहेलना का दोषी पाये जाने के निर्णय के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं यह मेरी जानकारी है किसी अखबार पर आधारित नहीं है। वैसे हमारे नियमों में है कि दूसरे सदन में क्या हुआ इस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन एक ऐसा मामला है कि कल विधान परिषद् में एक निर्णय हुआ है यह मेरी निजी जानकारी है वहां की मिनिट्स मेरे पास हैं। विधान परिषद् के माननीय सभापति जी ने इस आदरणीय सदन के एक सदस्य को जिनका नाम राम यश सिंह है, को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशेषाधिकार का दोषी समझा गया है। हमारे नियमों में व्यवस्था है आपको संदर्भित किया जायेगा। मेरे पास वहां के मिनिट्स हैं।

श्री अध्यक्ष--

कोई किसी प्रकार की वहां से कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है जब प्राप्त होगी तो मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। हमारे नियम 65 (ग) में लिखा है "ऐसे मामलों में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो', तो जो भी कल घटना हुई है, आपने व्यवस्था दी उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है जब आयेगा तब आप देखेंगे। मेरा निवेदन है कि उस मामले में माननीय सदस्यों को निर्णय से पूर्व सुन लीजिये। हमारे सदन के एक माननीय सदस्य का मामला है विधान परिषद् में अवहेलना का सवाल नहीं आ सकता है। इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राह्यता स्वीकार करने से पूर्व माननीय सदस्य रामयश सिंह को सुन लें वे यहां बैठे हैं।

श्री मोहन सिंह--

मैंने एक विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी थी...

श्री अध्यक्ष--

आपके विशेषाधिकार की सूचना प्राप्त हो गयी है। नियम यह है कि जो विशेषाधिकार की सूचना आती है उसको मैं अपने यहां परीक्षण करता हूं। उसको देखता हूं उसके बाद जो तथ्य सामने आयेगा जो रिकार्ड इत्यादि है, उसको मैं देखूंगा। दूसरे सदन से किसी प्रकार की कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर मैं विचार करूंगा।

श्री मोहन सिंह---

अखबार में छपा है।

श्री अध्यक्ष--

अखबार से कोई मतलब नहीं है।

श्री मोहन सिंह--

इस आदरणीय सदस्य के प्रति विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी गयी और उनको दोषी मान लिया गया। यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। इस आदरणीय सदन के सदस्य के विरुद्ध कोई प्रकरण विधान परिषद् में नहीं हो सकता। उस पर निर्णय यहां होना चाहिये किसी दूसरे सदन में इसका फैसला करने का अधिकार उनको नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, लेकिन जैसा पहले निवेदन किया था कि मेरे पास उस सदन से किसी प्रकार का कोई कागज, पत्रावली, निर्णय, संस्करण मुझे नहीं प्राप्त हुआ है जिसके बारे में मैं यहां विचार कर सकूं और जब प्राप्त हो जायेगा तब मा0 सदस्यों को अधिकार होगा कुछ कहने का।

23 मार्च, 1983 को श्री हरगोविन्द वर्मा तथा श्री जमुना प्रसाद के सदन से निलम्बन के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, कल जिस समय काम रोको प्रस्तावों के बारे में चर्चा हो रही थी तो उस समय एक अहम मसले को लेकर जिसकी कल से आज तक चर्चा हो रही है और उसको लेकर श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री जमुना प्रसाद को तीन दिन के लिये सदन से निष्कासित किया गया था।

श्री अध्यक्ष—

औचित्य का जो प्रश्न आपने उठाया है, उसमें मा0 यदुनाथ सिंह, हर गोविन्द वर्मा और राम सागर लिखा है तो राम सागर का तो निलबन हुआ नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं उसमें सुधार चाहूंगा और राम सागर की जगह पर जमुना प्रसाद है। यह गल्ती से नाम लिख दिया गया है, तो आपकी अनुमति से यह हो सकता है। इसलिये मेरा अनुरोध सुन लें कि हरगोविन्द वर्मा और जमुना प्रसाद को तीन दिन के लिये निष्कासित किया गया था, इस संबंध में मैं दो पक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं—एक तो यह कि जो निर्णय आपकी पीठ से हो जायेगा....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जांय। मैं स्वय उस समय मौजूद था, आप थे और मा0 सदन के सम्मुख और सदन के नियमानुसार हुआ था। इसलिये मैं इस प्रकार के औचित्य के प्रश्न की आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जायें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, नियमावली के नियम 299(3)-क को देखें।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, आपके निर्णय के बाद जो कुछ मा0 सदस्य कहें तो वह कार्यवाही में नहीं लिखा जाना चाहिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मेरा निर्णय हो चुका है, इसलिये आप बैठ जांय। आप बैठ जांय (व्यवधान) में आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना

(व्यवधान)

(इस समय 12 बजकर 45 मिनट पर दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंके गये तथा नारे लगाये गये।)

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

23 मार्च, 1983 को श्री हरगोविन्द वर्मा तथा श्री जमुना प्रसाद को सदन से निलम्बन के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। अभी श्री राम आसरे वर्मा जब अपनी बात कहना चाहते थे तो श्री खान गुफरान जाहिदी ने खड़े होकर कहा था कि मा0 सदस्य जो बोल रहे हैं उसको लिखा नहीं जायेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पीठ से आदेश होगा या वह आदेश देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया था कि मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठें.... (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अभी औचित्य के प्रश्न के रूप में एक प्रश्न को उठाने के लिए मैंने आपकी अनुमति चाही। यह इतना अहम् मसला था कि तीन माननीय सदस्यों को इस मसले पर कल निकाला गया था तथा अभी राही जी की जिंदगी खतरे में है। उस अहम् मसले पर माननीय सदस्यों का यहां उत्तेजित होना स्वाभाविक था। इस संबंध में आप हमारी नियमावली के नियम 299 का 3 (क) को देखूं और कल की कार्यवाही आप देख लें। कुछ बातें कभी अयुक्तिसंगत हो जाती हैं न चाहते हुए भी। आपका निर्णय शिरोधार्य है, इस पर हमारी कोई टीका-टिप्पणी नहीं है.....

श्री अध्यक्ष--

आप नियमों का हवाला दे रहे हैं, जब मैंने उस पर निर्णय दे दिया तो अब क्या रहा.. (व्यवधान) आप मुझको इसके बाद में बता दीजिएगा, मैं पुनर्विचार कर लूंगा इस पर... (व्यवधान) मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं हूं, वर्मा जी बैठ जाएं।

सदन के कार्यक्रम के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 5 के अन्तर्गत कार्यमंत्रणा समिति ने जो निर्णय किया है, वह इस प्रकार है :--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति वे अपनी दिनांक 23 मार्च, 1983 की बैठक में यह सिफारिश की है कि 25 मार्च, 1983 के बाद विधान सभा का उपवेशन दिनांक 4 अप्रैल, 1983 को हो और उसका दिनांक 4 अप्रैल, 1983 से 7 अप्रैल, 1983 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय--

1--दिनांक 4 अप्रैल, 1983 को

1--किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड असोसिएटेड हास्पिटल (ग्रहण करना) विधेयक, 1981, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार एवं यथा स्थिति उसका पुनः पारण।---आधा घंटा

2---उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1982 पर विचार एवं उसका पारण (अपरान्ह 5 बजे तक)

3--टिहरी बांध के निर्माण से उत्पन्न होने वाली, भयावह परिस्थिति तथा विस्थापितों की समस्या के सम्बन्ध में श्री विद्यासागर नौटियाल द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा।

2--दिनांक 5 अप्रैल, 1983 को

1---असरकारी दिवस (अपरान्ह 5 बजे तक)

2--उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1982 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) पर विचार एवं उसका पारण--आधा घण्टा।

3--जनपद जालौन के क़ोंच नामक स्थान पर गो बध के लिए हजारों पशु बाहर ले जाने के सम्बन्ध में हुई आम सभा पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर सिंह द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा--एक घण्टा।

3--दिनांक 6 अप्रैल, 1983 को

1---आधा दिन-असरकारी दिवस।

2---आधा दिन

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार एवं उसका पारण।

3--पांच बजे से :

श्री गांधी खादी आश्रम, गोरखपुर के कार्यकर्त्ताओं पर नियोजित ढंग से दिनांक 1 फरवरी, 1983 को पुलिस व असामाजिक तत्वों द्वारा की गयी ज्यादती एवं उन्हें जेल में बन्द कर देने के संबंध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा--आधा घंटा।

4--दिनांक 7 अप्रैल, 1983 को---असरकारी दिवस

इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी सिफारिश की है कि उपरोक्त असरकारी कार्यों के लिए, यदि आवश्यक हो, तो संगत नियम या करण को निलम्बित करके श्लाका 15 दिन से पहले कर दी जाय।

श्री रियासत हुसैन--

यह जो 4 तारीख का नम्बर 3 पर आपने कार्यक्रम दिया है--टिहरी बांध के सम्बन्ध में, इसके लिए 1 घंटा का समय रखा गया था, आधे घंटे में तो इसमें कोई चर्चा हो नहीं पाएगी।

श्री अध्यक्ष---

इसको चलने दीजिए। उस समय के अनुसार उस पर विचार कर लिया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों स, जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुनः स्थापित किये जाने पर आपत्ति

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, कल आपने इसको स्थगित किया था और इस कारण से किया था कि जिन मंत्री द्वारा इसका पुरःस्थापन होना था, वह नहीं थे। मान्यवर, आज भी वह नहीं हैं। मान्यवर, मैं आपसे जानकारी यह चाहूंगा कि यह माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री जी को कोई एक एडिशनल पोर्टफोलियो दे दिया गया है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

प्रस्ताव आने दीजिए, उसके बाद में विचार किया जायगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, माननीय सदस्य से, कि कृपया वह क्लेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की डिफनीशन जो है, उसको पढ़ें।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

(व्यवधान)

*श्री गौरी शंकर भैया---

मान्यवर, हमने लिखकर दिया है, हमारी वैधानिक आपत्ति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 123 (2) के आधार पर मैं इस पर आपत्ति करना चाहता हूं। आज जो यह विधेयक आपकी इजाजत से सदन के अन्दर लाया गया है, इसके उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961 की धारा 18 में ये संशोधन करना चाहते हैं, इस विधेयक के पेज 2 पर। मान्यवर, 19 व्यक्ति इसमें जो हैं, ये नामांकित करना चाहते हैं, मान्यवर, जब इनका बजट आया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम नामांकित नहीं करेंगे, अनुमेलित करेंगे। इस आश्वासन

*वक्ता वे भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के साथ हम लोगों ने बजट को पास किया था, तो सदन ने जिस कार्य को स्वीकार कर लिया, उसके विरुद्ध यह विधेयक है और अप्रजातांत्रिक है, इसलिए मान्यवर, इसको पेश किये जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए ।

मान्यवर, इन्होंने अपने बजट के समय यह आश्वासन दिया था कि हम नामांकित नहीं करेंगे, अनुमेलित करेंगे, तो मान्यवर, अब बजट के साथ-साथ यह घोषणा भी सदन की सम्पति हो गयी और कार्यवाही का अंग हो गयी और उसको ध्यान में रखकर बजट को पास किया था और उसके बाद यह आ गया कि ये 19 आदमी जिला परिषद् में नाम निर्देशित करने वाले हैं। मान्यवर, बार-बार सदन में इस तरह के विधेयक आते हैं और बार-बार ऐसे विधेयक का हम लोग घोर विरोध करते हैं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम नाम निर्देशित करने का काम नहीं करेंगे, हम उनको अनुमेलित करने का काम करेंगे । तो मान्यवर, इसके अन्दर मेरी नियम 123 के अन्तर्गत आपत्ति है, इसको सदन में पेश करने की कोई इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसको वापस कर दीजिए मान्यवर।

*श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उसके ऊपर मैं इस विंदु पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या सदन में आश्वासन देने के बाद यह सरकार उस आश्वासन का हनन करते हुये लोकतंत्रीय परंपराओं का हनन करते हुये ऐसा विधेयक ला सकती है जिसके बारे में कुछ दिनों पूर्व विभागीय मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया कि अनुमेलन से चुनाव जिला परिषदों में और क्षेत्र समितियों में किये जायेंगे। लेकिन अब जिला परिषदों में नाम निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया अपनायी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस सदन में आश्वासन देने का मूल्य क्या रहा। अगर आप यहां पर आश्वासन देते हैं, इसी सत्र में देते हैं और आजतक उस आश्वासन को आपने वापस नहीं लिया है तो यह आश्वासन माननीय सदन की संपत्ति बन गया है। क्या इसके प्रतिकूल ऐसा विधेयक लाया जा सकता है ।

सरकार जन विश्वास को खो कर केवल नामनिर्दिष्ट जिला परिषदों में करने जा रही है, यह लोक तंत्रीय परंपराओं के प्रतिकूल है। जब आपने विधेयक पारित किया जिला परिषद् और क्षेत्र समिति विधेयक तो उसमें प्राविधान था कि उन वर्गों को जिनको चुनाव के जरिये उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पायेगा, जैसे महिलायें और निर्बल वर्ग को तो उनको कोआप्ट करके प्रतिनिधित्व दिया जायगा। लेकिन अब उसको समाप्त करके इस विधेयक के जरिये से 19 व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करवे का अधिकार आपको मिल जायेगा और एक दल के 19 व्यक्तियों का नाम यह सरकार नाम निर्दिष्ट करेगी। इस तरह से सब कांग्रेसी वहां जाकर बैठ जायेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि ऐसे लोकतंत्रीय विरोधी विधेयक को यहां पर प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिये।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन् मैं इतनी सी बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि जब इस सदन में ग्राम्य विकास विभाग के लिये ग्रांटस मंजूर की गयी थी तो माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि कोआप्शन किया जायगा नाम निर्देशन नहीं किया जायगा। तो इस घोषणा के बाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदन ने ग्रांट्स मंजूर की। लेकिन तीन ही दिन के बाद जो यह विधेयक रखा गया है और इसमें नाम निर्देशन की बात की गयी। अगर आप उस वक्त घोषणा न करते तो हो सकता था कि माननीय सदन ग्रांट्स को टर्न डाउन कर देता रीजेक्ट कर देता। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कोआप्शन की घोषणा की और ग्रांट्स मंजूर करायीं और तीन दिन बाद ही कह रहे हैं कि नामिनेशन करेंगे। इसमें मेरी आपत्ति है, श्रीमन्, जिसके आधार पर ग्रांट अनुदान मंजूर कराया गया तो क्या तीन दिन बाद ही दूसरी चीज सदन में रखी जा सकती है।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

अध्यक्ष जी, यह एक आम चर्चा का विषय बन जायगा सारे प्रदेश के अंदर। 21 तारीख को ग्राम्य विभाग के अनुदान पर माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी जब माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी के सामने एक प्रश्न रखा था कि क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनाव आप करायेंगे। मान्यवर, आप 21 तारीख की कार्यवाही को देख लें, माननीय मंत्री जी ने माननीय सदस्यों से पूछा था कि किस प्रकार से आप चाहते हैं। तो माननीय सदस्यों ने कहा था कि हम अनुमोदन के तरीके से चुनाव चाहते हैं। तो मंत्री जी ने घोषणा की थी कि इसी पद्धति से होगा। और इस घोषणा के बाद इस सदन के अंदर सभी सदस्यों ने तालियों से इनका स्वागत किया। सभी माननीय सदस्यों ने अपना भाषण देते समय, चाहे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये या कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुये सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया माननीय अध्यक्ष जी, सभी माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी को इस बात का धन्यवाद दिया। अब माननीय मंत्री जी ने धन्यवाद तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आज इस शासन को, इस सरकार को विश्वास है कि क्षेत्र समितियों में, जिला परिषदों में यह पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर सकते, इस कारण से एक साल, डेढ़ साल हो गया, चुनाव नहीं करा रहे हैं। जब माननीय मुख्य मंत्री जी की डांट पड़ी माननीय मंत्री जी पर, इसके कारण से तीन दिन के अंदर, आज श्रीमन् जी एक बार सदन में घोषणा हो जाने के बाद, उसके बाद उनकी अनुदान मांगों को सदन ने पास किया, इस सबके होने के बाद विधेयक आ रहा है।

श्रीमन् यह काला कानून बनेगा, सारे प्रदेश में इससे रोष पैदा हो जायेगा, इससे जन मूल्यों का ह्रास होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को लाने के लिए अनुज्ञा न प्रदान करें। यह प्रदेश विरोधी, जन विरोधी एक कार्य है।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, जो विन्दु माननीय गौरी भैय्या, हुकम सिंह और रियासत हुसैन साहब ने उठाये हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करना चाहता हूँ। मैं अपने को उनसे सम्बद्ध मरना चाहता हूँ। मैं दो विन्दु आपकी अनुमति से इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि जिस विषय पर यहां विचार हो चुका, सरकार की तरफ से उस पर आश्वासन हो चुका, उस विषय पर हमारे नियमों में प्राविधान है कि छः महीने कोई दूसरी चर्चा नहीं हो सकती, तो यह नियमानुकूल छः महीने के अन्दर इस पर चर्चा नहीं हो सकती, उस नियम के विपरीति है। दूसरा विन्दु मैं यह कहना चाहता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूँ कि 21 तारीख को जब माननीय ग्राम्य विकास मंत्री का बजट था, तो ग्राम्य विकास मंत्री ने ऐसी घोषणा की कि क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के चुनाव की प्रक्रिया 2 अप्रैल से शुरू कर दी जायेगी और 31 मई तक खत्म कर दी जायेगी।

श्री मोहन सिंह---

यह सब तो उसी प्रक्रिया की शुरुआत है।

श्री भीखा लाल---

लेकिन अब जिला परिषद् संशोधन और क्षेत्र समिति संशोधन विधेयक आ गया है। इसका मतलब यह है कि जब तक यह विधेयक पास नहीं होगा, जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों के चुनाव कराने की सरकार की मंशा नहीं है। आज कार्य मंत्रणा समिति का कार्यक्रम घोषित किया गया जो 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक है। इससे सरकार की मंशा जाहिर हो गयी कि 7 अप्रैल के बाद, जो सत्र चल रहा है, नहीं चलेगा, तो यह इसी सत्र में इस विधेयक को पास भी नहीं कराना चाहते हैं, यह पास होगा तब जब अगला सत्र चल रह होगा। इससे वह घोषणा माननीय मंत्री जी की कि चुनाव करा दिये जायेंगे, वह भी घोषणा जो है, निर्मूल साबित होगी, वह आश्वासन भी निर्मूल साबित होगा। मैं उनकी नीयत पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सरकार जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों के चुनाव नहीं कराना चाहती है, तब तक नहीं कराना चाहती है, जब तक तिकड़म करके क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों में अपना बहुमत न बना ले। मैं इसके पुरः-स्थापन का विरोध करता हूँ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आप कृपया नियमावली के नियम 140 (2) को देखने का कष्ट करें। मैं कहना चाहता हूँ कि इस नियम के तहत यह संशोधन विधेयक आज सदन में ग्राह्य नहीं हो सकता है। नियमों में व्यवस्था है कि बहुत से विधेयकों पर और बाद के विधेयकों पर आप उसकी ग्राह्यता पर विचार करके अनुमति देते हैं। 140(2) देखने की कृपा करें। कहते हैं "संशोधन सभा के उसी प्रश्न पर किसी पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा।" अब मान्यवर मेरा कहना है कि दो दिन पहले सदन ने विनिश्चय किया, विनिश्चय किया और ग्रांट पास की, उस पर वोटिंग हुई और आश्वासन समिति को भी यह मामला चला गया, आश्वासन समिति में यह विचाराधीन है, तो मेरी आपत्ति साफ हो गयी कि जब यह आश्वासन समिति में चला गया, तो इस पर विचार नहीं किया जा सकता। दूसरे, माननीय मंत्री जी की ग्रांट पर वोटिंग हुई और सदन का विनिश्चय हुआ कि को-आपशन किया जायेगा, नामीनेशन नहीं होगा। इस विनिश्चय के खिलाफ 140(2) के अनुसार कोई संशोधन विधेयक नहीं आ सकता है। यह संसदीय परम्पराओं एवं सदन की मर्यादा के खिलाफ है कि को-आपशन के बजाय 19 लोगों का नामीनेशन यह करने जा रहे हैं। यह कार्य इनका अप्रजातांत्रिक है और संसदीय मूल्यों पर कुठाराघात है। लेकिन 140(2) के तहत यह ग्राह्य नहीं हो सकता है। यह मेरा निवेदन है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री फखरे आलम---

जब मंत्री जी ने यह घोषणा सदन में कर दी कि कोई नामनेशन नहीं किया जायेगा कोआपशन से किया जायेगा। जैसा गुप्ता जी ने कहा यह 140 के विरुद्ध है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यह असंवैधानिक है। इस पर आपको प्रेसीडेन्ट से परमिशन लेनी चाहिये। जब तक प्रेसीडेन्ट की शैंक्शन नहीं लेते हैं इस अमेडमेंट को आप नहीं कर सकते हैं यह आपकी पावर के खिलाफ है। लेजिस्लेटिव पावर के खिलाफ है। यह अमेडमेंट नहीं हो सकता है। यह निराधार है और इललीगल है। माननीय मंत्री जी इसलिये संसदीय कार्यमंत्री को अपना काम सौंपे हैं कि वह हाऊस को फेस नहीं कर सकते हैं।

(श्री केदार नाथ सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

केदारनाथ सिंह, आप बैठें। मैंने सभी नेताओं के विचार को सुना।

श्री केदारनाथ सिंह---

एक प्वाइन्ट छूट गया है जिसका कहना आवश्यक है।

श्री अम्मार रिजवी---

माननीय अध्यक्ष जी, अनुज्ञा मांगने पर औचित्य का प्रश्न उठाया गया। इसमें जो मुख्य बात कही गई वह यह है कि किसी घोषणा के किये जाने के बाद उसके बाद दुबारा कुछ परिवर्तन हुआ। ऐसी बात कही गई किया जा सकता है। यह टेक्निकल मामला आपके समक्ष रखा गया। दूसरा प्रश्न उठाया गया वह यह कि जो 19 लोगों को नामांकित किया जाना है उस पर आपत्ति जाहिर की गई। जो दूसरा प्रश्न है, बाद में जब चर्चा होगी उठाया जा सकता है लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा जिन लोगों को उसके अन्दर रिप्रजेन्टेशन दिया गया है। आप देखें उस वर्ग को ठीक से रिप्रजेन्टेशन जिला परिषद् में पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---

मंत्री जी गलत वकालत कर रहे हैं। इस तरह से नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

कृपया आप लोग बैठें। उधर के मा0 सदस्यों को सुन लिया गया है। अब इनको अधिकार दिया गया अपनी बात कहने का, कहने दीजिये। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

अभी 123(2) पर चर्चा हुई थी। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि संसदीय कार्यमंत्री विधेयक की मेरिट पर बोल रहे हैं। मेरिट के बारे में मेरी आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति विनिश्चय के खिलाफ दूसरा संशोधन नहीं किया जा सकता है, आश्वासन के खिलाफ आपत्ति की है। इस विषय पर आप उत्तर दिलायें। मेरी प्रक्रिया सम्बन्धी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपत्ति है। यह बहुत गम्भीर मामला है। कल आपने कृपा करके इसको वापस कर दिया था। मान्यवर, संसदीय परम्पराओं और आस्था का प्रश्न है इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

श्री अध्यक्ष--

आपने अपनी बात कह दी। अब संसदीय कार्यमंत्री को सुनिये।

श्री अम्मार रिजवी---

मैंने इनकी बात इतनी देर तक सुनी यह दो मिनट नहीं सुनते।

श्री मोहन सिंह--

गलत बात कौन सुने।

श्री अम्मार रिजवी--

हम आपकी इतनी सही बात सुनते हैं तो आप हमारी इतनी गलत बात भी सुन लें।

(व्यवधान)

रिप्रजेन्टेशन यहाँ पर उन व्यक्तियों को दिया गया है जैसे महिलायें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हरिजनों, इन लोगों को दिया गया. . ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इनकी बात को भी सुनना है। निर्णय करने का अधिकार मुझे है। बैठें आप लोग।

श्री अम्मार रिजवी---

एक्स सोजर्स, महिलाओं, हरिजनों और निर्बल वर्ग के नाम पर अगर तकलीफ पहुँचती हो तो. . .

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह आपत्तिजनक है। इसको वापस करायें, मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें। मैंने इधर के माननीय सदस्यों को सुना और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया, वह उत्तर दे रहे हैं। निर्णय तो मुझे करना है कि आप की बात सही है या उनकी बात।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं इनको सुनने के बाद क्या बोलते हैं क्या नहीं, मुझको इससे कोई अभिप्राय नहीं। इसके बाद मैं निर्णय दे सकूंगा। यह शोर मचाने की क्या आवश्यकता है ?

(व्यवधान)

*श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आप ने इनको अपनी बात कहने का अवसर दिया, कह रहे हैं, लेकिन अपनी बात कहने के बजाय हमारे ऊपर यह लांछन लगाना कि हम को महिलाओं, हरिजनों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से चिढ़ है, यह आपत्तिजनक है। इनका को-आप्शन हो सकता है, उनका नामिनेशन करके हरिजनों, महिलाओं को और अपने चमचों को बिठाना चाहते हैं, इस पर आप व्यवस्था दें।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---

एक विधेयक, जिस पर अनुज्ञा चाहते हैं, उस पर माननीय सदस्यों ने कुछ बिन्दुओं पर, नियमों के अनुसार, कान्स्टीट्यूश्नल हवाला दे कर आपत्ति की और उन्हीं बिन्दुओं का उत्तर हम को मिले, यह अधिकार संसदीय कार्य मंत्री को है लेकिन क्या संसदीय कार्य मंत्री उन बिन्दुओं का उत्तर दे रहे हैं या विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, इस पर हमारी आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष---

अनुज्ञा दी जाये या न दी जाय, इस पर विचार किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या---

मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग पर परसों यहां पर चर्चा हुई। मैंने खड़े होकर ग्राम्य विकास मंत्री जी से पूछा कि आप कोआप्सन करेंगे या नामिनेशन करेंगे। उन्होंने कहा कोआप्सन होगा। यहां नामिनेशन की बात आ रही है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह षडयन्त्र कर रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलाया है। आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, रियासत हुसैन जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आपकी बातें जानकारी में आ गयी हैं। इसलिये निवेदन करूंगा कि संसदीय कार्य मंत्रीजी को अपनी बात कहने दें।

(व्यवधान)

आप लोग बैठें।

श्री भीखालाल---

अभी आपने एक व्यवस्था दी। उस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने व्यवस्था दी कि हमने विरोधी दल के नेताओं की बातें सुनीं। उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहना चाहते हैं उनको भी सुनना चाहिये। आपने यह भी कहा कि वह क्या कह रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। मान्यवर, आपका मतलब है। यदि हमारी बातों में विषयान्तर होता है तो आप हमको रोक देते हैं। वह विषय से हटते हैं तो इनको भी रोकना चाहिये।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

गुप्ताजी, आप बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष--

मैं नहीं सुनूंगा। मोहन सिंह जी ने, राजेन्द्र कुमार गुप्त ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उनको मैंने सुना। संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया है। कोई बात ऐसी आयेगी जो सदन से संबंधित नहीं है उसको सुनने के बाद निर्णय दूंगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

(व्यवधान के मध्य) मान्यवर, 123-(2) के परन्तुक को पढ़ लें।

कृतज्ञ हूं कि आपने बोलने का मौका दिया। एक मिनट समय लूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कितनी बार समय लेंगे। एक बार समय ले चुके हैं। दोबारा समय की बात कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, 123(2) के परन्तुक को पढ़ दूंगा। उसकी व्याख्या नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास है। मैंने पढ़ लिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

(व्यवधान के मध्य)--मान्यवर, 123 (2) का परन्तुक है, परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाय कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है को सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण रूपेण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैंने पढ़ लिया है।

*श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, जो विन्दु उठाये जायें उनका संगत उत्तर सदन में दिया जाना चाहिये। आप यह देख सकते हैं कि क्या संगत उत्तर है। मान्यवर, यह संगत उत्तर दे नहीं रहे हैं। 123 (2) के अन्तर्गत हम लोगों ने आपत्ति उठायी है। आपको अधिकार है इस पर चर्चा करवा लें। इसके बाद माननीय मंत्री जी को सुनें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

पहले अनुज्ञा तो प्राप्त हो जाये। उसके बाद चर्चा होगी।

श्री रियासत हुसैन--

अनुज्ञा पर ही तो सारा दारोमदार है।

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय मंत्री जी का भाषण, केवल जो विन्दु प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में हो सकता है, बजट के अनुपूरक भाषण के रूप में नहीं हो सकता। मान्यवर, आज से दो दिन पहले ही इसका बजट पेश हुआ है और माननीय मंत्री जी उस बजट में जो कुछ नहीं बोल पाये थे। आज उसके बारे में कुछ उठा नहीं सकते हैं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने की आज्ञा नहीं दे सकूंगा। आपके सभी नेताओं ने बोल लिया है। मैं अब आप लोगों को बोलने की आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। कृपया अब आप लोग बैठें।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं केवल इस बिन्दु पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि इस सदन का 10 मिनट तकरीबन खराब हो गया और माननीय संसदीय कार्यमंत्रीजी ने सदन को गुमराह किया। जब कोई माननीय सदस्य यहाँ पर सदन की गरिमा की अवहेलना करता है तो आप उसे निष्कासित कर देते हैं। इसलिये मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि माननीय श्री अम्मार रिजवी को भी सदन से निष्कासित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री आजमखाँ साहब, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है और इसे मैंने अस्वीकार कर दिया है। कृपया अब आप बैठें। मैं आप लोगों को बोलने की आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय श्री भीखा लाल जी ने, माननीय श्री मोहन सिंह जी ने तथा माननीय श्री रियासत हुसैन साहब ने उठाया है वह यह है कि इस वक्त इसे सदन में लाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्री जी ने उस समय कोई बात कही थी। अब मान्यवर, उस समय क्या बात कही गई थी यदि मालूम होता तो मैं आपको बताता, बात यह थी। दूसरी बात यह है कि यह सदन पूर्ण रूप से सक्षम है हर बात के ऊपर निर्णय करने में तथा फैसला करने में। मान्यवर, अगर कोई बात सदन के अन्दर न कहकर सदन के प्रांगण के बाहर कही जाय तब तो शिकायत की बात है लेकिन अगर सदन के अन्दर एक बात कही गई, पहले तो यह है कि, जो कार्यवाही हुई है,

उसे देखें और जो मा० सदस्यों ने कहा है, उसे देखें और जो मा० मन्त्री जी ने कहा है 21 तारीख को उसे देखें। उन्होंने क्षेत्र समिति के बारे में बात की है. . . .

(समय 1 बजकर 25 मिनट अपरान्ह)

(घोर व्यवधान)

जिला परिषद् के बारे में बात नहीं की है।

(घोर व्यवधान)

इस सदन को इस बात का अधिकार है कि कोई भी बात वहां पर कहकर. . . .

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के कुछ सदस्य अपने-अपने स्थानों तथा कुछ मेज पर खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं 15 मिनट के लिये सदन की कार्यवाही को स्थगित करता हूं। (इस समय 1 1 बजकर 27 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित हुयी। 1 बजकर 42 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा सदन को दी गयी। 2 बजे पुनः मार्शल द्वारा सदन की कार्यवाही 15 मिनट और स्थगित रहने की सूचना दी गयी। 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही 30 मिनट और स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा सदन को दी गयी। 2 बजकर 45 मिनट पर पुनः मार्शल द्वारा सदन की कार्यवाही 15 मिनट और स्थगित रहने की सूचना दी गयी। 3 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनट और स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा सदन को दी गयी। तदुपरान्त 3 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः प्रारम्भ हुयी।)

श्री शंकर सिंह--

काला विधेयक वापस हो।

(विपक्ष की ओर से कई सदस्य खड़े होकर नारे लगाने लगे काला विधेयक वापस लो) (घोर व्यवधान) (दोनों पक्षों से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये, आप लोग बैठिये। मेरी बात पहले सुन लें। (व्यवधान) आप लोग बैठिये, बैठिये माननीय राणा जी बैठिये।

व्यवस्था का प्रश्न

डा0 बृज किशोर मिश्र--

इंदिरागांधी जिन्दाबाद (व्यवधान) (दोनों तरफ से नारे लगाये जाने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप लोग शांत रहें। (व्यवधान) आप लोग शांत रहें। इधर और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य कृपया सुनें। मैंने फिलहाल इस मामले को जो प्रकरण चल रहा है इस पर रूलिंग को रिजर्व करता हूं और बाद में इस पर निर्णय दूंगा।

दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने वालों को गार्डों द्वारा पीटे जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(समय 3 बजकर 16 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। हम आगे बढ़ें (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

इस प्रश्न के संबंध में नहीं दूसरे विषय में है।

मान्यवर, जब यहां पर यह बहस चल रही थी उस वक्त हमारे पीछे की दीर्घा से कुछ पर्चे आये और दीर्घा से दो नौजवानों को पकड़ा गया जब आपने हाऊस को एडजोर्न किया। हमने लोबी में देखा कि उन दो नौजवानों को बुरी तरह से मारा गया, उनके गुप्तांगों में मारा गया। उनकी घड़ियां छीन ली गयी। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं जहां तक दीर्घाओं से पर्चे फेंकने का सवाल है उसमें आपके गार्डों का कर्तव्य है कि उनको पकड़ें लेकिन उनको इतनी बुरी तरह से पीटा जाना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी जांच करूंगा जो माननीय शंकर सिंह जी कह रहे हैं इसको देखूंगा। अब हम आगे बढ़ें।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अंतर्गत मुझे कुल 23 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री का पहले से चला आता है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री मोहन सिंह, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मसरूर जाफरी, श्री गोपीनाथ वर्मा श्री परमाई लाल, श्री मुख्तार अनीस, श्री सत्यपाल सिंह, श्री मित्र सेन, श्री ललू सिंह चौहान, श्री विद्यासागर नौटियाल, श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन, श्री राम गोविन्द, एवं श्री भीखालाल की असामाजिक तत्वों द्वारा अमृत प्रभात कार्यालय में घुसकर पत्रकार पर हमला किये जाने के संबंध में है।

उसके आगे श्री मुहम्मद आजम खां की, मुरादाबाद में एक बालिका के साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में जो विचाराधीन था, वह भी है।

श्री राम गोविन्द की पुलिस द्वारा बलिया जनपद स्थित विजय टाकीज सिनेमा हाल के कर्मचारियों को पीटने के संबंध में है। इसी में श्री गौरी शंकर भैय्या, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री राम नरायण एडवोकेट, श्री अकबर हुसैन, श्री रियासत हुसैन, श्रीमती गौरी देवी, श्री भगवान दीन कुशवाहा, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री लटूरी सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री चन्दन सिंह, श्री कुवेर भंडारी, श्री गोपीनाथ वर्मा का भी है। और श्री नंद किशोर सिंह को, फारमेसिस्टों का सेवाकालीन प्रशिक्षण मध्य में रोके जाने के संबंध में है।

अगली सूचना श्री तपेश्वर, राम सागर, श्री रामधनी, श्री ऊदल और श्री जटाशंकर सिंह ने आयुर्वेदिक/यूनानी छात्रों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में दिया है।

आगे श्री मोती लाल देहलवी की जनपद रायबरेली के थाना शिवगढ़ की पुलिस द्वारा हरिजनों को परेशान किये जाने के संबंध में है।

उससे आगे श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ की सूचना प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पुस्तकाध्यक्षों द्वारा धरना दिये जाने के संबंध में है।

उससे आगे श्री हुकम सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री धर्मवीर सिंह की जनपद मुजफ्फर-नगर में बुढ़ाना गन्ना सहकारी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार के सबध में सूचना है।

उससे आगे श्री खैरुल बशर की, आजमगढ़ में किसानों से कर्जों की जबरन वसूली के संबंध में है।

उससे आगे श्री किरनपाल सिंह, श्री बदन सिंह, श्री मेंहदी असगर की सूचना बुलन्द-शहर में पुलिस द्वारा किसानों पर लाठी चार्ज किये जाने के संबंध में है।

उससे आगे श्री रेवती रमण सिंह, श्री मुख्तार अनीस, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्रीमती गौरी देवी और श्री हरीकिशन श्रीवास्तव की इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असाधारण स्थिति के उत्पन्न होने के संबंध में है।

इस प्रकार नियम 56 में 23 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें जहाँ तक श्री तपेश्वर की सूचना का संबंध है तो इसमें वक्तव्य हो चुका है।

जहाँ तक सुनने की बात है तो दूसरी सूचना जो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और बहुत से मा0 सदस्यों की सूचना है उस पर सुनूंगा।

उसके बाद श्री मुहम्मद आजम खां की सूचना पर और श्री राम गोविन्द की सूचना पर मैंने फिलहाल सुनने के लिये तय किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने कार्य स्थगन की सूचना दिया है।

श्री अध्यक्ष--

ग्राह्यता पर केवल संक्षेप में आप बोलेंगे। (व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, यह इतना गंभीर विषय है कि अब इस प्रदेश में इस शासन के रहते स्वतंत्र पत्रकारिता और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिये एक गंभीर संकट पैदा हो गया है। मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल अमृत प्रभात, लखनऊ के कार्यालय में श्री रवीन्द्र जायसवाल जो पत्रकार हैं उनके ऊपर कुछ लोगों ने, जिनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो अपने को कांग्रेस युवा दल का नेता बताते हुये संघात्मक हमला किया। (व्यवधान) मान्यवर, जायसवाल का अपराध इतना था कि इस लखनऊ में राजधानी में डालीगंज में एक अवैधानिक निर्माण के खिलाफ एक छोटा सा समाचार निकाला था जिससे पत्रकार पर हमला किया गया, वह निंदनीय है, लेकिन उसके बाद जो गंभीर प्रकरण हुआ है उसमें मैंने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है ।

मान्यवर, यह घटना हुई, उसके बाद सभी लोग मुख्य मंत्री के यहां गये, 2 घंटे के बाद मुख्य मंत्री से भेंट हो सकी, लेकिन जितने अखबार के कर्मचारी वहां गये, जो 600 थे, उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है कि तत्काल वहां अखबार के लोगों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आयी और अपराधियों को पकड़ा तो उन्होंने कहा कि हम युवा कांग्रेस के लोग हैं, इस पर पुलिस ने सभी को छोड़ दिया ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह पहली घटना नहीं है। इसी तरह जागरण अखबार, कानपुर में घटना हुई, मैं उसका संदर्भ देना चाहता हूं कि कानपुर में दो हत्यायें कर दी गयीं। एस0 डी0 एम0, फैजाबाद का मामला यहां आया था, उसके पहले अमृत प्रभात, फैजाबाद के श्री राम दत्त त्रिपाठी, जो पत्रकार हैं, उन पर मुख्य मंत्री के प्रचार सचिव द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया। यह सब हो रहा है। लेकिन सरकार उनको कोई संरक्षण नहीं दे रही है। मैं अपनी बात समाप्त करने के पूर्व आपको यह बताना चाहता हूं कि इन अखबारों वालों की मांग है कि उनको संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। वे रात्रि में जब ड्यूटी पर जाते हैं तो उनकी रक्षा कीजिए। इन हमलावरों को अब तक नहीं पकड़ा गया है। यदि यह हमलावार युवा कांग्रेस के लोग हैं तो इनको दंडित किया जाए और मैं मुख्य मंत्री जी से यह भी चाहूंगा कि क्या ऐसे लोगों को आप अपनी पार्टी से निकालने की कृपा करेंगे।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप केवल इसकी ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

रात्रि में जब यह अखबार वाले अपनी ड्यूटी पर या अपने संवाददाता के काम से जाते हैं तो उनका जीवन असुरक्षित बना रहता है। इस बारे में मुख्यमंत्री ने बार नार आश्वासन दिया है कि अखबार वालों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाएगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उनकी रक्षा के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रबन्ध किया है ? आज उस घटना के कारण नगर से अखबार नहीं निकले हैं, पांच-पांच समाचार पत्र आज बन्द हैं। उनके सारे पत्रकार और गैरपत्रकार कर्मचारी एकजुट हैं।

(श्री मुईद अहमद के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)--

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक भाषण चल रहा है, तो उसमें बोलने की कोई बात नहीं है । माननीय गुप्त जी केवल ग्राह्यता पर बोलें नहीं तो मैं आज्ञा नहीं दूंगा ।

श्री मुईद अहमद---

यह ग्राह्यता है या चर्चा कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, यह विषय सदन में तत्काल, सम्भव अवसर पर यहां उठाया गया है और अभी कल ही की घटी घटना पर है, इसलिए अविलम्बनीय है। लोकमहत्व का इसलिए है कि इसके कारण से 5 अखबार नहीं निकले हैं और आज उन्होंने हमारे प्रश्न प्रहार का भी बहिष्कार किया है। यह मुख्य मंत्री जी के आश्वासनों के भी खिलाफ है। इसलिए मैं अपनी बात पर बल देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कार्यस्थगन के रूप में स्वीकार करके इस पर चर्चा करा दें। हम अपने संसदीय अधिकार के तहत सेंसर के रूप में इसको लाना चाहते हैं। आप कार्य-स्थगन के रूप में इस पर चर्चा करा दें।

(व्यवधान) (कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

इस पर मैंने एक माननीय सदस्य का सुन लिया है.... (व्यवधान)

श्री मोहन सिंह---

सभी अखबार के लोग मुख्य मंत्री के घर पर प्रदर्शन करने गये थे, लेकिन वह उनसे नहीं मिले। पहले जो पत्रकार की हत्या हुई है उसका भी हत्यारा आजतक नहीं पकड़ा गया है। यदि इस तरह से यह सरकार अपनी नाक के नीचे संवाददाताओं और अखबारवालों की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस---

(× × × × ×) ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं, कोई शब्द नहीं लिखा जाएगा ... (घोर व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस---

(× × × × ×)

(श्री मुख्तार अनीस श्री विजयसिंह राना, श्री भीखालाल आदि कई सदस्य अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलते रहे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने अपनी बात कह दी है और हमारे सामने सारे तथ्य आ गये हैं, तो अब इस पर नई बात आप क्या कहेंगे। इसमें नई कौन सी बात है ? ग्राह्यता पर आपने कह दिया है, अब आप हमें उस पर निर्णय करने दें।

श्री भीखा लाल---

मुझे एक बात कह लेने दीजिए, बहुत जरूरी है....

श्री अध्यक्ष---

आप बोलेंगे तो और सदस्य भी अपनी बात कहना चाहेंगे, जो हमारे लिए मुश्किल होगी।

श्री भीखा लाल---

आपने नाम ले लिया है तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, आप कहिये।

श्री भीखा लाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अविलम्बनीय घटना है, क्योंकि कल ही हुई है और यह लोक महत्व का प्रश्न इस वजह से बनता है कि आज पत्रकारिता के जगत में आज लखनऊ में प्रकाशित होने वाले कोई भी अखबार नहीं निकले हैं सिवाय दो अखबार जो कांग्रेस पार्टी के हैं।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

"आज" निकला है।

श्री भीखा लाल---

"आज" लखनऊ से नहीं निकलता है, "आज" कानपुर से निकलता है।

मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न इस वजह से है कि यह शासक पार्टी की तरफ से पत्रकारिता के ऊपर हमला है। मान्यवर, स्वतंत्र पत्रकारिता के ऊपर हमला श्री जगन्नाथ मिश्र, मुख्य मंत्री, बिहार ने अपने पाश्विक बहुमत के बल पर एक कानून पास करके स्वतंत्र पत्रकारिता पर रोक लगाई, उस पर जो प्रतिक्रिया देश में हुई, उसको सभी जानते हैं, और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय श्रीपति मिश्र अराजक तत्वों के बल पर स्वतंत्र पत्रकारिता पर रोक लगाकर श्री जगन्नाथ मिश्र से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर कुछ कहने लगे, जो सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग बैठें, अब हो गया। आप लोग बैठिये न, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप लोग बैठिये।

(व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राह्यता पर ही कहूंगा। यह घटना कल घटी, जाहिर है कि जो कल घटी, तो अविलम्बनीय है। यह पत्रकारों और पत्रकारिता से संबंधित है, इसलिए लोक महत्व की भी है। प्रश्न यह है कि आपके कार्य स्थगन का मतलब केवल यह होता है कि इस घटना के प्रति शासन सतर्क है, जागरुक है, अपनी आवश्यक और अनिवार्य कार्यवाही कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है, तो उसको कार्य-स्थगन के द्वारा, उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है, अन्यथा कोई

नोट :---(×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवश्यकता उसकी नहीं होती है। एक प्रेस क्लब की सिलवर जुबली प्रेस क्लब में मनाई जा रही थी, मैं वहां मौजूद था और वहीं से सभापति, विधान परिषद् के यहां भी कोई फंकशन था, उसमें जाना था। जैसे ही मुझको इस घटना की सूचना मिली, पूरी सूचना नहीं, केवल इतनी बात का पता प्रेस क्लब में चला, प्रेस क्लब को जो वहां विक्रम राव जी संचालित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई पायनियर में, किसी जगह पर, कोई ऐसी घटना हुई है, तुरन्त हम लोगों ने वहां से भेजा, यह घटना नहीं बताई, यह बताया कि कोई हल्ला झगड़ा वहां पर हो रहा है, तुरन्त ही वहां पर लोग गये।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठें।

श्री श्रीपति मिश्र--

उसके बाद जैसे ही मुझे सचिव ने आकर बताया कि हमारे यहां कर्मचारी, उनके नेता, पत्रकार, सब लोग करीब चार-पांच सौ की तादाद में हमारे यहां घर पर गये हुए हैं, मैं फौरन घर गया और मान्यवर, ये हमारे घर के सामने लोग थे, मैं घर पर खिड़की से नहीं गया, ये जो उत्तेजित, आक्रोश में, आवेश में थे, मैं उनके बीच में, उनके साथ होते हुए, उनसे मिलता-जुलता और सबको अपने घर के अन्दर, फाटक के अन्दर ले गया कि आप सब आइये, यहां पर बात कीजिए। और उस वक्त जो उनके नेता थे, उन्होंने मुझसे कुछ अपनी मांगें बतायीं, अपनी मांगें पढ़कर अपनी बात सुनायी। उन मांगों में से जो भी मांगें थीं उनको मैंने सुना और उनकी मांगें मानी। 500 लोग गवाह हैं जो उनके नेता थे उन्होंने कहा, हालांकि उसको यहां पर कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन वह यह कह रहे थे कि जैसे खबर मिली 5 मिनट के अंदर पुलिस वहां गयी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह गलत है। (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठिये।

श्री श्रीपति मिश्र--

तो पुलिस वहां पर गयी है।

श्री मोहन सिंह---

बदमाशों और प्रबंधकों ने भगा दिया।

श्री श्रीपति मिश्र--

वह लोग प्रबंधकों से कुछ कहने आये थे और जब पुलिस गयी और कर्मचारियों से बातें कर रही थी तो उसी बीच में जैसा कि अमृत प्रभात के श्री राम दत्त त्रिपाठी (ऐसा ही कुछ नाम है) उन्होंने कहा,

श्री मोहन सिंह---

उमाशंकर मिश्र और राम दत्त त्रिपाठी। (शोर)

श्री श्रीपति मिश्र––

मेहरबानी करके आप मेरी बात सुनें। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग आये थे उन्होंने अपने को कांग्रेस (आई) युवक कार्यकर्ता और नेता बताया। उन्होंने इसके साथ-साथ यह भी कहा कि मैं नहीं कहता कि वह थे कि नहीं थे कांग्रेस (आई) के।

(शोर)

श्री अध्यक्ष––

आप लोग बैठें। आपको सुनना चाहिये।

श्री श्रीपति मिश्र––

उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वह रिपोर्ट लिखाते रहे और यह बात करते रहे तब तक प्रबंधकों ने पुलिस वालों से क्या बात की कि वह लोग चले गये। हमको सांठगांठ का संदेह है प्रबंधकों और पुलिस के बीच में। उन्होंने यह भी कहा। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिये इस तरह की कई घटनायें हुयी हैं इनको देखना चाहिये। मैंने आश्वासन दिया कि गुंडे गुंडे हैं, वह किसी बिरादरी, किसी जाति या धर्म के नहीं होते। उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

(मेजों की थपथपाहट।)

मैंने उनसे यह भी कहा कि पुलिस जब वहां पहुँची तो पुलिस को पकड़ना चाहिये था। मैं इस सांठगांठ की जांच कराऊँगा कि प्रबंधकों ने किस तरह सांठगांठ की। पुलिस पहुंची थी तो वह अपनी कार्यवाही करती। अगर प्रबंधकों ने कोई ऐसी बात की जिसकी वजह से यह हुआ तो प्रबंधकों की भी जांच करायी जायगी। पुलिस को हर जगह, चाहे पत्रकारों का स्थान हो, चाहे यूनीवर्सिटी का स्थान हो, चाहे दूसरा स्थान हो जहां भी पुलिस बुलायी जाती है और वह एक कदम आगे चली गयी या एक कदम पीछे चली गयी तो उसको निष्क्रिय कहा जाता है। ऐसी तलवार की धार पर पुलिस वाले को काम करना पड़ता है, इसको मैं सामने रखकर भी जांच कराऊँगा पुलिस की कि कैसे हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा कैसे की जाय तो मैंने कहा कि आप अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आयें। किस टाइम आफिस का काम बंद होता है कैसे व्यवस्था की जा सकती है? सारा डिटेल प्रपोजल दिया जाय और उस प्रपोजल के हिसाब से हम कोई बस का इन्तजाम पेट्रोलकार का इंतजाम, सुरक्षा इन्तजाम जो डेफनिट प्रपोजल होगा, उसका प्रबन्ध करेंगे। इस तरह से उन्होंने यह कहा कि पकड़ने का . . . इन्क्रोचमेंट दूर करने का प्रबन्ध कीजिये, उनको आश्वासन दिया गया और आश्वस्त किया कि इन्क्रोचमेंट दूर करने की कोशिश की जायगी जो आपको नहीं मालूम है, वह मैं बताना चाहता हूँ। 500 लोगों के प्रतिनिधि मण्डल से, मेरे इस आश्वासन कथन के बाद वहां मुख्यमंत्री से भेंट न करने की शिकायत नहीं हुई बल्कि मुख्यमंत्री जिन्दाबाद के नारे लगाकर वे वहां से वापस गये (मेजों की थपथपाहट) इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यह सारी कार्यवाही की गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मैं जानना चाहता हूँ कि वे लोग अब तक पकड़े गये या नहीं.....

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना––

मान्यवर, मुझे सुन लें...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। मैंने माननीय आजम खां को बुलाया है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अहम मामला पेश कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष--

बहुत संक्षेप में ग्राह्यता पर बोलें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, बहुत संक्षेप में ही ग्राह्यता पर बोलूंगा। इतना अहम मामला है कि एक जुमले में कह दूं, तो इसकी अहमियत मालूम हो जायेगी। मैं किसी गुस्से या जजबात से यह बात नहीं कहूँगा, बल्कि सिर्फ इतना कहकर सदन को आगाह करूंगा कि आदमी जब अपने मुकाम से गिरता है तो वह बहशी से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। इसी तरह का एक मसला है। सराय तरीन सम्भल मुरादाबाद में 5-6 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करके जो वाकिया सरकार के सामने पेश किया। जिस पर इस सदन में किसी साथी को अकलन यकीन नहीं होगा कि 5-6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ है, इसमें जो काबिले अफसोस पहलू है जब इस 5-6 साल की बच्ची को इसका बाप

श्री बिहारी लाल--

सही बात कहियेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां---

थाने उठाकर लाया। यह बच्ची खून से लहूलुहान थी, बेहोश थी। थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी अगर यह वाकिया गलत था, मैं यहां तक कहता हूं कि अगर उस बाप ने अपनी लड़की की टांग चीड़ कर उसके शर्म स्थान पर खून लगाकर ले गया था, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए थी, उसको बंद करना चाहिए था, क्योंकि इससे बड़ा संगीन कोई वाकिया नहीं हो सकता, 5-6 साल की बच्ची को इस तरह से कोई थाने में ले जाये, तो इससे संगीन हादसा कोई नहीं हो सकता था। लेकिन थानेदार ने न तो मजलूम की रिपोर्ट लिखी और न ही उसके बाप के खिलाफ रिपोर्ट लिखी, बल्कि उस बाप को उस बेहोश लड़की के साथ थाने से निकाल दिया, इससे बड़ा संगीन वाकिया कोई नहीं हो सकता। अब तक थाने में, सड़क, पिक्चर हाल में 14-15 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार हो जाता था, तो बात समझ में आती थी, लेकिन 5-6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होना, उसकी रिपोर्ट न लिखना, अगर यह वाकिया गलत है, तो उस गलत शख्स की रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए थी, इससे बड़ी अहम बात कोई और नहीं हो सकती। तो मैं चाहूंगा इस अहम मसले पर सदन के सारे कार्य को रोककर सदन में विचार होना चाहिए। अगर इस तरह से समाज में होगा, तो यह समाज जिन्दा नहीं रहेगा, और हम में से किसी भी साथी को इज्जत के साथ यहां आने का हक नहीं होगा।

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

कल माननीय आजम खां साहब ने यह प्रश्न उठाया था, कार्य-स्थगन प्रस्ताव में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके बाद से जो उनका कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया, शासन ने गृह सचिव को यह आदेश दिये थे कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेजकर सारी जो, बातें हैं, इसकी जांच करायी जाय, और जो दोषी व्यक्ति हों, उनको सजा दी जाय। उसमें कार्यवाही हो रही है, जो माननीय आजम खां साहब ने कहा है, इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी क्योंकि इसमें ऐसा कि न वे माफ कर सकते हैं न हम माफ कर सकते हैं और न कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार पूरी तरह से शीघ्रता से इस पर कार्यवाही करेगी।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, मैंने जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है, वह अविलम्बनीय लोक महत्व का है, वह इसलिए है कि यह हमारे जनपद बलिया के भूतपूर्व विधायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा जो सन् 46 में कांग्रेस के पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री रहे उनका नाम परमानंद सिंह है उनके सिनेमा हाल में पुलिस वाले गये। और बिना टिकट कटाये सिनेमा में प्रवेश किये और सिनेमा मालिक पर दबाव दे रहे थे कि आप टिकट ब्लैक करवायें और हमको कमीशन दें। वह तैयार नहीं हुये। 12 बजे जब सिनेमा चल रहा था लोग सिनेमा देख रहे थे उसी वक्त पुलिस वाले घुसकर सिनेमा का पर्दा फाड़ डाला तथा कुर्सियाँ तोड़ डाली और शीशा उठा ले गये। 10-15 लाख का नुकसान हुआ। मान्यवर, सिनेमा में बैठे हुये लोगों को, सिनेमा कर्मचारियों को बुरी तरह मारा इसकी इंजरी रिपोर्ट लिखाई गई है। लोकमहत्व का इसलिये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कानून की रक्षक है आज वही भक्षक बन गयी है।

श्री अध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री राम गोविन्द--

जो पुलिस कानून की रक्षक है वही कानून को तोड़े तो इससे खतरनाक काम कुछ नहीं हो सकता है। इलाहाबाद में पुलिस वालों के घर से चोरी की कार बरामद हुई, कुछ पुलिस वालों को डकैती में ग्रामीण लोगों ने मार डाला। मान्यवर, यह पुलिस चोरी, डकैती, और आगजनी का कार्य करती है। यह मामला जनजीवन से सम्बन्धित है, जो रक्षक है वही जनता का भक्षक बनता जा रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करवाये सरकार से वक्तव्य दिलवाये। मान्यवर, आज की पुलिस चोरी, डकैती और आगजनी कर रही है जो निहायत गलत काम है।

*श्री गौरी शंकर भैय्या--

मेरा व्यवस्था का सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी, 1952 में जब इस प्रदेश के स्वर्गीय पन्त जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एम0एल0ए0 हुआ करते थे उस समय परमानन्द सिंह जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उस समय डिप्टी मिनिस्टर नहीं होता था वह पार्लियामेंटरी सेक्ट्री थे। यह दुःख की बात है कि आजादी के पहले पुलिस वाले उनके घर में घुसकर उनका सारा सामान उठा ले गये लेकिन आज आजादी के बाद उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर में पुलिस वाले घुस कर सिनेमा कर्मचारियों को पुलिस वालों ने बुरी तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मारा पीटा और मान्यवर, कम से कम 5 लाख का नुकसान किया। मान्यवर, जब आप एम0 एल0 ए0 हुआ करते थे वह आपके साथ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे और हमारे जनपद के प्रतिष्ठित आदमी हैं। मान्यवर, आजमगढ़ में पुलिस वालों ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को मारा और आज हमारे यहाँ यह घटना हुई जब वह रिपोर्ट लिखाने गये, मान्यवर, वहाँ का कलेक्टर और चिरकुट एस0 पी0 इस घटना को दबा रहा है। मैं संसदीय कार्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इस घटना की जांच सी0 आई0 डी0 से करायें। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का मामला है सारी प्रापर्टी लूट लिया है।

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें प्राप्त हुई थी उनको सबको मैंने अस्वीकार किया है। केवल श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना के विषय को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

(व्यवधान)

बलिया के सम्बन्ध में जो श्री राम गोविन्द की सूचना है इस विषय को भी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। मुहम्मद आजम खां की सूचना पर हम शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये भेज दिया है। बाकी सब अस्वीकार करता हूँ।

(व्यवधान)

(श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ सदन त्याग कर चले गये)

(वन राज्य मंत्री के अनुदान प्रस्तुत करने के लिये खड़े होने पर।)

(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री मोती लाल देहलवी भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री रियासत हुसैन--

जो प्रेस के मुतल्लिक नियम 56 के अन्तर्गत आप के सामने मामला है, उसको मुख्य मंत्री जी ने उतनी अहमियत के साथ नहीं लिया और केवल एक वाक्य कह कर कि मुख्य मंत्री जिन्दाबाद का नारा लगा; और कोई जिम्मेदारी उन्होंने गंवारा नहीं की। आज पूरे लखनऊ के समाचार पत्र नहीं निकले, हम लोगों को कोई समाचार नहीं मालूम हुए, इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री भीखा लाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री अकबाल हुसैन सदन त्याग कर चले गये)

(श्री फखरे आलम भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री खैरुल बशर भी सदन त्याग कर चले गये।)

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मत-दान-अनुदान संख्या 34 पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 35-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) अनुदान संख्या 38 मत्स्य विभाग तथा अनुदान संख्या 46-वन विभाग

* पशुधन एवं वन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश तथा आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ

कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34-पशुधन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,83,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,15,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38-मत्स्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,45,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकत धनराशि के अतिरिक्त 29,61,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर हमारे विभाग में वनों का बड़ा महत्व है। यह जो वृक्षारोपण वन विभाग कर रहा है, यह कोई नयी व्यवस्था नहीं है। प्राचीन काल से हमारी जो परम्परायें, संस्कृति है, उसमें इसकी बड़ी महत्ता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जिनके पुत्र नहीं हैं, वे अगर वृक्षारोपण करें तो जो पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है उसकी पूर्ति होगी। इसके विभिन्न फायदे हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसकी ज्यादातर जनता, लगभग 90 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। वहां के लोगों को इससे औद्योगिक फायदे होते हैं। वनों के द्वारा जो सामग्री मिलती है उससे तमाम खेलकूद के सामान, दियासलाई, प्लाईउड, कागज बनाये जाते हैं। इन सभी चीजों को बनाने में वनों द्वारा प्राप्त सामग्री का बड़ा उपयोग होता है। परोक्ष रूप से भी इसका उपयोग कम नहीं है वातावरण को शुद्ध करते हैं। भूमि का जो जल से कटाव होता है उसको वृक्ष रोकते हैं। बाढ़ के प्रकोप को रोकते हैं।

मनुष्य के जीवन के लिये वनों का बहुत ही महत्व है। शासन की राष्ट्रीय नीति में यह आवश्यक है कि जो भी भू-भाग है उसके एक तिहाई हिस्से में वन होने चाहिये। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे यहां वन इससे कम हैं--केवल छठे हिस्से में ही वन हैं। कोई ऐसी भूमि अब नहीं है जिसमें वन लगाये जा सकें। फिर भी हमारा वन विभाग इस प्रयास में है कि जिस तरह की भी भूमि मिले--चाहे बंजर हो, ऊसर हो, पड़ती हो, सड़कों के किनारे की हो, रेलवे लाइन के किनारे की हो नहरों के किनारे की हो, उसमें पेड़ लगाये जायें। 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिया है, प्रदेश की सरकार अपने कार्यक्रम बनाकर उसके अनुरूप कार्य कर रही है।

वन विभाग के द्वारा 81-82 में 10.6 करोड़ पेड़ लगाये गये। 82-83 में लक्ष्य 21.6 करोड़ का था जिसके विपरीत विभाग ने 23 करोड़ वृक्ष लगाये। 83-84 में इसके दूना 42 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है। मेरा विश्वास है कि विभाग ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने की व्यवस्था पूरी कर ली है। आने वाले सत्र में 42 करोड़ वृक्ष लगेंगे। यह तमाम सारे कार्यक्रम मैदानी हिस्से के लिये हैं। पर्वतीय क्षेत्र में भी वृक्षारोपड़ की योजनायें हैं। वृक्षारोपड़ को तीन हिस्सों में हम बांट सकते हैं। औद्योगिक वृक्षारोपण जिसके अन्तर्गत दियासलाई, प्लाइउड, कागज, फर्नीचर आदि आते हैं। 83-84 में 253 लाख रुपये से 5,390 हेक्टेयर में वृक्षारोपण हुआ। 3640 हेक्टेयर में कैंपिसिंग की योजना है। विभाग अपने तरीके से वृक्षारोपड़ कार्यक्रम चला रहा है। इसको सफलता तब मिलेगी जब जनता का इसमें सहयोग हो। यदि जनता इसमें अपना सहयोग देगी तब हमारे कर्मचारी इसे और अच्छी तरह से चला सकेंगे। उसके लिये ग्रामीण जनता के, कृषकों के, हर स्तर पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की योजना है। अभी तक ब्लाक स्तर पर जो अधिकारी जाता है वह वहां के ग्रामीणों को, कृषकों को इकट्ठा करके यह बताता है कि किस तरह से किस जमीन पर किस जाति के पेड़ लगाये जाय। यूकेलिप्ट्स का पिछले दिनों काफी प्रचार हुआ और इसकी विशेष योग्यता कागज उद्योग के लिए है।

हमारे प्रदेश में और देश में ज्यादातर लोग गरीब हैं इसलिये इस योजना पर बल दिया जा रहा है, पहले भी हमारी यही योजना रही है कि सड़कों पर छायादार और फलदार वृक्ष लगाये जायं, इसके लिये पौधशालाओं की व्यवस्था हो रही है। पिछले वृक्षारोपण योजना में ब्लाक लेविल पर हमारी पौधशालायें थीं लेकिन भविष्य में, 2-3 सालों में, 100 करोड़ पौधे लगाने की योजना है तथा हर न्याय पंचायत में पौधशालायें बनाई जायेंगी, ऐसी हमारी योजना है। हर एक न्याय पंचायत में एक हेक्टेयर जमीनें में पौधशाला हो, जिससे हर एक अंचल में और हर एक क्षेत्र में हर जाति के वृक्षारोपण की सुविधा हो सके तथा हर जगह वृक्ष आसानी से पहुँच सके। ये जितने भी लम्बे कार्यक्रम हैं ये तभी सुचारु रूप से चल सकते हैं जब इनके बारे में हर एक ग्रामीण को जानकारी हो जाय। यद्यपि हमारा यह संकल्प है कि हम जलौनी लकड़ी को पूरे प्रदेश में उपलब्ध करायेंगे लेकिन इसका जो उपयोग है वह अच्छी तरह से और सुनियोजित ढंग से हो इसके लिये हमारे विभाग की एक योजना है कि हर एक जिले में एक चेतना केन्द्र खोला जाय। और इस केन्द्र में यह व्यवस्था होगी कि 100-200 कृषकों को इकट्ठा कर, उन्हें वहाँ पर विचार-विमर्श कर यह उल्लेख किया जायेगा कि वहाँ पर किस जाति का पौधा होगा। इन सबको, हर जिले में, हर अँचल में यह विभाग निश्चित करेगा। वहाँ पर बीज भण्डारण की सूविधा होगी, सिंचाई के लिये ट्यूबवेल होंगे तथा कृषि प्रशिक्षण दिये जाने के लिये भी व्यवस्था होगी। सूचना केन्द्र होंगे, वहाँ पर अभियांत्रिक प्लान्ट होगा, वहाँ पर कैन्टीन होगी, जिससे वहाँ पर आने

जाने वाले जो लोग होंगे उनके लिये अभियांत्रिक की उपयोगिता हो सकेगी, इस तरह से आस पास के लोग वहाँ पर मनोरंजन कर सकेंगे, वहाँ पर मृग-विहार होगा और वहाँ पर इसकी भी व्यवस्था होगी कि जो कास्ट का काम करते हैं, वहाँ पर उन्हें सीखने के लिये लकड़ी उपलब्ध कराई जायेगी। तो यह सारी योजना भविष्य में होगी। फस्ट फेज में लगभग 10 जिलों में ये चेतनाकेन्द्र हैं। 1983 में यह बढ़ाये गये है।

मैं समझता हूँ कि जब ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में पूरे हो जायेंगे तो एक नयी चेतना आयेगी। आज वन सम्पत्ति की कितनी आवश्यकता है। इसकी सुरक्षा के लिये, इसकी वृद्धि के लिये कितने लोगों को लगाना आवश्यक है, इसके बारे में निश्चित हो सके। 1983-84 में 1110 लाख रुपए की योजना है भूमि संरक्षण के लिये और हमारे यहाँ उसके लिये पर्वतीय अँचल में बाढ़ नियन्त्रण की योजना प्रस्तावित है। उसके द्वारा पहाड़ों में जो चारागाहों की आवश्यकता है तथा फलदार वृक्षों की आवश्यकता है, इन सारी चीजों के लिये योजना चलाई जा रही है। जहाँ पर इतने जंगल होंगे और जहाँ पर इतने वृक्ष होंगे वहीं तमाम सारे जीव-जन्तु होंगे और जिन जीव-जन्तुओं की प्राचीन काल से ही बड़ी उपयोगिता रही है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत जगीह नर-भक्षी शेर और चीते के बारे में सुनाई दिया, जिन्होंने काफी लोगों की जानें ली तथा काफी पशुओं को मारा। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो शिकार खेलने की व्यवस्था थी जानवरों को मारने की तथा उनको इसके लिये परमिट दिया जाता था, आज उसका परिणाम यह हुआ कि जो पशु हैं शेर, चीते समाप्त हो चुके हैं। आज अपने देश में चीते समाप्त ही हो गये, उनका आहार खत्म हुआ। आज शेरों की समस्या आयी है कि उनको आहार कैसे प्राप्त हो। टाइगर प्रोजेक्ट एरिया बढ़ाया जाय। ऐसी व्यवस्था हो, जिससे शेरों को भी भोजन मिले, जिससे आदमियों पर और जानवरों पर उनका आक्रमण समाप्त हो। इसके अतिरिक्त वनों की सुरक्षा के लिये व्यवस्था की जायगी। वनों की सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत 31 वन सुरक्षा इकाइयों का गठन हो चुका है। वर्ष 82-83 में 114 भूतपूर्व सैनिकों की फोर्स का गठन हुआ है। वर्ष 83-84 में 28 लाख का प्राविधान हुआ है। वनों में जो पशु चराने वाले लोग हैं, वे वनों में आग लगा देते हैं। कभी-कभी जंगलों में वैसे भी आग लग जाती है। यू0 एन0 डी0 पी0 द्वारा विश्व की आधुनिकतम विधियों द्वारा वनों में लगी आग पर काबू पाने के प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है। विभाग इस सम्बन्ध में जागरूक है कि इसकी पूरी व्यवस्था की जाय।

(इस समय 4 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

अभी तक कुछ अरसे पहले तक ऐसी व्यवस्था थी कि वनों में जो भी कटान आवश्यक होती थी उसके लिये ठेकेदारी प्रथा थी, इसको पिछले साल समाप्त किया गया है। यह सारा काम लकड़ी का विदोहन है, उसको वन निगम को दे दिया गया है। वर्ष 1981-82 में 5.51 लाख घनमीटर प्रकाष्ठ का उत्पादन, वर्ष 82-83 में 6.80 लाख घनमीटर लकड़ी के उत्पा-

दन की सम्भावना है। वन निगम के सृजन से वनों में अवैध कटान की सम्भावना काफी कम हो गयी है। इसके अतिरिक्त जो जीव-जन्तुओं की हानि होती थी, गलत लकड़ी कट जाती थी, वह तमाम सम्भावनायें समाप्त हो चुकी हैं। तेंदू पत्ते के लिये वन निगम कार्य करने जा रहा है जिससे रायल्टी में और तमाम फायदे होने की सम्भावना है। वन विभाग में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। हर लेविल पर अधिकारी परीक्षा देते हैं, उनका प्रशिक्षण होता है, उसके बाद उनको प्रोसाहन देते हैं, जो अच्छी श्रेणी में आते हैं, उनके लिये पारितोषिक की भी व्यवस्था की गयी है, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में विभाग में दिलचस्पी से काम करने की भावना पैदा हो और यह भावना पैदा हो कि यह वन जितने आवश्यक हैं मानव जाति के लिये, उसके रख-रखाव, रक्षा और वृद्धि के लिये भी वे उतनी ही तत्परता के साथ कार्यरत रहें।

सामाजिक वानिकी में जो मजदूर हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिये रोजगार हो, इसके लिये विभाग कार्यरत है। जब भी मजदूर की आवश्यकता पड़ती है, अधिकांशतः मजदूर पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लोग होते हैं। वर्ष 1983-84 में अनुमानतः 42 लाख मानव दिवस कार्य उपलब्ध होंगे।

वन राजस्व तथा व्यय के अन्तर्गत प्रदेश के वनों का वर्ष 1983-84 के लिए कुल प्रस्तावित राजस्व 56.82 करोड़ रुपये का है। इसमें गत वर्ष 82-83 की अपेक्षा लाभ कम होने का कारण वृक्षारोपण एवं विकास सम्बन्धी कार्यों में अधिक व्यय है। वृक्षारोपण की दिशा में कार्य करने के लिये विभाग विशेष रूप से जागरूक है। तो इस तरह यदि वनों के विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया तो वनों पर आधारित उद्योग अर्थात् मानव जीवन के लिए अति-आवश्यक साधनों का अकाल हो जायेगा तथा उसके दुष्परिणाम से हम मानव जाति को बचा नहीं पायेंगे। इसलिए मानव जाति के सुखद भविष्य के लिए वनों की सुरक्षा, उनके बढ़ने और विकास आदि की बहुत आवश्यकता है। इसकी सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए है आज इस तरह की जो लकड़ी की अथवा पेड़ के काटने की समस्या को हमने आपने देखा, अगर इन पर ध्यान न दिया गया तो भविष्य में और समस्याएं हमारे सामने आ जायेगी, जिसे चाहे शहर का रहने वाला हो चाहे कहीं का भी रहने वाला हो, मजदूर हो कृषक हो, सबको उसके परिणाम देखने होंगे। इनके विकास को ध्यान में रखते हुए सड़कों, नहरों और रेलवे लाईनों आदि के किनारों पर जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन सारे मार्गों पर वन विभाग तेजी से कार्य करने में अग्रसर है।

इससे पहले कुछ ऐसी समस्याएं हमारे सामने आयीं जिसे हम सब जानते हैं। साथ ही इस बात की भी बहुत जोरदार पब्लिसिटी की गयी कि शव तक के लिए लकड़ी अब नहीं रही, जब कि इस बात में कोई सत्यता नहीं थी, कार्पोरेशन की तरफ से जगह-जगह पर जहाँ पर आवश्यकता समझी गयी, लकड़ी के डिपो खोले गये थे। जहाँ एक ओर वनों की रक्षा, सुरक्षा और विकास की बात है, वहीं पर इन जानवरों द्वारा आदमियों की जान की रक्षा करना भी वन विभाग का काम है, उसे वह करेगा तथा पशु पालन विभाग जो कि इसी तरह से इस प्रदेश और इस देश के हरेक ग्रामों के पशुओं की देख-रेख उनकी चिकित्सा व्यवस्था तथा उनके बढ़ने और रक्षा को देखने की आवश्यकता है, जिसे वह पूरी तरह निभा रहा है और साथ पशुपालन विभाग का यह भी प्रयास रहा है कि अच्छे नसल की जानवर हमें मिलें। ऐसा हमारे यहाँ प्राचीन समय में कहाँ था, यह आँका जाता था कि किनके यहाँ कितने जान-

वर हैं, किस-किस नस्ल के हैं और किसने कितनी गायें दान कीं आदि आदि (शोर) इन जानवरों की तादाद बढ़े साथ ही यह भी देखना है कि इनके रख-रखाव, इनके पोषण आदि की व्यवस्था में कमी नहीं आनी चाहिए, परन्तु इधर कमी आयी है। जिसके कारण हर जिले में और विशेष कर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में पशुओं को उन्नतिशील बनाने की आवश्यकता है। पशुपालन विभाग का प्रयास पशुचिकित्सा, पशुप्रजनन तथा पशुपोषण की सुविधाओं को बढ़ाना है।

(समय 4 बजकर 15 मिनट)

आर्थिक दृष्टिकोण से निर्बल वर्ग के लिये अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने हेतु "एकीकृत ग्राम्य विकास योजना" तथा "स्पेशल कम्पोनेंट प्लान" पशुधन विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

पिछले माह अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन इलाहाबाद में किया गया था। यह भारतीय स्तर की थी। इसमें सबसे खुशी की बात यह थी कि उत्तर प्रदेश के जो भी पशु थे उनको सबसे अधिक इनाम मिले उनके स्वास्थ्य को देखकर तथा उनकी जाति को देख कर और उनके दूध देने की क्षमता को देख कर। (व्यवधान)

20 सूत्रीय कार्यक्रम, विशेष कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में 95 लाख रुपये की धनराशि आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित है। मीनी डेयरी, बछिया, पड़िया इकाई, सूकर, कुक्कुट, बकरी इकाई के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा पोषित कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 में 110 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित है।

पशु विकास को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय नीति के अनुरूप संकर प्रजनन कार्यक्रम को व्यवहारिक रूप दिया जायेगा।

प्रदेश में 35 वीर्य संग्रह केन्द्र, 743 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 1936 कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र तथा 273 नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र कार्यरत हैं। अगले वर्ष उनकी संख्या में और वृद्धि का प्रस्ताव है।

पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियन्त्रण की दृष्टि से वर्ष 1983-84 में 60 नये पशु चिकित्सालयों की स्थापना प्रस्तावित है। वर्ष 1982-83 में 1278 पशु चिकित्सालय उपलब्ध हो जायेंगे।

पर्वतीय क्षेत्र में एक अलग जैविक औषधि उत्पादन शाखा, वैक्सीन उत्पादन के लिये स्थापित करना विचाराधीन है।

भेंड़ और ऊन विकास के लिये विदेशी नस्लों से संकर प्रजनन करने की नीति अपनायी जा रही है। भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र भैंसोड़ा, नवगढ़, वाराणसी के सुदृढ़ीकरण हेतु इस वर्ष 200 विदेशी भेंड़ें उपलब्ध की जा रही हैं।

वर्ष 1983-84 में 7 अतिरिक्त भेंड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे। चमोली में भक्क स्थान पर भेंड़ प्रजनन केन्द्र हेतु इस वर्ष 300 विदेशी रैम्बुलें नस्ल की भेंड़ें आयात की जा रही है।

मिर्जापुर में कुक्कुट प्रक्षेत्र की स्थापना की जा रही है, जो अगले वर्ष चालू हो जायेगा। बाराबंकी प्रक्षेत्र का विस्तार किया जा रहा हैं।

साथ ही पोल्ट्री फार्म की ओर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा। अभी तक दूसरे प्रदेशों पर हमें बहुत कुछ इसके लिये निर्भर रहना पड़ता है। हम इसके लिये भी जागरुक हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी जरूरत को स्वयं पूरा कर सकें। इससे भी ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, संक्षेप में आप कहें समय को ध्यान में रखते हुए। आपको तो दुबारा भी मौका मिलेगा।

श्री संजय सिंह--

दुग्ध विकास कार्यक्रम 37 जनपदों में लागू हैं। 26 जनपदों में डेरियां अथवा अवशीतक केन्द्र हैं तथा शेष में पोषक दुग्ध संघ हैं, जिनके पास अपना कोई प्लान्ट नहीं है। आगरा डेरी सरकारी नियंत्रण में है तथा 10,000 लीटर प्रति दिन की दुग्ध हैण्डलिंग की क्षमता है।

इसके अतिरिक्त मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी व फैजाबाद डेरीज जिनकी क्षमता 2.80 लीटर प्रति दिन की क्षमता है, ये पी0 सी0 डी0 एफ0 द्वारा संचालित हैं।

इनकी आर्थिक स्थिति जून, 1982 तक की यह थी कि इनको 13 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है जिसमें से 7 करोड़ रु0 का घाटा पी0 सी0 डी0 एफ0 का है। घाटे का कारण डेरियों द्वारा अपनी क्षमता का केवल 25 से 30 प्रतिशत उपयोग कर पाना है। जो भी चिलिंग सेन्टरर्स हैं, इसमें जो सोसाईटीज काम करती थीं जो कि डाईरेक्ट सोसाईटीज से दुग्ध न लेकर दूधियों से या ठेकेदारों से दूध लेने लगे थे, तो उन्होंने इनको एक्सप्लायट किया और प्रोड्यूसर्स को दाम नहीं मिले और उनका विश्वास क्षीण हुआ।

हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक होती है जहां पर कार्यक्रम एकोनामिकल होता है, वहां पर दूध के मूल्य कम किये गये। कहीं-कहीं परिणामतया हमारी डेरियां या डेरी की सोसाइटियां सही रहीं जिसमें कानपुर और आगरा। इसके बारे में विभाग व्यवस्था कर रहा है। मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, बाराबंकी तथा फतेहपुर में ऐसी बड़ी डेरियां हैं, जहां निश्चित आधार पर ज्यादा दूध उपलब्ध कराने की क्षमता में सुधार हुआ है। इसके लिये आपरेशन फलड--2 प्रदेश में नवम्बर, 1982 से तीन चरणों में प्रदेश के 28 जिलों में लागू किया गया है, जिसमें सात वर्षों में 60 करोड़ रुपए से अधिक पैसे से काम शुरू किया जायेगा। जिन जिलों को आपरेशन फलड-2 के अन्तर्गत नहीं लिया गया है वहां पर भी उसी पेटर्न पर कार्य किया जायेगा, वहाँ पर काम चालू किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले भविष्य में शीघ्र ही इसके परिणाम दृष्टिगोचर होंगे।

श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, इनके भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री संजय सिंह--

अभी तक हमारे पास बड़े मारकेट की व्यवस्था नहीं थी, अब मारकेटिंग की व्यवस्था ठीक की जा रही है। पी० सी० डी० एफ० द्वारा एकीकृत बिक्री व्यवस्था कर एक ही ब्राण्ड "पराग" दूध व दुग्ध पदार्थों के बेचने का निर्णय लिया गया है। सब पराग के नाम से ही दूध, घी, बटर और मक्खन बनाया जा रहा है।

वाराणसी, लखनऊ, मेरठ आदि शहरों को स्टेट ग्रिड से जोड़ा जायेगा जिससे दूध की कमी व मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। आगरा और बरेली की जो डेरियां क्रमश: अप्रैल 1982 तथा अप्रैल 1981 से बन्द थीं, वह इस माह से चालू हो गयी हैं। देहरादून डेरी भी शीघ्र चालू की जा रही है।

श्री कुबेर भण्डारी---

मान्यवर, मंत्री जी खड़े-खड़े अपने भाषण को पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इनके भाषण को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री संजय सिंह---

कानपुर की डेरी भी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 11 जून 1981 से बन्द थी, इसके भी शीघ्र चालू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। आशा है कि यह एक या दो महीने में चालू हो जायेगी।

लखनऊ में 20,000 (बीस हजार) लीटर दूध प्रतिदिन इकट्ठा हो रहा है। इसी तरह से बारह हजार किलोग्राम घी और नौ हजार किलोग्राम मक्खन प्रति माह तैयार हो रहा है। इसके अतिरिक्त पनीर और खोया आदि की बिक्री भी प्रारम्भ हो गयी है।

मेरठ और वाराणसी में जो डेरियां हैं उनमें सन्तुलित पशु आहार बनाया जाने लगा है, तथा इसकी बिक्री सोसाइटीज के माध्यम से विभाग द्वारा की जा रही है। यह तमाम सारी योजनायें हैं जो अवश्यमेव स्पष्ट करती हैं कि आने वाले भविष्य में इस प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिये डेरी विभाग अच्छी तरह से काम कर सकेगा जिससे कि पूरे प्रदेश में रहने वाले नागरिकों को इसका आभास होगा। मान्यवर, मत्स्य विभाग जो बहुत ही आवश्यक है, प्राचीन समय में भी इसकी बड़ी महत्ता थी। मत्स्य पालक विकास अभिकरणों का विकास किया जा रहा है। इन अभिकरणों की स्थापना कर मत्स्य पालकों को तकनीकी एवं आर्थिक सहायता सुलभ कराना इसका उद्देश्य है। वर्ष 1981-82 में 19 जनपदों में अभिकरणों द्वारा विकास कार्य किए गए हैं। वर्ष 1982-83 में 29 जनपदों में इसका विकास किया गया है और वर्ष 1983-84 में 48 जनपदों में अभिकरणों द्वारा विकास कार्य प्रस्तावित हैं।

प्रदेश में तालाबों की स्थिति के बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है। अभी तक हमें यह नहीं मालूम है कि कितने तालाब हैं, जहां पर मत्स्य पालन किया जा सकता है। विभाग वे इनका सर्वे कराया है और 48 हजार तालाव ऐसे पाये गये हैं जो इस कार्य के लिए उपयोगी हैं, जिनमें थोड़ा बहुत सुधार करके मत्स्य पालन किया जा सकता है। ग्रामीण

अंचल के मछुआ समुदाय एवं उनकी समितियों को स्वत: रोजगार हेतु 11.5 हजार ग्राम सभा के तालाबों को 10 वर्षीय पट्टे पर दिया जा चुका है तथा साथ ही यह भी सुविधा है कि वह इन तालाबों पर बैंकों से ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में ऐसी व्यवस्था है कि जो भी इस तरह के पट्टे दिए जायेंगे वह मत्स्य विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों के सलाह से दिए जायेंगे। यह लोग यह निश्चय करेंगे कि किन व्यक्तियों को पट्टा दिया जाये, जो ठीक प्रकार से मत्स्य पालन कर सके।

मैं समझता हूं कि उनको थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, वह बहुत ही सीमित है और हमारे पास साधन बहुत ही सीमित है। यह एक ऐसी चीज है जिसमें लोग रोजगार पा सकते हैं और अपनी तथा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें आपका सहयोग हो। इसमें प्रशिक्षण के लिए मत्स्य प्रसार अधिकारी तथा सहायकों को पन्त नगर विश्व विद्यालय में प्रशिक्षण देने हेतु एक उच्च स्तरीय मत्स्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र वर्ष 1983-84 से चालू किया जायेगा।

भारत सरकार ने मछुओं के दुर्घटना बीमा का प्राविधान किया है जिसका विस्तार उ0 प्र0 में करने का प्रश्न राज्य सरकार के अधीन विचाराधीन है। यह भारत सरकार की योजना है। हमारी यह जो योजनायें हैं उनसे ग्रामीणों को लाभ पहुँचेगा आप इसमें अधिक से अधिक सहयोग दें। हमारे विभाग की जिम्मेदारी है कि हर प्रकार से लोगों का सहयोग करे और जो हमारा बजट है इसको स्वीकार करें।

(श्री सरदार सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप 10 मिनट में ही समाप्त करें।

श्री मुख्तार अनीस—

चूंकि यह बजट चार विभागों से सम्बन्धित है, अत: दो घण्टे का समय सदन का और बढ़ा दिया जाये।

श्री सरदार सिंह—

माननीय मंत्री जी ने तो बहुत अधिक समय ले लिया और मुझे 10 मिनट ही दे रहे हैं तो यह कैसे संभव होगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34-पशुधन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री सतीश अजमानी—

मान्यवर, साढ़े चार बज गया है। सदन का समय एक घण्टा बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

अभी चलने दीजिये।

श्री सरदार सिंह--

अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38-मत्स्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 46-वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव मैं औपचारिक रूप से ला रहा हूं, क्योंकि हमारे नियमों में इस तरह का प्राविधान है। वैसे इन विभागों को अधिक रुपया देना चाहिए और सरकार को इस विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक आइटम को विशेष महत्व देना चाहिए। पशु-पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, डेरी विकास और वन, ये ऐसे विभाग हैं जो हमारे जन जीवन से जुड़े हुये हैं और हमारे प्रिय मित्र हैं।... (व्यवधान)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि शासन की ओर से इन विभागों के लिये जो मंत्री रखे गये हैं वह भी राज्य स्तर के हैं। और इतना ही नहीं एक अनुभवहीन और अनाड़ी मंत्री को ये विभाग सौंप दिये गये हैं। ये सामन्तवादी विचारधारा के हैं और पशुपालन से इनका कोई मतलब नहीं हो सकता है। जब आज उन्होंने अपना बजट रखा तो सबसे पहले वन विभाग का बजट रखा और उसके बाद पशुपालन का रखा। क्योंकि इनको पशुपालन में कोई रुचि नहीं है इसलिये वन विभाग का पहले रखा। मंत्री जी राजा हैं, राजकुमार हैं, शिकारी हैं, इसलिये वे पहले वन विभाग पर अपना भाषण किये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, कृपया व्यक्तिगत बातें न करें। इससे उधर से भी उत्तेजना हो सकती है। इसलिये ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अनुदान से सम्बन्धित आप अपनी बात न कह सकें।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, चूंकि समय कम है, इसलिये मैं संक्षेप में ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। मैं अपनी बात पहले पशुपालन से शुरू करता हूं। पशुपालन के लिये हमें सबसे पहले जो आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए वह पशु पोषण, प्रजनन, रोग निदान, प्रबन्ध व्यवस्था, मार्केटिंग और फाइनेंसिंग, होनी चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार के पास इस विभाग के लिये बजट नहीं है, शासन की स्थिति बहुत दयनीय है। अतः शासन यह व्यवस्था करने में असमर्थ है। रोग निदान के सम्बन्ध में मान्यवर, मैं आपके द्वारा पशुचिकित्सालय की कुव्यवस्था का एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहीं पर इनकी नाक के नीचे बादशाहबाग में जो इनका पशु

चिकित्सालय है उनमें जो डाक्टर बैठते हैं उनकी स्थिति आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे। वहां पर एक डाक्टर की जगह तीन डाक्टर हैं और दो रजिस्टर हैं अस्पताल में दोहरी व्यवस्था चल रही है। मान्यवर, गजरिया फार्म से वहां पर जो वीर्य आता है वह वहां पर फ्रिज में न रखकर उसे बाहर रखा जाता है। फ्रिज में डाक्टर का निजी ताला लगा रहता है। अस्पताल में डाक्टरों का झगड़ा चल रहा है। पहले जो मंत्री मा0 बलवीर सिंह और श्री भानुप्रताप सिंह जी थे तो उन्होंने फ्रिज का ताला तुड़वाकर उसमें वीर्य रखने की व्यवस्था की थी किन्तु जैसे ही वे उस विभाग से हटे फिर वही स्थिति उस फ्रिज की वहां पर हो गई। एक डाक्टर ने बलात उस फ्रिज पर अपना कब्जा कर रखा है।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं है। यह हाल तो राजधानी के अस्पताल का है, प्रदेश के अन्य अस्पतालों की दुर्व्यवस्था का आप इसी से अन्दाज लगा सकते हैं। मंत्री जी की इस विभाग पर कोई पकड़ नहीं है। उन्होंने जितने भी स्थानांतरण किये हैं किसी ने भी इनके आदेशों का पालन नहीं किया है। जगह-जगह पर दो-दो और तीन-तीन डाक्टर एक ही अस्पताल में हैं। भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है इस विभाग में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ यह ऐक्शन नहीं ले पाये हैं। जून 82 में गजरिया फार्म के पशुओं को आउट-डेटेड दवायें दी गई जिनसे वहां पर पशु मर गये। लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं हुई। इनके आदेशों का भी उलंघन होता है उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं यहां एक परमहंस पाण्डे इनके चक गजरिया केन्द्र में अधिकारी हैं उनको यह हटाना चाहते थे और आदेश भी कर दिया लेकिन उनके आदेशों का पालन नहीं हुआ और आज भी वह यहां पर हैं। इसी प्रकार एक शाही हैं उनके लिए भी इनके आदेश हुए थे आठ महीने हो गये इनके आदेशों का पालन नहीं हुआ और वह चक गजरिया फार्म में बैठे हैं। इसी प्रकार गिरीश मोहन प्रधानाचार्य लैदर ट्रेनिंग सेंटर बक्शी का तालाब लखनऊ का प्रमोशन नियम विरुद्ध किया गया और उनको रैगुलराइज भी कर दिया है। इसी तरह गोरखपुर में डिप्टी डायरेक्टर बनाकर शर्मा को यह भेजना चाहते थे उसमें भी इनके आदेशों का पालन नहीं हुआ और इनके डायरेक्टर साहब ने इनके आदेशों का पालन नहीं होने दिया आज भी मि0 खरे वहां पर बैठ गये हैं।

इनके पौष्टिक आहार केन्द्रों हापुड़, लखनऊ और गोरखपुर में हैं, जहां पर घटिया किस्म का खाद्य आहार पशुओं के लिये चारा तैयार होता है। जब लखनऊ में टेस्टिंग के लिए यह आहार आता है तो इनके अधिकारी का ठेकेदारों से मेलजोल रहता है चक गजरिया फार्म वालों से उसे पास करा लेते हैं जो रद्दी से रद्दी आहार होता है वह भी पास हो जाता है। तो इस प्रकार जो सांड़ों को अच्छे प्रजनन के लिए अच्छा चारा दाना खिलाया जाना चाहिए और न खिलाकर वह घटिया किस्म का खाद्य खिलाया जाता है। उनको ठीक खुराक न मिलने के कारण वह पर्याप्त वीर्य देने में असमर्थ रहते हैं।

इनकी जो प्रजनन की स्थिति है वह पूरे प्रदेश में ठीक तरह से नहीं चल रही है। पूरे प्रदेश को जोन्स में बांटा जाना चाहिये और पशुपालन का विकास करना चाहिए। इसी प्रकार कुकुड़ पालन में भी इनका बुरा हाल है। आज इनके द्वारा मुर्गे चुनाव जीतने के लिए प्रयोग होते हैं। गढ़वाल चुनाव में भी इनको एक तांत्रिक ने कहा कि 6 कलगी का मुर्गा चाहिये

इनको मुर्गा ढूढ़े नहीं मिल पाये एक बड़ी कठिनाई से मिला। आपको ताजुब होगा और मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब मुझे यह मालूम हुआ तो मैं कुकुड़ केन्द्र मथुरा में गया वहां के प्रबंधकों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि करीब एक हजार से ज्यादा यहां पर 6 कलगी के मुर्गे मौजूद हैं लेकिन इनके विभाग वालों को यह बात पता नहीं थी। इस प्रकार इनकी अपने विभाग में कोई पकाड़ नहीं है।

हमें जो इनके विभाग से लिट्चेर मिला है नियमानुसार वह यह है कि वह सबसे पहले मा0 सदन के सदस्यों को मिलना चाहिये। लेकिन वह बहुत बाद में मिलता है। इन्होंने दो किताबें विधायकों को दी हैं एक तो पशुपालन विभाग एवं आंकड़े और दूसरी किताव है प्रगति 1983 पशुपालन विभाग। इस तरह इनके विभाग के अधिकारियों ने सदन की मर्यादा को ठेस पहुँचाई है, उनके खिलाफ कार्यावाही होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सरदार सिह जी माईक पर बोलिये लिखने में रिपोर्टर्स को दिक्कत हो रही है।

श्री सरदार सिह--

मैं माननीय मंत्री जी को दोनों पुस्तिकायें दिखा रहा था। मान्यवर, यह जो दो किताबें हैं उनमें एक ही साहित्य है लेकिन पेज कवर अलग-अलग हैं। इन दोनों की एक-एक हजार किताबें फरवरी में छपी हैं। दोनों में एक ही साहित्य है आप कहेंगे तो मैं आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

मेरे ख्याल में एक मिनट में समाप्त करें।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में जमुनापारी और बरबरी दो किस्म की बकरियां हैं, जिनकी प्रदेश-देश और विदेशों में भी मांग है, यदि शासन चाहे तो उनका विकास कर सकती है, जिससे अधिक मांस और मिल्क मिल सकता है। मान्यवर, इसी प्रकार भेंड़ और सुअर जिनके विकास से गरीबों और छोटे लोगों को धंधों में लगाकर उनका जीवनस्तर ऊंचा आप उठा सकते हैं।

मान्यवर, डेरी विकास उ0 प्र0 में आप कर रहे हैं लेकिन जितनी डेरियाँ हैं वह सब घाटे में जा रही हैं और आपरेशन फ्लड, नं0 दो में इनके विभाग के अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि यदि यह व्यवस्था अधिकारियों के हाथ में दे दी गयी तो जो हाल, आपरेशन फ्लड नं0 एक का रहा वही हाल आपरेशन फ्लड नं0 2 का होगा। इसलिये जिस डेरी में आप जो अधिकारी नियुक्त करें वहां वह अधिकारी कम से कम 5 साल के लिये अवश्य पोस्ट रहे और प्रतिवर्ष उसके कार्य का आप रेकार्ड देखें और उसी आधार पर उसकी चरित्र पंजिका में प्रविष्टियाँ करें, तब इसमें सुधार होने की संभावना है और घाटा कम होगा।

मान्यवर, मेरा यह भी सुझाव है कि इन डेरियों को सुचारु रूप से चलाने के लिये गांवस्तर पर सोसाइटियों को नियमानुसार सुचारु रूप से संगठित करें, लेकिन आपके भ्रष्ट

एवं निकम्मे अधिकारी कितना कर पायेंगे इसमें मुझे आशंका है। मान्यवर, मैंने एक बार गोरखपुर की डेरी का भ्रमण किया तो वहां जो क्रीम थी उसमें फफूंद पड़ गयी थी, दूध में मक्खियां थीं, डेरी बहुत गंदी थी, मंत्री जी भी वहां गये थे, तो वहां की गंदगी देखकर तुरन्त भागे किन्तु वहां के अधिकारियों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही आपने नहीं की है।

मान्यवर, इसी प्रकार आपका मिल्क बोर्ड है उसमें दुग्ध उत्पादकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जो 4 निजी स्वामित्व की डेरियां हैं जैसे ग्लैक्सो, हिन्दुस्तान लीवर आदि इनकी जेब में आपका मिल्क बोर्ड है। यह बोर्ड किसानों की मिल्क की कीमत को तय करता है, जो बहुत कम होती है जिससे दुग्ध उत्पादकों का, आज शोषण हो रहा है, इसलिये मंत्रीजी इस पर ध्यान दें।

मा0 अधिष्ठाता महोदय, इनकी सरकार ज्यादा बल लगा रही है लेकिन अपने लक्ष्यों की पूर्ति कागज पर आप कर रहे हैं और धरती पर पेड़ नहीं लग रहे हैं, जो पेड़ आपने लगाये उसमें कितने पेड़ जिंदा रहे, इसका मंत्री जी ने हवाला नहीं दिया, इसलिये जिन्दा वृक्षों की संख्या भी मा0 मंत्री जी बतायें। मान्यवर, इनके विभाग में बहुत ज्यादा असंतोष है और जो रेंजर स्तर के अधिकारी हैं उनका स्तर तहसीलदार से भी कम है, ड्युटी ज्यादा है। इसी सत्र में मैंने एक प्रश्न राजस्थान के रेगिस्तान को उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने के सम्बन्ध में उठाया था तो शासन ने उसे स्वीकार किया था कि राजस्थान का रेगिस्तान बड़ी तेजी से उ0 प्र0 की ओर बढ़ रहा है। हमारे वन कट रहे हैं जिससे सुन्दरता समाप्त होती जा रही है। मान्यवर, इनके विभाग से जो एक पुस्तक मिली है कि कहां कहां हमारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। मान्यवर, विन्दुखत्ता में 25 हजार एकड़ वन भूमि पर अनाधिकृत रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है लेकिन इनकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही हैं। इसी तरह और जगहों पर भी वन भूमि पर लोग कब्जा करते चले जा रहे हैं। पेड़ों को चोरी से काटा जा रहा है, इस तरफ ध्यान दें। मान्यवर, अभी इन्होंने कहा कि इस साल जो लकड़ी बेची है, ठेकेदार प्रथा समाप्त करने के कारण उसमें गत वर्ष कुछ घाटा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप अपना भाषण समाप्त करें, आपको समय फिर मिलेगा।

श्री सरदार सिंह--

ठीक है। मान्यवर, इन्होंने वनों में ठेकेदारों को वनों से अलग रखने को कोशिश की है, लेकिन जो इनका वन निगम है, उसके जो बेचने के काष्ठ डिपो खोले हैं, वहां से ठेकेदार लकड़ी खरीदते हैं, नीलामी द्वारा ठेकेदार आपस में मिल जाते हैं। एक ही ठेकेदार नीलामी की बोली बोलता है और मन चाही सस्ती दरों पर लकड़ी डिपो से खरीद लेता है। इसलिये घाटा गतवर्ष हुआ है चूकि इसमें आपने कंपीटीशन पैदा नहीं किया है। वन निगम को लकड़ी विक्रय करने का कार्य भी स्वयं करना चाहिए।

मान्यवर, इनके पूरे डिपार्टमेंट को देखकर मुझे एक बात याद आती है, जैसा कि हमारे मंत्री जी नये-नये मंत्री बने हैं और राजकुमार हैं, सुख, वैभव और ठाठ-बाट से रह रहे हैं। हमें जयपुर के राजा जय सिंह का जमाना याद आता है जब उनकी नई-नई शादी एक नवोढ़ा से हुई थी और वह उस समय अपना राज-काज भूलकर, रानी के प्रेम में तल्लीन हो गये थे, तो कवि बिहारी जी वहाँ पर पहुंचे और इसको देखकर उनको बड़ी चिन्ता हुई, तब

उन्होंने एक दोहा लिखकर राजा जी को भेज दिया। मैं अपने मंत्री जी से भी आशा करूँगा कि वह दिल्ली की चाटुकारी छोड़ें और उस दोहे से शिक्षा लें। जो राजा जयसिंह को महा-कवि बिहारी जी ने जो दोहा लिखा था वह उनको सुनाना चाहता हूं।

"नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यहि काल,
अली कली ही सों बध्यों आगे कौन हवाल।"

इन्हीं के शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सतीश अजमानी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वन, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अधिष्ठाता--

मौका तो दे दिया, लेकिन समय 2 से लेकर 3 मिनट तक।

श्री सतीश अजमानी--

क्रान्तिकारी मंत्री जी द्वारा जो यह क्रान्तिकारी बजट रखा गया है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव सरदार सिंह जी द्वारा रखा गया है, जिनको मालूम ही नहीं कि जंगल क्या है, उसका घोर विरोध करता हूं। जैसा सरदार सिंह जी ने कहा कि इस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है, निश्चित रूप से यह एक कुदरत की देन है और पेड़ों का कोई आंकड़ा नहीं रखा जा सकता है, इनकी कहीं गिनती नहीं की जा सकती है और यही एक कारण है कि इसमें भ्रष्टाचार है। लेकिन अगर संजयसिंह जैसे इसमें वन मंत्री होंगें तो इसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और चोरी कम होगी और कम हुयी है। जब से संजय सिंह जी वन मंत्री हुए हैं, उस दिन से लकड़ी का रेट बहुत ऊँचा हो गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि उनके चौकस व चुस्त प्रशासन और मुस्तैदी के कारण वनों में अवैध कटान बिलकुल बन्द हो चुका है और अधिकारी कर्मचारी सब अपनी ड्यूटी में सक्रिय हो गये हैं, इसी वजह से अब अच्छी लकड़ी के भाव बढ़ गये हैं। मैं एक बात और सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से पेड़ काटता है और यह साबित हो जाता है तो उसके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो एक कातिल के साथ किया जाता है, तब ही यह भ्रष्टाचार कम हो सकता है, वरना यह कुदरती पेड़ों का कटान रोक पाना बहुत मुश्किल है। इस व्यवस्था से निपटवे के लिए अलग से कोई कायदा कानून या कोर्ट बनाना चाहिए, तभी इन पेड़ों को बचाया जा सकता है।

अब रही बात एन्क्रोचमेंट की, इसके बारे में मुझे यह कहना है कि छोटे कर्मचारी लोग किसानों से मिलकर एन्क्रोचमेंट कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए अलग से अदालत बनानी चाहिए क्योंकि 20-20 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं और उसका निर्णय नहीं हो पाता है और तब तक एक लम्बे समय तक किसान लोग उसका फायदा उठाते रहते हैं। फारेस्ट की जमीन को बचाने के लिए इस प्रकार की अलग से अदालतें स्थापित करना बहुत

आवश्यक है। नदियों के कटानों के बारे में मुझे यह कहना है कि हजारों लाखों एकड़ जमीन किसानों की इन नदियों ने काट ली है। जब यह नदियां अपना रुख बदल लेती हैं, तो इसकी यह जमीनें फारेस्ट डिपार्टमेंट की जायदाद बन जाती हैं और वह जमीन किसानों को वापस नहीं मिलती है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जिन लोगों की जमीन कट जाए नदियों से वह उनको वापस दे देना चाहिए और उस पर वन विभाग को अपना कब्जा नहीं करना चाहिए। वन विभाग और राजस्व विभाग और पंचायतों के बीच वन सम्बन्धी जो झगड़े हैं, उनके हल करने के लिए डिमारकेश्म होना चाहिए, यह और आवश्यक है कि पूरे उत्तर प्रदेश हर जगह होना चाहिए।

दुधवा नेशनल पार्क के बारे में मुझे यह कहना है वहां वन मंत्री जी 20 तारीख को गये थे, जहां पर उनको जनता द्वारा बताया गया कि वन विभाग के शेरों द्वारा 103 लोगों--किसानों को खा डाला गया है। और इसके लिए 5 हजार रुपया यह जंगल विभाग हम लोगों को देते हैं, तो यह हम लोगों की मांग है कि यह 5 हजार के स्थान पर हमें 10 या 20 हजार रुपया मिलना चाहिए। इनके शेर को कोई मार देता है तो यह 50 हजार रुपया हम लोगों पर जुर्माना कर देते हैं। तो इतना बड़ा अन्याय किसानों के ऊपर नहीं होना चाहिए। चूंकि समय कम है, मैं अपनी बात खत्म करते हुए अन्त में मंत्री जी द्वारा रखे बजट का हृदय से स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री अकबाल हुसैन---

मान्यवर, माननीय सरदार सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करते हुए माननीय वन मंत्री जी को मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, लकड़ी की चोरी के कटान के कारण माननीय वन मंत्री जी ने यह बताया कि कटान का कार्य वन-विभाग को दे दिया गया है। वन निगम को देने की मैं भी सराहना करता हूं, लेकिन इसमें जो एक खराबी आ गयी है कि वन निगम को एकाधिकार प्राप्त हो गया है वह कंपेटीशन बिजनेस नहीं रह गया है, इसलिए आपके वनों की लकड़ी का दाम कम लगता है। अगर आप इसके प्राइवेट सेक्टर और वन निगम दोनों को दें, तो कंपेटीशन में विभाग की आय बढ़ेगी और आपको इससे बाजार भाव के आधार पर बहुत ज्यादा धन मिल सकता है। जब किसी बात पर कोई एकाधिकार हो जाता है जो इसके अवगुण हैं, वह सब इसमें आ जायेंगे।

यही हाल वन निगम का है। जैसे हमारे गोण्डा में हमारे क्षेत्र के बीरपुर डिपीपर वन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में मारपीट हुई, क्योंकि एक ट्रक लकड़ी चोरी जा रही थी, जिसको पकड़ा था, उसी में मार-पीट हुई। अगर आप लकड़ी की चोरी रोकना चाहते हैं, तो आपने अपने गार्डों को क्या दिया है, एक गार्ड तीन-चार करोड़ रुपये की लकड़ी की रखवाली करता है और जो चोरी करने वाले होते हैं, वह आर्म्स के साथ आते हैं, जैसे मेरे क्षेत्र के थाना पचपेड़वा में अब्दुल रऊफ नेता का चोरी का गैंग है, जिसका नाम थाना के रजिस्टर नं0 8 में है। उसके पास अवैध असलहे हैं। ऐसे चोरों और गिरोहों का मुकाबिला करने के लिए, फारेस्ट गार्ड को विभाग द्वारा आप बन्दूक या रायफल दें ताकि वे अपनी रक्षा के साथ-साथ वन की रक्षा कर सकें और चोरों को पकड़ सकें। आप एक आर्म्स सचल दस्ता कायम किये हैं, जो अपर्याप्त है, जहां अधिकांश चोरी होती है, वहां हरएक सचल दस्ता काम करें।

(इस समय 4 बजकर 52 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे क्षेत्र के नरदा वीट रामपुर रैंज में टाटा ग्रुप्स जड़ी-बूटियों के आधार पर एक बहुत बड़ा कम्प्लेक्स स्थापित करना चाहता है, जिसकी जड़ी-बूटियां आपके वन में उगाई जायंगी, जिसके लिए दो हजार हेक्टियर वन में जड़ी-बूटियां लगाने की आपकी अनुमति चाहिए। उसमें आप टाटा ग्रुप को सहयोग दें। यह ढायी सौ करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 10-15 हजार लोगों को काम मिलेगा। बहुत बड़ी टाउनशिप बनेगी। अच्छे स्कूल और अस्पताल बनेंगे और आपके विभाग को बहुत बड़ी आमदनी होगी। इससे प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा सहयोग होगा। अगर वह योजना आपके पास आती है, तो आप उसको अवश्य जरवा जनपद, गोण्डा में लगाने की स्वीकृति जरूर प्रदान करें।

आपके जो वन में लोग रहते हैं, माफीदार होते हैं, उनको माफी की लकड़ी दें। कंजर-वेटर और चीफ कंजरवेटर 1500 की, डी0 एफ0 ओ0 250 रुपये मालियत की लकड़ी, पी0 डी0 के रूप में दे सकते थे, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी मिल जाती थी, लेकिन अब लकड़ी का दाम 15 सालों में 5 गुना अधिक बढ़ गयी, 20 रुपये की लकड़ी अब 100 रुपये में मिलती है। इसलिए आप यह धनराशि 5 हजार रुपये बढ़ा कर कर दें और डी0 एफ0 ओ0 को 1500 रुपये कर दें। जो आपने किसानों को अपने प्राइवेट पेड़ काटने के लिए परमिट का प्राविधान किया है, उससे किसानों की बहुत बड़ी लूट होती है, किसान के अपने जो पेड़ हैं, उनको राष्ट्रीय बचत में पैसा जमा कर सीधे आज्ञा देने का प्राविधान करें और किसानों को पेड़ काटने के प्रतिबन्ध को हटा लें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

अध्यक्ष जी, माननीय वन मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट का मैं समर्थन करता हूं और इसलिए समर्थन करता हूं कि वन के पूरे हिन्दुस्तान के जो आंकड़े हैं, उसमें उत्तर प्रदेश प्लांटेशन के मामले में अपने टारजेट का 107 परसेंट पूरा कर चुका है, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। मैं इनका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, सामाजिक वानिकी परियोजना को उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावशाली ढंग से चलाया जा रहा है और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक नर्सरी की व्यवस्था की जा रही है। इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में पेड़ लगाने की जो भी मंशा है, वह पूरी हो सकेगी। मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने प्रशिक्षण केन्द्रों और वन चेतना केन्द्रों को खोलने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह भी स्वागत करने योग्य है। वन चेतना केन्द्र इलाहाबाद जनपद में भी खुलेगा और 12 जिलों में खोला जायगा। इससे साधारण जनता में खासकर ग्रामीण जनों में वनों के प्रति चेतना उत्पन्न होगी और जो आज खेती को प्राथमिकता दी जा रही और पेड़ लगाने को गौण कर दिया गया है और इससे जो इकोलोजिकल डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है, और इस तरह का दोष पैदा हो रहा है उसको रोका जा सकेगा। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूँ और इसकी प्रशंसा करता हूँ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, खासकर फूलों की घाटी और राष्ट्रीय पार्क तथा नंदा देवी की जो योजना इन्होंने बजट के अंदर ले लिया है तो इस ओर पूरे हिंदुस्तान की

आंखें लगेंगी। लोग इसको देखेंगे। पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित किया गया है यह प्रशंसा का कार्य है। चूंकि समय कम है इसलिये मैं आपके माध्यम से चंद सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या वन विभाग की यह है कि इनके फारेस्ट पर अनाधिकृत रूप से कब्जे होते चले जा रहे हैं। यह जो अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं, इनके फलस्वरूप 30 हजार हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवर्ष अतिक्रमण हो गये हैं। 50 हेक्टेयर प्रति दिन के हिसाब से कब्जा हो रहा है, तो इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ। आप बैठें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

तो मान्यवर इस तरफ ध्यान दिया जाय जिससे कि वन सम्प्रदा सुरक्षित रह सकें। साथ ही वन की देख-रेख के लिए बीट के आकार को भी छोटा करें 9 हजार पहाड़ 4 हजार हे0 मैदान को 3 व दो हजार ही करें। मान्यवर डेरी के संबंध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आनंद डेरी के स्वरूप पर हर जगहों पर डेरियां चलायें। चूंकि समय नहीं है इसलिये ऐसी उम्मीद है कि मेरे सुझाओं पर ध्यान देंगें और खासकर जो हमारे सरदार सिंह जी परेशान हैं कि अच्छे सांड़ों की कमी हो गयी है तो इनकी व्यवस्था करें। मथुरा गोकुल के लोग इसके लिये तरसे नहीं, बजट प्रस्ताव का समर्थन धन्यवाद।

*श्री मुख्तार अनीस--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, दो महत्वपूर्ण विभाग माननीय मंत्री जी के पास हैं। पहला तो पशुपालन विभाग है जिसके अंदर डेरी डेवलपमेंट है, पशुपालन विभाग है और मत्स्य विभाग है। दूसरा वन विभाग है। यह 2 महत्वपूर्ण विभाग इनके पास हैं। दोनों का संबंध गरीबों के जीवन से है। लेकिन जितनी घोर उपेक्षा इन दोनों विभागों की हो रही है और जिस ढंग से इन दोनों विभागों के अधिकारी काम कर रहे हैं उसको देखते हुये माननीय मंत्री जी कोई अंकुश इन दोनों विभागों के ऊपर नहीं लगा पा रहे हैं इसलिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूँ।

मैं सबसे पहले दुग्ध विभाग से शुरू करता हूँ। यह दुग्ध विभाग काला विभाग बनता जा रहा है। इस विभाग के अंदर जितनी अनियमितता है, जितनी अराजकता है, उसको देखते हुये इसके बारे में पूरी जांच होनी चाहिये। 1938 में सबसे पहले सहकारिता के आधार पर लखनऊ शहर में एक दुग्धशाला खोली गयी। उसी पैटर्न को आनंद ने अपनाया और अपनी दुग्धशालायें खोलीं। आप कहते हैं कि सहकारी समितियों के आधार पर हम उत्तर प्रदेश में दुग्धशालायें चला रहे हैं। लेकिन स्थिति क्या है आपकी कहीं पर चुनी हुयी समिति नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जितनी आपकी दुग्धशालायें हैं, डेरियां हैं वह सब प्रशासनिक आधार पर चल रही हैं। उन पर अफसर हावी हैं। आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 अफसर उन पर हावी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि सहकारिता के आधार पर चुनी हुयी कौन कौन डेरियां और समितियां हैं उसका उल्लेख मंत्री जी कर दें। बजट में आपने लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ फिर से गठित करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्यों करेंगे, क्योंकि जो दुग्ध उत्पादक हैं, उनको जो बड़े बड़े दुग्ध के दुधिये हैं, उनका शोषण न करने पायें। लेकिन इन सब बातों को नजर अंदाज करके आज इतना बड़ा घाटा आपके विभाग का है। श्रीमन्, आप ही कहते हैं कि 13 करोड़ रुपए का घाटा कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन को, इसी तरह आपके दूसरे विभाग को घाटा है। मैं आपकी डेरियों की स्थिति आपको बतलाना चाहूँगा कि उन डेरियों की हालत क्या हो रही है, इसको जरा आप मेहरबानी देखने चले जाइये, इनका कितने बड़े पैमाने पर घाटा हो रहा है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, अभी बोलना शुरू किया, मुझे दो मिनट का समय और दे दीजिए।

मान्यवर, मेरठ की डेरी का एक लाख लीटर होना चाहिए, लेकिन 41 हजार लीटर है, वाराणसी की डेरी एक लाख लीटर होना चाहिए, लेकिन 25-30 हजार लीटर है, इसी तरह से मुरादाबाद की डेरी का 14 हजार लीटर, उधर आपके कानपुर की डेरी का 15 हजार लीटर कानपुर की डेरी तो निरन्तर बन्द रही, इसके बारे में आपको कोई कारगर कदम उठाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्रीमती पुष्पा चौहान--

मान्यवर, हम महिलाओं की ओर भी ध्यान दीजिए।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र से हूँ। पहाड़ में 8 जिले हैं उसमें हमें मौका मिलना चाहिए, ताकि हम पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, वहां जो अवैध कटान हो रहा, अतिक्रमण हो रहा है, उसके बारे में सदन को अवगत कर सकें, माननीय मंत्री जी को अवगत कर सकें।

श्री मुख्तार अनीस--

अब मैं वन विभाग पर आता हूँ। मान्यवर, एक घंटा समय और बढ़ा दीजिए।

श्री सैय्यद जकीउद्दीन--

माननीय अध्यक्ष जी और सभी साथी विधायकगण, मान्यवर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मुझे वन विभाग से एक तो इसलिए कि इसमें कुदरती मनाजिर, प्रदूषण की रोक-थाम और दूसरे शिकार के लिहाज से इसमें खास दिलचस्पी है। माननीय मंत्री जी द्वारा यहां बजट पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, और हमारे सामने बैठे हुए लोगों ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं बता देना चाहता हूँ कि यह सारे वन इन लोगों न काटे हैं (हंसी) यह तो कटौती का इनको शौक है।

मैं कुछ सुझाव दूंगा। मंत्री जी एक तो यह कि जो आपकी पेड़ लगाने की ब्लाक वाइज स्कीम बनी है, उसमें मेरी दो गुजारिश है, एक तो उसमें इमारती लकड़ी का प्राविधान किया जाय, क्योंकि अब तक इसमें यूकीलिपट्स और सूबबूल का ही प्राविधान है। इसके अलावा वैसे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इसके लिए मैं अपनी राय दूंगा कि इसमें फलदार वृक्ष

जैसे आम, अमरूद वगैरह को भी इसमें रखा जाय। इसके अलावा माननीय मंत्री जी मेरा सुझाव है कि जो बंजर ऊसर जमीन पड़ी है, वह हम देखते हैं कि 50 सालों और 100 सालों से वह बेकार पड़ी हुई है, वह खेती के काबिल नहीं है, मेरा तर्जुबा है कि इनके अंदर पेड़ लगाये जा सकते हैं ।

मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस सारी जमीन को अपने डिपार्टमेंट के अन्तर्गत लेकर उनमें आप पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे, तो इसमें वन विभाग को काफी कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा रेलवे लाइनों के आस-पास की भूमि, सड़कों के आस-पास की भूमि, नहरों के आस-पास की भूमि यह काफी तादाद में खाली पड़ी हैं, अभी आपके विभाग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, मेरी राय है कि इन सब पर वृक्षारोपड़ किया जाय।

इसके अलावा मैं शिकार के ऊपर कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह मुल्क की बहुत बड़ी सम्पत्ति है जंगली जानवर, मुझे आपसे कहना है कि सौ, सवा सौ फारेस्ट ब्लाक इस प्रदेश के अन्दर हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि शिकार के लिए हर वर्ष खुले ब्लाकों को पांच साल तक दोबारा न खोला जाय, तो इस प्रकार 15-20 ब्लाकों का एक साल में खुलने का नम्बर आ जायेगा, अगर शिकार के लिए बिल्कुल ब्लाक बंद कर देंगे, तो यह हम लोगों की हकतलफी होगी। वैसे जहां तक शेर के आदमखोर होने का मसला है तो मैं भी समझता हूँ कि बहुत से ब्लाकों में शेरों की तादात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस पर खास तौर पर ध्यान दिया जाय। अगर जरूरत हो तो उन ब्लाकों को शेर के शिकार के लिए खोल दें।

मैंने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डेन से बात किया था उन्होंने बताया कि वनों में जो इक्यूलिपटस लगाये जा रहे हैं इससे भी जानवरों में कमी आ रही है। मेरा सुझाव है इन पेड़ों के साथ-साथ जो कुदरती व इमारती लकड़ी का डिपो के साथ पेड़ है उनको बराबर का मौका दे तो वन के अन्दर...

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सैय्यद जकीउद्दीन—

जंगली जानवरों का जीवन सेफ हो सकता है और वह बढ़ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री कुँवर सिंह नेगी—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र का आर्थिक ढांचा वनों पर निर्भर करता है। आपने वन सुरक्षा अधिनियम और वन्य जन्तु सुरक्षा अधिनियम के जरिये से वहाँ के लागों की रोजी रोटी छीन ली है। वहाँ के लोगों के उद्योग बन्द हो गयें हैं और जानवरों की चरान चुगान बन्द हो गई है। उनको ईंधन और इमारती लकड़ी नहीं मिल रही है। इस शासन ने दिसम्बर 82 में वन जन्तुओं से जानवरों की क्षति के लिये मुआवजा देने का प्राविधान किया है। मैंने मंत्री जी को एक प्रस्ताव दिया था कि इसमें बहुत सी त्रुटियाँ हैं इसको व्यवहारिक बनाया जाय। मैंने संशोधन पेश किया था मेरा सुझाव है कि उसी तरह से इसको देखा जाय। मैं नहीं कहता कि अधिनियम खराब है अधिनियम ठीक है लेकिन जो उसका अन्धा अनुकरण हो रहा है यह खराब चीज है इसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिये ।

मान्यवर नन्दा देवी सेन्कचूरी में नियुक्ति के लिये इन्टरव्यू हुआ था, सेलेक्शन हो

गया था लेकिन उसको रोक दिया गया। टेहरी वृत्त में 10 फारेस्ट गार्ड की आपने सारे नियमों का उल्लंघन करके लखनऊ में बैठकर नियुक्ति कर दी। वहाँ पर 20 वर्षों से लोग डेलीवेजेज पर काम कर रहे हैं वह रेगुलर नहीं हुए हैं। दो-डेढ़ सौ रुपया पाते हैं मेरा सुझाव है कि उनको आप रेगुलर कर द। मान्यवर, वन विभाग में ए0 सी0 एफ0 ट्रेनिंग पर जाते हैं उनका ट्रेनिंग काल उनकी सेवाकाल में नहीं माना जाता है न वेतन दिया जाता है। जो आपका आई0 एफ0 एस0 अधिकारी हैं वह उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि वह उनके साथ टेबुल पर भी बैठना नहीं पसन्द करता है। पशुओं की संख्या कम करने के लिये आप अंगारु खरगोश को पालने के लिये लोगों को प्रोत्साहित करें। इस पर प्रतिदिन 20 पैसे का खर्च है और 4 सौ रुपये की ऊन यह खरगोश प्रतिवर्ष देती है। टेहरी गढ़वाल में इसको स्वामी मनमथन नन्द ने शुरू किया है।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री शिवनारायण सिंह नेगी--

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, वन विभाग पशुपालन और मत्स्यपालन की योजनायें हैं। जहाँ तक वन विभाग का सम्बन्ध है मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ नैनीताल जिले में जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है 3/4 भाग करीब 5 सौ किलोमीटर से ज्यादा पिथौरागढ़ और गढ़वाल से मिला हुआ है। जिसके अन्तर्गत लालढांग जो रामनगर में है। मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में इतनी गरीबी है कि वह किसी आधुनिक तरीके से जो वहाँ की सर्दी है अपने को नहीं बचा सकते हैं। खाना बनाने तथा दूसरी चीजें भी वहाँ जंगल से मिलती हैं इसलिए उनको अधिक से अधिक सहूलियत देने की आवश्यकता है। वैसे आपने 27 प्रजातियों को छूट दी है लेकिन उसके बाद भी पर्वतीय क्षेत्र के काश्तकारों का हल, दन्याली, पन्याली के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मकान बनाने में चीड़ या दूसरे जो पेड़ काम आते हैं, उनकी कीमत इतनी अधिक हो गयी है कि उस पर भी विचार करना आवश्यक है। लाल ढांक ग्राम रामनगर के पास है, कार्बेट पार्क के बिल्कुल नजदीक, दो सौ परिवार रहते हैं, उनकी जान का तथा जानवरों के लिए बड़ा नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि इस भूमि को फारेस्ट ले ले और दूसरी जगह उनको दे दे, जो काशीपुर के पास है।

इस पर विचार करने की आवश्यकता है। दो बातें पशुपालन के संबंध में कहना चाहता हूँ। पर्वतीय क्षेत्र की हालत ठीक करने के लिए अच्छे नस्ल की गाय, भैंस, बकरी के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुदान दिलवाने की आवश्यकता है। अंगूरा खरगोश के कारोबार को बढ़ाने, मत्स्य पालन को बढ़ाने पर विचार करने की आवश्यकता है। फल उत्पादक जो हैं, उनकी परेशानी की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, 20 हजार पेटी रोजाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए आप को धन्यवाद देता हूँ।

---

*वक्ता वे भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, इस तरफ और उस तरफ के माननीय सदस्यों ने जो डिबेट में भाग लिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। सभी ने मेरी बातों का ही समर्थन किया है, औपचारिकता की बात अलग है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ। पशुपालन विभाग कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं चल रहा है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, इसको कुछ जोन्स में बांट दिया जाये और कहाँ पर किस प्रजाति के पशुओं का विकास हो सकता है, उसी तरह से बांट दिया जाये। जैसे चक गजरिया फार्म में साहीवाल पशु पालकर विकसित किये जाते हैं, तो एक फार्म में एक ही प्रकार के पशु पाले जायें। एक ही फार्म में कई तरह के जानवर रखने से उनका विकास नहीं हो पाता। दुग्ध उत्पादन हमारे पशु बहुत कम दूध देते हैं। विदेशी देशों के पशुओं की तुलना में। जैसे डेनमार्क और यू0 एस0 ए0, वहाँ एक गाय एक साल में 3-4 हजार लीटर औसत दूध देती है और हमारे यहाँ 157 लीटर प्रति गाय प्रतिवर्ष औसत दूध देती हैं। तो इनका विकास क्रास ब्रीड से ही हो सकता है। इसमें जो अच्छे पशु-पालक हैं, गांव के लोग जो वास्तव में पशु पालक हैं, उनकी सोसाइटी बने और उन्हीं का अधिकार रहे, शासन का उसमें हस्तक्षेप कम केवल सुपरवीजन होना चाहिए ताकि वे अच्छी तरह से चलें जैसे गुजरात में आनन्द डेरी चल रही है। मान्यवर, बृज की जो महत्ता थी, वह पेड़ों से थी, वनों से थी, करील-कुंज व कदम्बों से भी, इसलिये तो--कोटिक हों कलधौत के धाम, करील की कुंजनि ऊपर वारौं--महाकवि रसखान ने बृज के करील कुंजों के ऊपर-करोड़ों सोने और चांदी के महलों में भी जाना पसन्द नहीं किया था। आप पेड़ों का कटान निरन्तर रूप से चल रहा है। राजस्थान का रेगिस्तान तेजी से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता चला आ रहा है, को रोके। दूसरे मान्यवर, इनका प्रसार विभाग है उसके द्वारा अरण्यक नाम का पत्र निकालता है। दो लाख प्रतियां प्रतिमाह निकाली जाती बताते हैं। लेकिन वह अच्छी तरह से वितरित नहीं की जाती हैं। मुझे तो मिलती नहीं है। अन्य मा0 विधायकों को मिलती है या नहीं--

(समय 5 बज कर 15 मिनट)

कह नहीं सकता। ग्राम सभाओं के प्रधानों को भी नहीं मिलती है। इसका वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिये। मा0 मंत्रीजी आप जो अपने फ़ोटो आदि निकलवाते हैं वह उसी अरण्यक पत्र में निकलवाया करें। जनता के गरीब खजाने का दुरुपयोग न करें। अरण्यक पत्र में ही अपने फोटो और लेख निकलवा कर जनता के पैसे बचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सरदार सिंह--

पशुपालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन की ओर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तभी कुछ गरीबों का भला किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) आप लोग बैठें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। हम सब लोग जंगलों से घिरे हैं। मंत्री जी के विभाग में 4 हजार, 3 हजार कर्मचारी 18-20 सालों से काम कर रहा है उन्होंने उनके स्थाई करने का जिक्र नहीं किया। एक तो यह मैं व्यवस्था चाहता हूं। दूसरी व्यवस्था है कि....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

(× × × × ×)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये। कोई चीज नहीं लिखी जायेगी।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, हमारे गाँव के आस पास शेर-भालू और हाथी घूमा करते हैं। हमारी गायों के बछड़ों को मार देते हैं। हमारी सरकार गारन्टी नहीं लेती है। तीसरी बात कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

भाषण नहीं हो रहा है। आप बैठिये।

श्री संजय सिंह--

सरदार सिंह जी ने मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, वह हमारे मित्र हैं, उन्होंने चकगंजरिया फार्म के संबंध में कहा कि वहां गायों के मारने की घटनायें होती हैं। मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि इसकी जांच चल रही है। अंतरिम रिपोर्ट भी आ गयी है। फाइनल रिपोर्ट आने पर मैं समझता हूं कि कोई दोषी व्यक्ति जो इस घटना से संबंधित है बच नहीं सकेगा। विन्दुखत्ता में जो लैंड का इनक्रोचमेंट हो रहा है निश्चित रूप से दुखद है। विभाग से कार्यवाही हो रही है। जो भी संबंधित व्यक्ति है उनके खिलाफ केशेज तैयार किये गये हैं। मैं समझता हूं कि सख्त कार्यवाही होगी जिससे कोई और जमीन का इनक्रोचमेंट न हो सके।

हमारे तमाम सारे विधायकों ने डेरी के बारे में कहा कि कहां कहां डेरी में भ्रष्टाचार है। मुख्तार अनीस साहब ने इस बारे में कहा। अजमानी साहब ने कहा कि लखीमपुर में नरभक्षी शेरों द्वारा कुछ लोग मारे गये हैं। इसमें मैं बता दूं कि अभी तक कम्पेन्सेसन पांच हजार रुपया मिलता था। शासन में इसपर विचार हो रहा है कि इसे 10 हजार कर दिया जाये। अकबाल अहमद ने एक बात कही निगम की चोरी के बारे में। पीरपुर में मारपीट की घटना हुई उसकी जांच हो रही है। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही इस बारे में सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। अनेक विधायकों ने विभाग के बारे में सुझाव दिया है। जो भी सुझाव आये हैं, मैं उनको स्वीकार करता हूं । मान्यवर, मैं, एक चीज के बारे में बल देना चाहता हूं कि जो भी विभाग के काम हैं वे सारे जनहित से सम्बन्धित हैं और हम आप-सारे लोग उसी जनहित को देखने के लिये यहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में आये हैं। आप अपना कंक्रीट सुझाव दें और जो हमारी कमियाँ हैं उनकी ओर आप इंगित करें। जैसा कि माननीय श्री सरदार सिंह जी ने कहा। सौभाग्य से वह अमेठी भी हो आये हैं जिस समय चुनाव चल रहे थे उस समय उन्होंने एक बात कही कि गजरिया फार्म के अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही

नोट :--(×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की गई लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। श्री परम हंस पाण्डेय को चार्ज-शीट दे दी गई है और मैं समझता हूँ कि जैसे ही इसका परिणाम निकलेगा सख्ती से उस पर कार्यवाही की जायेगी। और यह भी तय है कि जो भी लोग इससे सम्बन्धित हों विभाग अथवा विभाग के कार्यों से फायदा और नुकसान से, उसमें हम और आप लोग अपना कोई एंगिल सिद्ध न कर और उसके प्रति कोई अपना राजनैतिक दृष्टिकोण न रखें।

अगर सरकार का दायित्व है तो वह जन-भावना को ध्यान में रखते हुए हर तरह से उनको फायदा देने तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिये तैयार है। उसी जगह पर सामने बैठने वाले लोगों को भी सरकार के कार्यों में अपना सुझाव देना चाहिये और उनमें सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिये और यहाँ पर राजनीति से प्रेरित होकर कोई ऐसी बात न करें या कोई अपना ऐसा स्टेटमेंट दें जो इस सदन के लिये तथा जो बाहर बैठे हुए हैं, अच्छी न हों।

मैं सभी साथियों को जिन्होंने इस बजट के डिसकसन में भाग लिया उन सभी को धन्यवाद देता हूँ तथा साथ ही साथ मैं यह चाहता हूँ कि इस तरह से हाउस में तथा हाउस के बाहर भी वे हमें सुझाव देते रहें ताकि हम इस विभाग के जरिये जनता को अच्छी से अच्छी सुविधा दे सकें।

मान्यवर, डेरी के बारे में कहा गया कि वहाँ पर घाटा हुआ है। हमने स्वयं अपनी बात में कहा है कि कुछ घाटा हुआ है उसका कारण था--पद्धति। जिसके तहत सोसाइटी के जरिये से जो दूध इकट्ठा होता है। तथा हर डेरीज में इसकी व्यवस्था आनन्द पद्धति से नहीं थी। बीच में कुछ ऐसे सक्रिय लोग थे, मजबूत लोग थे, जो दुग्ध-उत्पादकों का एक्सप्लाइट करके, उनका शोषण करके तथा जिनका दूध खराब था तथा उसकी मात्रा भी कम थी, इन सारी चीजों को समाप्त कर दिया गया है। आज आनन्द पद्धति के जरिये से, चाहे वह आपरेशन फलड-2 हो और चाहे अन-आपरेशन फलड-2 हो, ही काम किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में दूध की कमी नहीं आयेगी और न ही इन डेरियों की हालत खराब होगी। मैं पुनः उन सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस डिसकसन में भाग लिया है उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-34-पशुधन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपए कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-34-पशुधन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,83,24,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विभाग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35-पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,15,-59,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38-मत्स्य विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38-मत्स्य विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,45,41,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46-वन विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 46-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 29,61,79,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।):

नियम--51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैंने इनको देखा है। मैंने केवल मा0 मोती लाल देहलवी की सूचना को स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकृत किया है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, एक सूचना मेरी थी।

श्री अध्यक्ष--

एक ही स्वीकार हो सकती है, वह मैंने कर ली। आप नियमों को देखें।

मुजफ्फर नगर के ग्राम जीवनीपुर आदि में जोत की जमीन गंगा नहर बैराज में डूब जाने के संबंध में वक्तव्य

उद्योग एवं सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मध्य गंगा परियोजना के अन्तर्गत.....

(सिंचाई मंत्री द्वारा शेष वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाने का प्रस्ताव करने पर)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री वीर बहादुर सिंह--

बिजनौर के पास गंगा नदी पर बैराज का निर्माण प्रगति पर है जहां गंगा नदी के दायें किनारे से मध्य गंगा नहर निकाली जा रही है । बैराज के निर्माण के फलस्वरूप कार्यस्थल के ऊपर गंगा नदी के दोनों ओर भूमि जलमग्न होगी । यह भूमि अधिकांश खादर क्षेत्र की है । दायें तट पर मुजफ्फरनगर जनपद में लगभग 4108 हेक्टेयर भूमि डूब में आयेगी जिसमें खेतिहर भूमि के अलावा ग्राम समाज तथा वन भूमि भी सम्मिलित है । मुजफ्फरनगर जनपद में 2100 हेक्टेयर खेतिहर भूमि प्रभावित होगी जो कुल 17 ग्रामों से संबंधित है ।

भूमि के अतिरिक्त चार ग्रामों की आबादी (जीवनपुरी मजरा गांवड़ी गैर अहतमाली, रणजीतपुर, धारीवाली-गैर अहतमाली-उर्फ कसाईवाला, जलालपुर बेहड़ा) भी डूब क्षेत्र में आयेगी । इन डूबने वाले चारों ग्रामों की जनसंख्या लगभग 1100 है ।

डूब में आ रही भूमि को नियमानुसार अध्याप्ति की जा रही है तथा भू-स्वामियों को नियमानुसार प्रतिकर दिया जायगा । जो मकान डूब क्षेत्र में आ रहे हैं उनका प्रतिकर दिये जाने हेतु भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । मध्य गंगा बैराज व नहर का निर्माण पूर्ण करके जून 1984 में नहर को चलाया जाना प्रस्तावित है तथा इससे पहले ही सभी प्रतिकर वितरित कर दिये जायेंगे ।

दायें अफलक्स बांध का निर्माण हो जाने के कारण "बहानाले" का बहाव बन्द हो गया है इसके फलस्वरूप जनपद मुजफ्फरनगर में पिछली खरीफ में पांच ग्रामों की 292 हेक्टेयर भूम में पानी भर गया, जिससे फसल प्रभावित हुई । प्रभावित हुई फसल का मुआवजा कृषकों को नियमानुसार दे दिया गया है । इन दिनों गंगा नदी का जल स्तर नीचा है तथा नाली बनाकर आंशिक रूप से यथा संभव नाले के जलागम क्षेत्र का पानी निकालने की व्यवस्था कर दी गई है अतः वर्तमान रबी में प्रभावित फसल केवल 54 हेक्टेयर है । इस प्रभावित रबी फसल का मुआवजा बांटने का प्रबन्ध किया जा रहा है । भूमि उपलब्ध न होने के कारण भूमि के बदले भूमि देना संभव नहीं है ।)

*श्री मेंहदी असगर--

वैसे एक बात स्पष्ट कहे देता हूं कि जो आपके वहां पर कर्मचारी है मध्य गंगा पर, जो इस मामले को देख रहे हैं, मैं साफ तरीके से उनकी प्रशंसा करता हूं कि उनके काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आबादी 1100 लिखी है, यह 1100 न होकर 4000 के लगभग है । यह जो सूचना दी गयी है, यह सूचना गलत है, इसलिये कि मेरे क्षेत्र का मामला है, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं । मैं आपका ध्यान वक्तव्य के आखिरी पैरा की तरफ दिलाना चाहूंगा, यह तो आपने स्वीकार कर लिया है कि 4 ग्रामों की समस्त आवादी तथा जोत जमीन डूब में आ गयी है । सभी की भावना यह है कि किसी भी आदमी को अपनी जन्मभूमि से उठाया जाय तो....

श्री अध्यक्ष--

कोई इतना लम्बा वक्तव्य न दें, केवल स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न करें ।

नोट :--( ) पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मेंहदी असगर—

भूमि उपलब्ध न होने के कारण भूमि के बदले भूमि का देना सम्भव नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर सारे डेवलपमेंट्स किये गये, स्कूल्स खोले गये, सड़कें निकाली गयीं, अस्पताल खोले गये यानी सारी सुख-सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध करायी गयी, फिर भी वहाँ पर लोग रहने के लिए तैयार नहीं हैं और कालोनी पूरी खाली पड़ी है, देहरादून में जिसे आपने बसाया वह सब राईवाला में आकर बस गये हैं, और वह जमीन पूरी खाली पड़ी है यदि आप विचार करें तो वह जमीन इन्हें दी जा सकती है।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, टेहरी प्रयोजना जो बनाई गयी तो उसमें जितनी भूमि की आवश्यकता थी, वह ले ली गयी और यह तय किया गया था कि भूमि के बदले भूमि दी जायेगी, तो उसमें यह हुआ जो हमने उनसे वायदा किया था उसे पूरा नहीं कर सके क्योंकि वन भूमि सेण्ट्रल ऐक्ट के अनुसार हम दे नहीं सकते, सीलिंग भूमि नियमानुसार हम किसी दूसरे स्थान के निवासियों को दे नहीं सकते। तो जो वायदा हमने टेहरी के लिए किया था उसे हम पूरा नहीं कर सके, इसलिए इसमें अब हम फिर कोई वायदा कर लें और वायदा पूरा नहीं कर सकें तो वह उचित नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर अब कोई वायदा नहीं करना चाहते हैं।

श्री मेंहदी असगर—

मान्यवर मेरी निश्चित जानकारी है कि जो भूमि आपने उन्हें दी, वह उस पर नहीं बसे। इसलिए हम तो कंडीशनल चाहते हैं अगर कोई जमीन खाली हो, उस भूमि के आवंटन की व्यवस्था कर दें (शोर)

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह कैसे सम्भव हो सकता है वहाँ पर सारे डेवलपमेंट किये गये हैं ट्यूबवेल्स लगवाए गये, स्कूल, अस्पताल व सड़कें आदि खुलवाई व बनवाई गयी हैं, यह जरूर है कि कुछ लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं परन्तु वह वहाँ पर अपनी खेती आदि करते हैं, तो हम उनको कैसे हटा दें और एक आवंटन पर दूसरा आवंटन किस तरह कर दिया जाए, यह सम्भव नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

जिन चार गाँवों को आपने डिस्प्लेरड किया है वहाँ के लोगों को ज्यादातर पैसे की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ज्यादा भूमि की आवश्यकता है ताकि उनका मस्तक्बिल कायम रहे तो क्या माननीय मंत्री जी इन लोगों को सीलिंग की भूमि देकर कहीं पर बसाने की कृपा करेंगे ? क्योंकि सेंट्रल ऐक्ट के अन्तर्गत आप इन्हें वन की भूमि दे नहीं सकते हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर सीलिंग की भूमि भी इन्हें हम इसलिये नहीं दे सकते हैं क्योंकि नियमो में है कि जहाँ पर की भूमि ली जाए वहीं वालों को वहीं की भूमि दी जाए और वन की भूमि भी हम दे नहीं सकते, न हम कोई पेड़ वहाँ काट सकते हैं। तो भूमि का सवाल ही नहीं उठता है। और सीलिंग की भूमि जहाँ पर होती है वह वहाँ के गरीबों को, हरिजनों को तथा भूमिहीनों को दी जायेगी। और फिर सरकार कोई वायदा कर ले और उसे पूरा न करे वह भी ठीक नहीं है।

श्री मेंहदी असगर--

मान्यवर, मैं इस विषय पर केवल अनुरोध ही कर रहा हूँ कि जिनकी भूमि आपने ली है, उनके लिए कंडीशनली यदि आप भूमि वहीं पर यदि देना चाहते हों तो सहानुभूति-पूर्वक कृपया विचार कर लें। जिनके बाप-दादे वहाँ पर सड़-गल गये उस जमीन से कितना लगाव होगा, इसे हम आप स्वयं अपने दिल से सोचें।

श्री अध्यक्ष--

आप तो सूचना दे रहे हैं, स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न करना चाहिए था।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, वहां पर जो लोग विस्थापित किये गये हैं, उनके साथ पूरी तरह से शासन को सहानुभूति है, जो भी उचित कार्यवाही होगी, अवश्य की जायेगी, लेकिन वायदा मैं नहीं करता। लेकिन कोई वायदा कहीं कर दें और उसे न कर सकें यह कोई अच्छी बात नहीं है जो कुछ कर सकेंगे करेंगे।

मेडिकल कौंसल आफ इण्डिया द्वारा लखनऊ मेडिकल कालेज की एम0 डी0 डिग्री की मान्यता रद्द किये जाने एवं एम0 बी0 बी0 एस0 की डिग्री को रद्द करने की चेतावनी दिये जाने के संबंध में वक्तव्य

(स्वास्थ्य मंत्री के खड़े होने पर)

डा0 बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि मद संख्या 13 के वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

माननीय सदस्यों ने यह इंगित नहीं किया है कि मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया ने लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ के किस विभाग की एम0 डी0 डिग्री की मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है।

मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया ने के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ का निरीक्षण मार्च 1977 में किया था। मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया ने अपनी निरीक्षण टिप्पणी में मेडिकल कालेज के समस्त विभागों के अण्डर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट विभागों के शिक्षण कार्य को संतोषजनक पाया। केवल एम0डी0 फिजियोलाजी विभाग के संबंध में असंतोष व्यक्त किया था। मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया ने अपनी निरीक्षण टिप्पणी में यह संस्तुति की थी कि फिजियोलाजी विभाग में प्रोफेसर का एक अतिरिक्त पद सृजित कर दिया जाये। निरीक्षण टिप्पणी में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि परीक्षा में विधिवत् सम्पन्न नहीं की जा रही हैं एवं शिक्षण कार्य का स्तर भी गिर गया है। इसके साथ-साथ फिजियोलाजी विभाग में प्रशिक्षण प्रोग्राम में भी सुधार लाने का सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त विभाग में शोध कार्य के संबंध में भी गतिशीलता लाने का उल्लेख किया गया था। निरीक्षण टिप्पणी की अनुपालन आख्या भेजने के पूर्व मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया ने अपने पत्र दिनांक 24 मई, 1982 में यह चेतावनी दी थी कि यदि कौंसिल द्वारा मार्च 1977 में की गई निरीक्षण टिप्पणी की अनुपालन आख्या उन्हें प्राप्त नहीं होती तो उनके सामने इसके

अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जायेगा कि वे एम0डी0 (फिजियोलाजी) में प्रदान की गई मान्यता को समाप्त कर देंगे। मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया की वर्ष 1977 की टिप्पणी में उठाई गई आपत्तियों के निराकरण के संबंध में निम्नांकित कार्यवाही की गई है और इसकी सूचना प्रिंसिपल, के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 1982 में मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया को दे दी है :

1. फिजियोलाजी विभाग के स्नातकोत्तर कोर्स से संबंधित प्रशिक्षण प्रोग्राम में अभीष्ट परिवर्तन कर दिया गया है और विभाग में नियमित रूप से सेमिनार एवं सिम्पोजियम प्रारम्भ कर दिये गये हैं।
2. शोध कार्य में गतिशीलता लाई गई है एवं इन्वेस्टीगेटिंग रिसर्च एवं सक्पेरीमेंटल कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है।
3. बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला में अभीष्ट सुधार कर दिया गया है साथ साथ रीडर इन बायो-केमिस्ट्री के पद को भी भर दिया गया था। परन्तु इस बीच यह पद किन्हीं कारणों से खाली हो गया है। इसको भरने का प्रयास किया जा रहा है।
4. शिक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रयोगशाला कार्य-प्रणाली मे सुधार कर दिया गया है।
5. फिजियालोजी विभाग में एक अतिरिक्त प्रोफेसर के पद का सृजन भी कर दिया गया है।

प्रिंसिपल, के0जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ ने अनुपालन आख्या भेजते हुए मेडिकल कौंसिल से यह भी अनुरोध किया है कि वह अप्रैल, 1983 में होने वाली फिजियोलाजी विभाग की परीक्षाओं का स्थल पर ही निरीक्षण कर लें। मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया ने परीक्षाओं की वास्तविक तिथि की सूचना भेजने के लिए प्रधानाचार्य से सीधे ही अनुरोध किया है। परीक्षाओं की तिथि की सूचना प्रधानाचार्य मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया को सीधे ही भेजेंगे।)

डाक्टर वृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं इस वक्तव्य के दो बिन्दुओं की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया ने जो मेडिकल की पढ़ाई का स्टैण्डर्ड निर्धारित करता है और यह भी देखता है कि उसका अनुश्रमण हो रहा है या नहीं। तो उसने 1977 में लखनऊ मेडिकल कालेज का निरीक्षण किया और उसने पाया कि इसकी पढ़ाई सन्तोषजनक नहीं है, स्टाफ ठीक नहीं है और भी बहुत से आरोप लगाये केवल लखनऊ मेडिकल कालेज ही नहीं बल्कि गोरखपुर और आगरा विश्वविद्यालयों का भी इसमें सन्दर्भ दिया है। एम0डी0 की ही नहीं बल्कि एम0बी0बी0एस0 के लिये भी इसमें चेतावनी दी गयी है। यह निरीक्षण 1977 में हुआ और 1982 तक उसके निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट नहीं भेजी गयी तब उसने 1982 में चेतावनी दिया कि मान्यता रद्द कर देंगे।

नोट--( ) पढ़ा हुआ माना जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह चेतावनी उसने मेडिकल कालेज को दी थी और उसके संबंध में पत्र शासन को भी लिखा था । तो लखनऊ सहित सभी मेडिकल कालेजों में क्या आपने यह देखने का प्रयास किया कि निर्धारित मानक के अनुसार इसमें कार्यक्रम चल रहा है या नहीं ? और शासन ने इसके प्रति क्या कार्यवाही की है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन् 1977 के बाद 1979 में मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया ने पुन: स्पेक्शन किया, उसने जो त्रुटियां 1977 में पायी थीं, वह उस समय तक दूर हो चुकी थीं। डिपार्टमेन्ट ने फिजियालोजी के बारे में 1979 में लिखा था, उसमें सुधार कर दिये गये हैं और 1982 में उन्हें इस संबंध में पत्र जा चुका है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेडिकल कालेज ने कौंसिल को लिख दिया परन्तु कौंसिल उससे सन्तुष्ट है या नहीं ? मैं यह साफ जानना चाहता हूं कि यह जिम्मेदारी शासन की है, शासन इस बात को देखे कि मेडिकल कालेजों में पढ़ाई की व्यवस्था, शोध की व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार हैं या नहीं ? शासन ने अपने स्तर से क्या यह जानने का प्रयास किया है कि उसके परिणाम क्या आये ? विभिन्न मेडिकल कालेजेज ने उस हिसाब से जो पद मांगें हैं उसकी पत्रावली जरूर शासन में पड़ी होगी, उस पर शासन क्या कर रहा है कि मेडिकल कालेज की व्यवस्था उसके अनुरूप हो जाय ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन् जो पद रिक्त हैं वह रीडर, प्रोफेसर और जूनियर प्रोफेसर के हैं और वे भरे जा रहे हैं । लखनऊ मेडिकल कालेज में 17 पद प्रोफेसर के रह गये थे, वह भर दिये गये । इसी तरह से विभिन्न मेडिकल कालेजों में जैसे लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और आगरा में जहां पर जो कमियां हैं उन पर नियुक्तियों का कार्यक्रम पूरा हो गया है और जहां नहीं हो पाया है, उसको हम पूरा कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो मूल सूचना थी उसमें फीजियोलोजी के एम0डी0 का ही सावल नहीं था, यह भी आरोप है कि स्टाफ पर्याप्त नहीं है और जो साज-सज्जा है वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो इक्युपमेंट के बारे में शासन ने क्या प्रयास किया।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जो इक्यूपमेंट सरजरी रेडियोलोजी के जिस जिस विभाग की कमियां हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे ।

गोरखपुर में विधायक श्री वीरेन्द्र प्रतापशाही पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15-3-83 को लगभग 11-40 बजे श्री सुशील कुमार वर्मा पुत्र श्री जयदेव वर्मा ने श्री बीरेन्द्र प्रताप शाही के निवास से टेलीफून द्वारा थाना कैन्ट को सूचना दी कि 11-30 बजे श्री शाही विधायक के ऊपर फायर किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक, नगर, क्षेत्राधिकारी कैन्ट तथा निरीक्षक प्रभारी कैन्ट-मय फोर्स के तुरन्त घटना-स्थल पर पहुँचे । वहाँ पता चला कि श्री शाही मकान के बरामदे में बैठे कुछ व्यक्तियों से बात-चीत कर रहे थे । उनके ऊपर फायर हुआ तो उनके सिर के

ऊपर दीवाल में लगा। सिपाही संतरी ड्यूटी पर था फायर होने के बाद आक्रमण कारियों के पीछे भागा। कांस्टेबिल के पास रायफल और तीस कारतूस भी थे।

2--श्री शाही जहाँ बैठे थे वहाँ से पचास फुट की दूरी पर लगभग सात फुट चार इंच ऊँची बाउन्ड्री वाल बनी है। श्री शाही का रुख घटना के समय पूरब दिशा में होना बताया गया है। बाउण्ड्री वाल के बाहर दस फिट चौड़ी गली है जिसके दूसरी ओर लगभग तीन फुट ऊँची एक दूसरे मकान की बाउण्ड्री वाल है। इस दीवार पर दो ईंट रखी मिली जिस पर चढ़कर आक्रमणकारी द्वारा श्री शाही पर फायर किया जाना बताया गया।

3--श्री शाही की लिखित सूचना के आधार पर थाना कैन्ट पर अपराध अंतर्गत धारा 308/120बी भारतीय दण्ड विधान कायम किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

4--चारों ओर पुलिस द्वारा आक्रमणकारी की तलाश की गई। सन्तरी ड्यूटी का सिपाही तथा शेडो भी तलाश में भागे लेकिन अभियुक्त का कोई पता नहीं लगा। संतरी अभी तक नहीं लौटा है। विवेचना में यह ज्ञात हुआ है कि उक्त सिपाही के पीछे दो अन्य व्यक्ति भी भाग रहे थे और उन तीनों के भाग कर जाने की बात ज्ञात हुई है। यह भी ज्ञात हुआ है कि रेलवे स्टेडियम की ओर से एक मोटर साईकिल आई जिस पर उक्त सिपाही सवार हुआ था। अन्य दोनों व्यक्ति भी एक साईकिल पर सवार होकर चले गये। अभी तक मोटर साईकिल तथा अन्य दोनों व्यक्तियों का पता नहीं चला है।

5--उक्त सिपाही के काफी समय तक वापस न आने पर एक मकान के कमरे की तलाशी ली गई तो वहाँ एक खाकी पैन्ट मय बेल्ट, एक खाकी कमीज हाफ तथा जंगल बूट एवं बरान कोट बरामद हुआ। यह कमरा पालीटेकनिक कालेज गोरखपुर के दो छात्रों आशुतोष कुमार उपाध्याय तथा अनिल कुमार ने किराये पर ले रखा है। दोनों छात्र भागे हुए हैं और प्रैक्टीकल की चल रही परीक्षाओं में भी नहीं आ रहे हैं। इन छात्रों की तलाश की जा रही है। बरामद की गयी वर्दी उक्त सिपाही की होने की पुष्टि अन्य सिपाहियों ने की है। यह भी ज्ञात हुआ है कि उक्त सिपाही अक्सर छात्रों से मिलने जाया करता था। सिपाही का अभी तक पता नहीं चला। दिनांक 18-3-83 को सिपाही की रायफल तथा चार कारतूस हुमायूपुर रेलवे क्रासिंग के पास मिले हैं।

6--घटना स्थल पर प्राप्त फायर हुई गोली को बैलेस्टिक एक्सपर्ट की राय हेतु भेजा जा रहा है।

7--श्री शाही ने एफ0 आई0 आर0 में यह आशंका व्यक्त की है कि उनकी शत्रुता जनपद के श्री हरीशंकर तिवारी से है और वे पहले भी कई बार प्राण घातक हमला कर चुके हैं। सम्भवत: यह कार्यवाही भी उनके अथवा उनके समर्थकों द्वारा की गई हो। श्री शाही पर वर्ष 1980 में हमला किया गया था जिसमें श्री तिवारी नामजद थे। वर्ष 1981 के अक्टूबर मास में श्री शाही जब अस्पताल में दाखिल थे तब भी उन पर हमला हुआ था जिसमें वे बच गये थे। इस अभियोग में भी श्री तिवारी नामजद थे। इस अभियोग की विवेचना अपराध शाखा द्वारा हो रही है। घटना के दिन ही पुलिस उप महानिरीक्षक एवम् ज्येष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा घटना-स्थल का निरीक्षण किया गया है।

8--अभियोग की विवेचना जारी है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह स्टेटमेंट जैसा कि समाचार पत्रों में देखने को मिला और हम लोगों को मालूम हुआ है यह बहुत पुराना है। क्या माननीय मंत्री जी, जो इसमें तीन चीजें आयी हैं एक तो सन्तरी नहीं पकड़ा गया, छात्रों की तलाशी हुई और हरिशंकर तिवारी के ऊपर शंका की गई। इन तीनों बिन्दुओं पर जो अब तक की स्थिति हो, उसे बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन् विवेचना चल रही है। एक बिन्दु की सूचना इस प्रकार आयी है कि सलेमपुर पुलिस जिला देवरिया द्वारा ए0 पी0 ज्ञानेन्द्रा राय सिपाही को 20-3-83 को ढूंढ़ लिया गया है और गोरखपुर पुलिस द्वारा उसे गोरखपुर ले आया गया है। उसे धारा 307।120 बी भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त दिनांक को ही दूसरे सिपाही सी0 पी0 12 प्रेमनाथ राय को भी इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों सिपाहियों को 21-3-83 को न्यायालय में प्रस्तुत करके 3 दिन के लिये रिमाण्ड पर लिया गया है। तीसरे अभियुक्त की खोज जारी है।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ला के बड़े अच्छे विद्वान हैं इसलिये इस पर ला के अन्तर्गत ही बहस होनी चाहिए वरना बात बढ़ जायेगी। मैं तो ला का छोटा सा जानकार आदमी हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक एफ0 आई0 आर0 शाही ने की वह अलग स्टोरी बतलाती है, दूसरी एफ0 आई0 आर0 जो सिपाही देवरिया में पकड़ा गया, वह अलग ही स्टोरी बताती है, तीसरी जो बयान पुलिस ने दिये जब उसको देवरिया से गोरखपुर को हैंड ओवर किया गया तो वहां पर अफसरान के सामने जो बयान दिया, वह अलग ही स्टोरी दर्शाती है, अखबारों में जो बातें निकली हैं, वह एक अलग ही स्टोरी दिखाती है। इसके अलावा दानों पक्षधर के जो बयान हैं वे अलग-अलग चल रहे हैं। पहले बयान में जो 15-3-83 को घटना हुई उसमें यह कहीं नहीं पाया गया कि वह सिपाही पकड़ा गया, कहां उनको ले गये, यह नहीं बताया गया। मंत्री जी ने तो दूसरे ही सवाल में यह बताया कि विवेचना जारी है। उनकी एक अलग स्टोरी है।

इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से करायी जा रही है। मेरा निवेदन है कि सी0 आई0 डी जो है वह एस0 एस0 पी0 गोरखपुर और अफसरान के खिलाफ कौन सी इन्क्वायरी करेगा। मैं चाहता हूं कि यदि आपको ठीक-ठीक पता लगाना है, तो सी0 बी0 आई0 से इसकी इन्क्वायरी करायी जाय जिससे निष्पक्ष इन्क्वायरी हो सके और सही बात का पता चल सके वरना बीसों बयान, अखबारों की बीसों कतरनें और लोगों के बयान हैं, उससे कुछ पता नहीं चल सकेगा।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जब पारस्परिक बिन्दुओं में ही मतभेद है, कोई गलत है, कोई सही है, किसी ने कुछ सूचना दी है, किसी ने कुछ सूचना दी है, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुये अपराध अनुसंधान शाखा को विवेचना के लिये यह मामला दिया गया है।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो सिपाही पकड़े गये और अखबारों में जो बयान आये हैं, क्या उन लोगों ने भी कोई बयान दिये हैं ? यदि हां तो वे क्या बयान दिये हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

उनको रिमांड पर ले लिया गया है ताकि असलियत का पता लगे।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, इसमें इनक्वायरी जारी है और यह बड़ी उलझी हुई गुत्थी है। मैं चाहूंगा

यह देखते हुए कि श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही जो इस माननीय सदन के सदस्य हैं, उन पर 80, 81, 82 और 83 में हर साल हमला हुआ है तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनकी सुरक्षा ठीक से हो जाय और वह स्वयं महसूस करने लगें कि अब शासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की गयी है ?

श्री गुलाब सेहरा—

शासन की ओर से पहले ही उनको शैडो दिया हुआ है और उनके घर पर आर्मड फोर्स लगी हुई है। इसके अलावा कोई और वह डिमांड करेंगे तो शासन उस पर विचार कर लेगा।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

बयान को पूरा पढ़ने से यही मालूम होता है कि जो एफ0आई0आर0 है उसमें यही लिखा है कि ऐसा कहा जाता है, या ऐसा बताया जाता है, लगता है शासन की तरफ से कोई जांच हो नहीं पायी है। माननीय मंत्री जी ने खुद कहा है कि विवेचना हो रही है। एक किस्सा दिया गया है एक एफ0 आई0 आर0 श्री शाही की ओर से लिखाई जाती है और दूसरी बार दूसरी लिखाई जाती है। यह सब झूठा है एक 20 फुट की दिवाल है उसके बाद गली पड़ती है और फिर 5 फिट दिवाल आती है और गोली भी संतरी चलाता है, अगर शैडो मारना चाहे तो वह कभी मार सकता है, क्योंकि वह तो साथ में रहता है। एफ0आई0आर0 का जो आधार दिया गया है, उससे मालूम होता है एफ0 आई0 आर0 झूठी है। इसको आप स्थगित करें। बयान पढ़ने से ऐसा लगता है जो लोग वहां से सूचना देते हैं उसमें भी लगता है पुलिस के लोग बंटे हुए हैं। इसकी सी0 बी0 आई0 से जांच कराई जाय तब सदन में वह आये।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं जानना चाहता हूं कि जो सिपाही पकड़े गये और जो रक्षा में थे उनका क्या बयान है ? शासन की तरफ से इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, निर्णय तब आयेगा जब विवेचना पूरी हो जाय और अपराध अनुसंधान शाखा से उसकी रिपोर्ट आ जाय। और जो लोग पकड़े गये हैं उनको रिमांड पर ले लिया है उनकी सूचना जो होगी और सी0 आई0 डी0 की जो रिपोर्ट होगी तब कोई निर्णय पर पहुंच सकते हैं।

*श्री श्याम नारायण तिवारी—

मान्यवर, यह मामला बड़ा जटिल है और हम लोगों के तमाम जीवन से संबंधित है। इसमें प्रतिदिन स्थानीय पुलिस पर दोनों पक्षों की ओर से दोषारोपण होते रहते हैं। सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट हो रही है और स्थानीय पुलिस उसमें लगी हुई है, तो कहां से निष्पक्ष जांच हो पायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी सी0 बी0 आइ0 से जांच करा कर जो दोषी व्यक्ति होंगे या जिस किस्म की बात होगी कार्यवाही करेंगे ताकि हम लोगों का पिंड इससे छूट सके ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा--

किसी की प्राइमरी रिपोर्ट तो शासन को पहले प्राप्त हो और जांच रिपोर्ट आ जाय अगर उसमें वह बिन्दु कवर नहीं होते हैं, तो हम इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

अब आगे बढ़िये (व्यवधान) यह आखिरी प्रश्न होगा।

*श्री नन्द किशोर सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुलिस के जो लोग सलीमपुर थाना में आत्मसमर्पण किये वह क्या एफ0 आई0 आर0 किये हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, वक्तव्य के बाद सूचना प्राप्त हुई है कि सिपाही पकड़ा गया, वह रिमांड में है, पुलिस कस्टडी में है, इसलिये उनका स्टेटमेंट भी मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही की तरफ से जो एफ0 आई0 आर0 लाज की गयी, उसमें जिन लोगों को शक किया गया है, उनसे आज तक पुलिस ने क्या पूंछ ताछ किया है, और क्या कार्यवाही किया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 की कापी में श्री हरिशंकर तिवारी से शत्रुता की बात लिखी है। और जब मान्यवर, मैंने कह दिया कि सी0 आई0 डी0 इन्क्वारी में यह मामला है, क्षेत्रीय पुलिस विवेचना कर रही है, पुलिस के जो सिपाही पकड़े गये उनको रिमांड पर लिया गया है, तो इन सब चीजों के बारे में जब पूरी सूचना प्राप्त हो जायेगी तब निर्णय दे दिया जायेगा, अभी तो स्टेटमेंट श्री शाही ने जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी है, वह उसी पर आधारित है।

(व्यवधान)

असरकारी संकल्प देने का समय निकल जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है कि अभी मैंने पीजन होल से एक कागज प्राप्त करके लाया हूं, जो संसदीय अनुभाग से 23 मार्च, 83 को यह पत्र छपा है और विधायकों को भेजा गया है। मान्यवर, सुबह आज 9 बजे पीजन होल खोला तो यह पत्र वहां नहीं था। उसमें लिखा है कि 24 मार्च, 1983 को 4 बजे तक संकल्पों की सूचनायें प्राप्त की जायेंगी, आज 4 बजे तक हमको असरकारी दिवस के लिये संकल्पों की सूचना प्रस्तुत करना था, तो जब यह नोटिस 5.45 बजे मिला है, तो वह 4 बजे का समय पहले ही समाप्त हो गया है, इसलिये संकल्प कैसे दें, इस पर व्यवस्था आप दें।

श्री अध्यक्ष --

अब तो आपको सूचना प्राप्त हो गयी है। इसमें ऐसा है कि असरकारी कार्यों के लिये, यदि आवश्यक हो, तो संगत नियम या कारण को निलम्बित करके श्लाका 15 दिन से पहले कर ली जाये, यह बात कार्य मंत्रणा समिति की 23 मार्च को हुई बैठक में तय हुई थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, जो सूचना हमको पौने एक बजे मिली थी, उसके अनुसार 15 दिन की समयावधि में कोई कमी की जा रही है, लेकिन यह सूचना कि संकल्पों की सूचनायें आज 4 बजे तक प्रस्तुत की जानी थी पौने छः बजे मिली तो 4 बजे का समय बीत गया है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, असरकारी दिवस के लिये संकल्पों की सूचना प्रस्तुत करने का समय कल 4 बजे तक के लिये निर्धारित करता हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मा0 सदस्य ने कहा है कि मैं अपने पीजन होल में गया तो कागज मिला, तो क्या यहां की सूचना उनके व्यक्तिगत पीजन होल में रखने का उत्तरदायित्व सदन का है।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मैं गल्ती से आपके पिजन होल में चला गया था।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, मैंने इस पर निर्णय दे दिया है।

वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में भूतपूर्व डी0 एफ0 ओ0 द्वारा अनशन किये जाने के संबंध में वक्तव्य

*वन एवं पशुधन मंत्री (श्री संजय सिंह)—

श्री राघव सिंह, राज्य वन सेवा में स्थायी सहायक वन संरक्षक थे। इन्हें कार्य संचालनार्थ प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी के पद का चालू कार्यभार सौंपा गया था। वहाँ इन्होंने श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी, तत्कालीन विधायक से अभद्र व्यवहार किया। परिणामस्वरूप उन्हें झांसी से हटाकर फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभागीय वनाधिकारी का चालू कार्यभार दिया गया। फतेहपुर में इनके विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुईं तथा अनियमिततायें प्रकाश में आयी। कार्य व आचरण बराबर खराब होने के कारण श्री राघव सिंह को बाध्य होकर प्रभागीय वनाधिकारी के चालू कार्यभार से हटाना पड़ा, जिसमें कोई पदावनति निहित नहीं थी। जब श्री राघव सिंह को प्रभाग के चालू कार्यभार से हटाकर सहायक वन संरक्षक के पद पर तैनात किया गया, तो इन्होंने इन आदेशों का पालन नहीं किया और बिना किसी अनुज्ञा के तैनाती के स्थान से अनुपस्थित रहे। श्री सिंह ने इसी बीच एक सशर्त त्यागपत्र दिया तथा कुछ महीनों बाद एक शर्त रहित त्यागपत्र प्रस्तुत किया। शासन ने विचारोपरान्त श्री राघव सिंह का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया।

इस विषय पर विधान सभा के प्रथम सत्र (1982) के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 167 के उत्तर में दिनांक 19 जनवरी, 1982 को सदन में निम्नलिखित सूचना दी गयी थी :—

"फतेहपुर वन प्रभाग के तत्कालीन सहायक अरण्यपाल (श्री हंसराज रवि) के विरुद्ध तत्कालीन डी0 एफ0 ओ0 ने कुछ आरोप लगाये थे जिन पर जाँच कार्यवाही हो रही है।"

---

*वक्ता ने भाषा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह प्रकरण आश्वासन संख्या 44/1982 के रूप में आश्वासन समिति के विचाराधीन है। वर्तमान स्थिति यह है कि प्राथमिक जाँच के परिणामस्वरूप श्री हंसराज रवि के विरुद्ध कतिपय आरोप सिद्ध हुये हैं, और उनको आरोपित कर नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय ले लिया गया है और इस दिशा में आगामी कार्यवाही प्रगति पर है।

श्री राघव सिंह द्वारा समय-समय पर शासन को प्रस्तुत किये गये पत्रों में यह कहा जाता रहा कि वे कुछ भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में लाये, जिसके कारण उच्च अधिकारी उनसे नाराज हुए और इसलिये उन्हें उत्पीड़ित किया गया। पन्द्रह माननीय विधायकों ने भी श्री राघव सिंह के पत्रों पर निर्णय लेने के सम्बन्ध में शासन को पत्र लिखा था। माननीय विधायक श्री केदार नाथ सिंह, महामंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यू) ने भी आग्रह किया था कि इसे मात्र त्यागपत्र का मामला न मान कर विस्तृत जाँच की जाय। तदनुसार विस्तृत जाँच की गयी और श्री राघव सिंह द्वारा लगाये गये समस्त आरोप, केवल श्री हंसराज रवि, सहायक वन संरक्षक, के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को छोड़कर निराधार पाये गये।

श्री राघव सिंह, सहायक वन संरक्षक के पद पर स्थानान्तरण का आदेश प्रसारित होने के पश्चात, बिना किसी सूचना अथवा अनुज्ञा के, दिनांक 10 अक्टूबर 1979 से सेवा से अनुपस्थित हो गये थे। उन्होंने स्वेच्छा से दिनांक 15 मई 1980 को शर्त रहित त्यागपत्र दिया था, जो शासन ने अगस्त 1981 में, माननीय विधायकों के आग्रह पर विस्तृत जाँच कराने के पश्चात्, स्वीकार कर लिया।

*श्री केदार नाथ सिंह—

श्रीमन्, जो मैं प्रश्न कर रहा हूं, उस पर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह राघव सिंह के अनशन का आज 34वां दिन है। जिनके बारे में यह वक्तव्य दिया गया है और यह उसमें कहा गया है कि—श्री राघव सिंह, राज्य-वन सेवा में स्थायी सहायक वन संरक्षक थे, इन्हें कार्य संचालनार्थ प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी के पद का चालू कार्यभार सौंपा गया था वहां इन्होंने उस वक्त तत्कालीन विधायक के साथ अभद्र व्यवहार किया, इसलिए वहां से इनको हटा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ मेरा यह कहना है, जो इसी बयान में है, कि जब इन्होंने अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट भेजी, लिखा पढ़ी की—फर्जी प्लान्टेशन कार्य के बारे में, तकनीकी त्रुटि के बारे में यानी जब उन्होंने अधिकारियों के सारे भ्रष्टाचार को प्रकाश में लाना शुरू किया तो उनको डी0 एफ0 ओ0 के पद से हटाकर सहायक वन संरक्षक के पद पर कर दिया गया, तो हम लोगों की क्या मर्यादाएं हैं, उसको बताते हुए मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि अधिकारियों के खिलाफ वह डी0 एफ0 ओ0 भ्रष्टाचार के मामले को प्रकाश में लाए, तो उसे हटाकर सहायक वन संरक्षक बना दिया गया जब विधायक के सम्मान पर कुठाराघात हुआ, तो उनको क्यों नहीं अपने उस पद पर कर दिया गया ?

श्री संजय सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जब वहां पर अभद्र व्यवहार माननीय विधायक के साथ किया, तो वहां से उनको हटा दिया गया था और दूसरी बात जो आपने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये, उसके बारे में मैं बता चुका हूं कि उसकी जांच की गयी, वह निराधार पाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया, केवल एक श्री हंसराज रबि के खिलाफ लगाये गये आरोपों की आज भी जांच जारी है। उसके बारे में जो भी जांच रिपोर्ट आयेगी, कार्यवाही की जायेगी।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, राघव सिंह जी ने जो अधिकारियों के भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत की उसमें श्री हंसराज रबि दोषी पाये गये, जिसकी आप जांच करा रहे हैं, परन्तु दूसरी ओर, शिकायत का शिकार डी0 एफ0 ओ0 हो गया। क्या आप इस बात का भी आश्वासन देंगे कि यदि श्री हंसराज रवि के विरुद्ध जो जांच हो रही है, अगर वह जांच सही सिद्ध हुई, भ्रष्टाचार के आरोप सही सिद्ध हुए, तो उनके खिलाफ ऐक्शन लेंगे और श्री राघव सिंह, डी0 एफ0 ओ0, जिनको आपने निकाल दिया है, उनको अपनी सेवा में लेने का आश्वासन देंगे ?

श्री संजय सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रियासत हुसैन को मेरे वक्तव्य से यह बात स्पष्ट नहीं हुई, इसमें उन्हें दण्डित नहीं किया गया, मान्यवर, उन्होंने जब इस्तीफा दिया, तब उन्हें हटाया गया। इसमें किसी बैर या भेद के कारण नहीं हुआ।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, वक्तव्य में यह कहा गया है कि अगस्त, 1981 में उनका इस्तीफा स्वीकार किया था और उन्होंने शर्त जो त्यागपत्र में लिखी थी, मैं यह जानना चाहता हूं कि 29-1-81 को त्यागपत्र स्वीकार होने के पूर्व कोई पत्र वन सचिव को उन्होंने दिया है ? यदि दिया है, तो वह पत्र क्या है ?

श्री संजय सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, वन सचिव को क्या पत्र दिया है, इसकी जानकारी अभी यहां पर नहीं है।

श्री मारकंडेय चन्द—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री राघव सिंह ने कुछ अधिकारियों के उत्पीड़न से दुःखी होकर अपना मानसिक संतुलन कुछ समय के लिए खो बैठे थे और उसके बावजूद भी, जो उन्होंने त्यागपत्र दिया, वह सशर्त था। माननीय मंत्री जी के बयान में एक अधिकारी के विरुद्ध, जो जांच हो रही वह राघव सिंह की ही शिकायत पर हो रही है। तो जांच में जो आरोप सिद्ध पाये जायंगे, उनके खिलाफ तो कार्यवाही करेंगे, लेकिन इन परिस्थितियों में कि उससे वह दुःखी होकर जो सशर्त त्यागपत्र दिया था, क्या मान्यवर, मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए, जो उनके त्यागपत्र को स्वीकृत कर दिया था, उनको पुनः सेवा में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री संजय सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में विचार कर लिया जायगा।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जो राघव सिंह ने अपने इस्तीफे में शर्त रखी थी, वह शर्त क्या थी ?

श्री संजय सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पेशिफिक शर्त की सूचना यहां पर नहीं है, लेकिन जहां

तक मुझे जानकारी है, उसमें उन्होंने जो भ्रष्टाचार कुछ अधिकारियों के खिलाफ लगाये थे, जिनकी हमने जांच कराई, ज्यादातर उसमें सही नहीं साबित हुई, श्री हंसराज रबि के खिलाफ साबित हुई उनके खिलाफ जांच हो रही है। उनके त्याग पत्र में शर्त यह थी कि जो भ्रष्टाचार के मामले प्रकाश में लाये हैं, इन अधिकारियों के खिलाफ जो शिकायत की थी, अगर यह भ्रष्टाचार सही नहीं हैं, तो अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, एक प्रश्न और कर लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

अब आगे बढ़ें, आश्वासन हो गया है।

जनपद जालौन में स्थानीय निकायों के प्रशासक द्वारा ग्रामवासियों पर टैक्स की वृद्धि के संबंध में वक्तव्य

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी)--

जिला परिषद् जालौन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट 1922 की धारा 115(1) के अन्तर्गत विभव एवं सम्पत्ति कर लगाती है। रु0 600 या उससे ऊपर कर योग्य आय पर 2 पैसे प्रति रुपया की दर से विभव एवं सम्पत्ति कर लगाया जाता है। जिला परिषद इन प्राविधानों के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा 500 रु0 तक टैक्स लगा सकती है।

जिला परिषद जालौन ने वर्ष 76-77, 77-78 तथा 78-79 में कोई विभव एवं सम्पत्ति कर का निर्धारण नहीं किया। अब जिला परिषद जालौन ने कर निर्धारण की कार्यवाही शुरू की है। यदि किसी व्यक्ति की उक्त से कोई आपत्ति है तो वह नियमानुसार उसकी आपत्ति कर सकता है। अभी जिला परिषद जालौन ने कर की वसूली की कार्यवाही शुरू नहीं की है।

छोटे छोटे किसानों मजदूरों एवं निम्न आय वर्ग वालों को राहत होने के उद्देश्य से शासन कर योग्य आय की सीमा 10,000 करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

जहां तक जनपद जालौन के नगरपालिकाओं में एवं टाउन एरिया में मनमाने ढंग से टैक्स लगाकर जबरन वसूल करने का प्रश्न है, किसी भी नगरपालिका एवं टाउन एरिया में कोई नया कर आरोपित नहीं किया गया है और न ही वृद्धि की गई है। नगरपालिका कालपी में भवन कर में पंचवर्षीय कर निर्धारण की कार्यवाही की गई है, इस पर जनता से अभी आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, आपत्तियों पर नियमानुसार विचारोपरान्त अन्तिम रूप दिया जायेगा।

*श्री शंकर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, यह जनपद जालौन के लिये जिंदगी और मौत का प्रश्न है, इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहूँगा। इस पक्ष के और उस पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, मैं उनका भी सहयोग चाहूँगा और मंत्री जी से आशा करता हूँ कि इसका निराकरण आप सहानुभूति पूर्वक आज ही कर दें।

मान्यवर, वक्तव्य में कहा गया है कि रु0 600 या उससे ऊपर कर योग्य आय पर 2 पैसे प्रति रुपया की दर से विभव एवं संपत्ति कर लगाया जाता है। तो मान्यवर, यह आय तो कोई माने नहीं रखती है। 600 रुपये की तो एक बकरी हो जाती है। तो इस पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचार करें। आगे चल कर आपने वक्तव्य में कहा है कि 10 हजार रुपये की आय पर टैक्स लगाने का विचार कर रहे हैं। अगर आप 10 हजार रुपये सालाना आय पर टैक्स लगाने का विचार कर रहे हैं तब तो उचित है। लेकिन माननीय मंत्री जी जो आपने नोटिसेज दिया है तो गरीबों, भूमिहीनों को दिया है। डेढ़ लाख ग्रामीण परिवारों में से 75 हजार को नोटिसेज दी गयी हैं तो यह सारी की सारी नोटिसेज विदड्रा कर लें और 10 हजार रुपये की आय के ऊपर टैक्स लगायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

इतना लंबा स्पष्टीकरण थोड़े ही होता है।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि जालौन के लिये यह जिंदगी और मौत का प्रश्न है। इसलिये मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ। माननीय मंत्री जी घोषणा कर दें कि जिला जालौन में जो जिला परिषद का टैक्स है वह 10 हजार रुपये की आमदनी पर लगाया जायगा तो मैं अपनी आपत्ति को वापस कर लूंगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि आपने कहा है 76-77-78-79 में कोई टैक्स नहीं लगाया गया है तो आपने उन सालों में टैक्स लगाया है। जो वर्ष आपने बताये हैं उन वर्षों का टैक्स आज आप वसूल कर रहे हैं। उन वर्षों का पैसा आप वसूल कर रहे हैं। उनकी नोटिसेज दे रहे हैं यह मेरी आपत्ति थी। तो क्या आज आप घोषणा करने के लिये तैयार हैं कि 600 रुपये की आय और संपत्ति पर नहीं बल्कि 10 हजार रुपये पर टैक्स लगायेंगे तो हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है।

(समय 6 बजकर 15 मिनट)

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

श्रीमन् विभव एवं सम्पत्ति कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऐक्ट 1922 के तहत कुछ जिला-परिषदों द्वारा प्रदेश में लगाया गया, सिर्फ 26 जिला परिषदों में यह है। जालौन में 1964 में इस पर विचार करके 600 रुपए की सीमा रखी, यह कोई राज्य सरकार के माध्यम से लगाया गया टैक्स नहीं है, बल्कि जिला परिषद का जो स्वायत्तशासी स्वरूप है, इस 1922 ऐक्ट के तहत लगाया गया कर है, जिला परिषद् इसको करती है, यह 1934 से 1975 तक वसूल हुआ है, 1976-77, 1977-78 में नहीं वसूल हुआ तथा 1978-79 में दैवीय आपदाओं के कारण स्थगित रहा। यह पुराना ऐक्ट है।

मुझे पूरी सहमति और सहानुभूति है माननीय सदस्य और मैं भी उस जनपद से आता हूँ जहां पर यह दिक्कत है, मैं उस दिक्कत से परिचित हूँ। 600 रुपए में काफी जनता समस्या का सामना करती है, इस वजह से इस पर विचार किया जा रहा है, निर्देश दिया जायेगा कि इस प्रकार से वे बाई लाज में परिवर्तन करें, क्योंकि सरकार अपने आप नहीं कर पायेगी, उनको सुझाव, निर्देश के रूप में देना पड़ेगा और वह बाई लाज में परिवर्तन कर देंगे, वह स्वत: करेंगे। दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही, कि 1976-77, 1977-78, 1978-79 इन तीन वर्षों का जो एक साथ लेने की बात है, उसके सम्बन्ध में 1978-79 में दैवी आपदायें थीं, स्थगित कर दिया गया था, इस प्रकार के निर्देश भी थे। 1975 तक लगातार यह टैक्स नियमित रूप से दिये जाते रहे हैं। बीच में कर स्थगित रहा, जो

सूचना मेरे पास है, इन तीन वित्तीय वर्षों की अवधि का जो है, हम उस पर कह सकते हैं कि कुछ इन्सटालमेंट में लेने पर विचार कर लें।

श्री शंकर सिंह---

माननीय अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष---

जल्दी समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह---

मान्यवर, जल्दी वाला प्रश्न नहीं है, माननीय मंत्री जी वायदा कर दें, मैं समाप्त कर दूं, जैसा उन्होंने कहा कि सरकार ने कर नहीं लगाये, जिला परिषद ने लगाये, जिलापरिषद् कुछ करने को सक्षम हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, और जैसी सरकार को नीति भी है कि जो जिलापरिषद् का गठन हो जाने के बाद, नगरपालिकाओं का गठन हो जाने के बाद, जो विधिवत गठित नगरपालिकायें जिला परिषदें होंगी, वह इसमें मान्यवर कुछ निर्णय ले सकेंगी। जब आपने चुनाव घोषित कर दिया, तो जब तक आपका चुनाव नहीं हो जाता है, इन परिषदों का गठन नहीं हो जाता है, तब तक मान्यवर आज कलेक्टर के ऊपर न छोड़ा जाय, अपितु इसको स्थगित रखे और गठन हो जाने के बाद जिला परिषद् जैसे बनेगी, सम्बन्धित विषय में निर्णय ले, क्योंकि आप स्वयं स्थिति में नहीं हैं।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी :---

श्रीमन्, 9-9-82 का जिस शासनादेश का हवाला माननीय सदस्य ने दिया है, उस राजाज्ञा के अनसार वह नया कर न लगाने या कर न बढ़ाने के सम्बन्ध में है, और यह मसला जो है, पिछले कर का, जो लगा हुआ कर है, उसके वसूली के सम्बन्ध में है। दोनों स्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं।

*श्री दलगंजन सिंह---

मान्यवर, इसमें माननीय मंत्री जी को भी कुछ कन्फ्यूजन है। मान्यवर स्थिति यह है कि, यह केवल लोकदल का प्रश्न नहीं है, 1981 में तात्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने इस जिला परिषद् टैक्स के निर्णय के लिए एक कमेटी बनायी थी, उसमें कांग्रेस आई0 के एम0 पी0, एम0 एल0 ए0 और जनता के हम सभी विधायक मौजूद थे। मान्यवर एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि जब तक परिषद् का गठन नहीं हो जाता और परिषद् बाई लाज नहीं बना लेती तब तक यह, टैक्स नहीं लगाया जाय। और न वसूल किया जाय।

मान्यवर, जो भिखारी है उसके पास भी 6 सौ रुपये की सम्पत्ति बवर्त कपड़े लत्ते लेकर हो जाता है और मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा कि 10 हजार रुपये पर कर लगाने की बात शासन के विचाराधीन है। जब खुद उन्होंने 10 हजार पर प्रस्तावित किया है और अंग्रेजों के जमाने का यह बाई लाज है आना और पाईयों में बाई लाज बना है। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि किसी म्यूनिसिपैलिटी में या टाउन एरिया में कर न लगाया गया है, न बढ़ाया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी बात पर यकीन करें मैं भी सत्य बोलता हूँ आपके कलेक्टर से ज्यादा टाउन एरिया माधोगंज में टैक्स 10 गुना लगाया गया है। जो पहले असेस्मेंट था उससे 10 गुना बढ़ाया है। काल्पी म्यूनिसिपैलिटी में असेस्मेंट की कार्यवाही चल रही है। पहले 65 हजार वार्षिक था अब 5 लाख की नोटिस दी गई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यह जानना चाहता हूँ मंत्री जी से जनहित में हम आप सब काम कर रहे हैं आप परिषदों का चुनाव कराने जा रहे हैं। जब तक बाई लाज परिवर्तित न किया जाय और जो टाउन एरिया पर कर लगा है इसको समाप्त करने की घोषणा करेंगे।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

श्रीमन्, पहला प्रश्न जो है यह स्पष्ट है कि प्रदेश के 26 जिलों में सम्पत्ति और वैभव कर लगाया गया है। स्थानीय जिला परिषदों ने लगाया है और सन् 34 से इसको वसूल किया जा रहा है और सन् 75 तक वसूल हुआ। तीन वर्षों में दैवीय आपदा के कारण स्थगित किया गया था। दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही कर बढ़ाने के सम्बन्ध में 9-9-82 की जिस दिन से राजाज्ञा जारी हुई जिसकी चर्चा हुई और सदन में सवाल आया था नगर विकास मंत्री ने इसका उत्तर दिया था कर नहीं लगाया गया। असेस्मेंट की कार्यवाही पांच साला चल रही है।

श्री रुद्र प्रताप सिंह---

आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहता हूँ विद्वान मंत्री से इन्होंने कहा सम्पत्ति और आय। यह दो शब्द है। अर्थशास्त्र के अनुसार दोनों शब्दों में काफी भिन्नता है। प्रश्न यह किया गया है सम्पत्ति और वैभव 6 सौ रुपये का। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह आय और सम्पत्ति में अन्तर समझते हैं। या वैसे ही उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप समझते हैं।

श्री रुद्र प्रताप सिंह---

मैं तो समझता हूँ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है आपको समझना चाहिये।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

मान्यवर, प्रश्न दोहरा दें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय रुद्र प्रताप सिंह आप प्रश्न दोहरा दें ?

श्री रुद्र प्रताप सिंह---

सम्पत्ति और वैभव 6 सौ रुपये पर टैक्स रखा गया है। मंत्री जी ने उत्तर दिया 6 सौ की आय पर। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सम्पत्ति और आय में अन्तर समझते हैं। आय का मतलब जो आमदनी है और सम्पत्ति का मतलब होता है जो चल-अचल सम्पत्ति हो। जो आमदनी है सम्पत्ति का अर्थ होता है जो चल या अचल सम्पत्ति है। तो चल और अचल सम्पत्ति को मिला कर आय का मतलब होता है या मासिक आय से। तो इनका तात्पर्य सम्पत्ति से है या आय से। यह ये स्पष्ट करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष---

आपको मालूम है ?

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

मुझे तो मालूम है, मंत्री जी को मालूम है, तो बता दें।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, आय से मतलब है।

श्री अध्यक्ष--

आखिरी सवाल है।

(व्यवधान)

आपको समय तो देखना चाहिए।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मंत्री जी अच्छी तरह से जानकार हैं, पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं लेकिन बुन्देलखण्ड की हालत उससे बहुत खराब है। बजट में भी पैसा कम कर दिया है, वह जल रहा है, इस सम्पूर्ण जानकारी के होते हुए क्या मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करेंगे कि जब तक नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं हो जाते हैं, उनका कोर्ट गठित नहीं हो जाता तब तक बुन्देलखण्ड में इस प्रकार से नगर पालिकाओं और जिलापरिषदों के जो प्रशासक हैं, न कोई टैक्स लगायें और जो लगे हैं वह वसूल न हों।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स कोई नये नहीं लगाये जायेंगे।

(श्री दल गंजन सिंह अपनी सीट से उठ कर श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी की सीट पर गये।)

श्री अध्यक्ष--

आप दलगंजन सिंह से सावधान रहें।

(शोर के मध्य)

श्री दलगंजन सिंह--

(× × × × × × × × ×)

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप अपने स्थान पर जायें। अपने स्थान पर बैठें। कोई चीज नहीं लिखी जायेगी।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या 17 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान के मध्य श्री दलगंजन सिंह के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

अगर आप इस संबंध में सीरियस होते तो इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए था कि मैं घोषणा करता हूँ....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय से जो प्रश्न किया था, उसका मंत्री जी ने क्या उत्तर दिया है, यह मुझको समझ में नहीं आया। मैं जानकारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:--(×××) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चाहता हूँ कि क्या जो प्रश्न किया था, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जब तक नगर पालिकाओं का गठन नहीं हो जायेगा तब तक किसी भी तरह के टैक्स की वसूली नहीं की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपने सुना नहीं। यह प्रश्न के उत्तर में ही.....

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

जहाँ तक मुझे सुनायी पड़ा है मंत्री जी उत्तर दे ही नहीं पाये।

श्री शंकर सिंह--

मुझे खेद है। मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, दल गंजन सिंह जी ने उधर से कुछ कहा तो उधर से कुछ टिप्पणी हो रही थी, दलगंजन सिंह ने कहा कि आप हैं कौन।

श्री अध्यक्ष--

यह गलत है।

श्री शंकर सिंह--

उसके बाद की बात है मान्यवर, जब ये अपनी सीट पर आ गये हैं तब उधर से टिप्पणी हुई है....

श्री अध्यक्ष--

अगर हुई है टिप्पणी तो गलत हुई है।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, दलगंजन सिंह ने कहा कि आप होते कौन हैं। मान्यवर, आप निर्देश दे सकते हैं लेकिन उधर से नहीं दिया जा सकता है। संसदीय भाषा का इस्तेमाल होता तो स्वीकार किया जा सकता है....

श्री अध्यक्ष--

यह कोई असंसदीय भाषा नहीं है।

श्री शंकर सिंह--

त्रिपाठी जी के पीछे जो माननीय सदस्य बैठे हैं...

(व्यवधान)

मेरी पूरी बात सुन लें। त्रिपाठी जी के पीछे जो माननीय सदस्य बैठे हैं, जब दलगंजन सिंह ने कहा कि आप होते कौन हैं, तब मा0 सदस्य ने उत्तर दिया कि "तुम्हारे बाप"।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैं देख लूंगा। अगर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वह निकाल दिया जायेगा। यह बात गलत है। कृपया आखिरी सवाल करें।

श्री शंकर सिंह--

मेरा आखिरी सवाल है और बहुत ही लीडिंग क्वीश्चन है। इधर-उधर की बात नहीं कर रहा हूं। जिला जालौन की स्थिति आपके सामने आ गयी है। आप यह भी जानते हैं कि बुन्देलखंड में कोई दूसरा जिला नहीं है जिसमें इस प्रकार के टैक्स लगाये जाते हों। अलग नहीं लगाये जाते हैं तो आप स्पष्ट घोषणा करें कि जब तक जिला परिषदों का गठन नहीं

हो जायेगा तब तक किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही न हो। किसी प्रकार के टैक्स की वसूली न हो।

श्री दलगंजन सिंह--

कह दीजिये मंत्री जी, जनता आपको दुआयें देगी।

श्री अध्यक्ष---

कृपया शान्त रहें।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

प्रश्नकर्ता सदस्य को इस बात से तो आश्वस्त होना ही चाहिये कि उन 26 जिलों में मेरा भी जनपद एक है। पौड़ी-गढ़वाल में भी यही स्थिति है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसी वजह से इस पर विचार किया गया है। नम्बर दो--जैसा कि वक्तव्य में कहा गया कि अभी निर्धारण की बात चल रही है। नम्बर तीन--अगर एक साथ, एकमुस्त देने में दिक्कत होगी तो इसको इन्सटालमेंट में करने के लिये विचार किया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

किस चीज का इन्सटालमेंट ? जिला परिषद् का गठन नहीं हुआ तो इन्स्टालमेंट किस चीज का ?

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह---

मान्यवर, नोटिसें सर्व की जा रही हैं। 1/10 पुराने कर-दाता हैं। 9/10 नये कर-दाताओं को नोटिसेज दी जा रही हैं। इससे पहले इन लोगों को नोटिसेज दी नहीं गयीं। जैसा दलगंजन सिंह ने कहा सभी लोग थे---कांग्रेस के सदस्य अध्यक्षता कर रहे थे। उनके सामने तय हुआ कि जिला परिषद का जबतक गठन नहीं होगा कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा। सबका उलंघन करके जिलाधिकारी तानाशाही बरत रहा है। सब नये कर दाताओं को नोटिसेज दी जा रही हैं--1/10 को छोड़कर।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

वसूली की कार्यवाही तो चल नहीं रही है। कर निर्धारण की कार्यवाही चल रही है। आप लोगों की भावनाओं को देखते हुये इसको पुनः देख लिया जायेगा।

श्री शंकर सिंह--

अन्तिम प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष ---

इन्होंने आश्वासन दे दिया कि वह देखेंगे कि कहां पर गड़बड़ी है। आप बैठें।

आज दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जावे के संबंध में कार्यवाही

श्री अध्यक्ष--

आज अपराह्न में पौने एक बजे दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने की जो घटनायें हुई हैं। उस संबंध में.....

(व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

कृपया बैठिये। मैंने दूसरी मद ले लिया है। मैं इस प्रकार से आज्ञा नहीं दूंगा। मंत्री जी का कहना है कि वह दिखवा लेंगे। अब मैं आज्ञा नहीं दंगा।

पर्चे फेकने की घटना पर मार्शल की रिपोर्ट इस प्रकार है । आज दिनांक 24 मार्च, 1983 को अपरान्ह 12.45 बजे, शून्य प्रहर में, जिस समय सदन की कार्यवाही चल रही थी, सभा मण्डप के विपक्ष की ओर की दर्शक दीर्घा नम्बर 1 से 2 व्यक्तियों ने, जिनके पास से दर्शक दीर्घा के क्रमश: प्रवेश पत्र संख्या 7622 श्री रमाशंकर सिंह के नाम से तथा प्रवेश पत्र संख्या 7623 श्री शिवनन्दन द्विवेदी के नाम से प्राप्त हुए और जिन्हें कि श्री मित्रसेन यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा जारी कराया गया था, ने "इन्कलाब जिन्दाबाद के नारे लगाये तथा सदन में नीचे कुछ पर्चे फेंके जिससे सदन की कार्यवाही में कुछ क्षण के लिए व्यवधान उत्पन्न हुआ। दीर्घा में तैनात रक्षकों ने उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों का मुंह बन्द करके उन्हें अपने कब्जे में कर लिया और वहाँ से हटा दिया। उक्त दोनों व्यक्ति उस समय से मार्शल की हिरासत में बैठाये हुए हैं। उन व्यक्तियों के पास से प्राप्त हुए प्रवेश पत्र एवं सदन में फेंके गये पर्चे की प्रति संलग्न है ।†

इस प्रकार दोनों व्यक्तियों ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाकर तथा पर्चियाँ फेंककर आदरणीय सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने का प्रयास किया। यह सदन की कार्यवाही की अवमानना का प्रश्न बनता है ऐसे उच्छृंखल व्यक्तियों को अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिये। अतः यदि यह सदन सहमत हो तो इन दोनों व्यक्तियों को, जो मार्शल की अभिरक्षा में जितनी देर रह चुके हैं उसे उनके अपराध का पर्याप्त दण्ड मानकर रिहा कर दिया जाय। जहाँ तक उनको मारे पीटे जाने की बात है जैसा कि मैंने प्रातःकाल कहा था कि यह दूसरा प्रश्न है, मैं उसकी जाँच करा रहा हूँ कि किस प्रकार से यह कार्यवाही हुई और किस तरह से यह सब हुआ है। इन सबकी जाँच करने के बाद ही मैं इस पर अपना निर्णय दे सकूंगा। जहाँ तक घड़ी छीनने का प्रश्न है मैं इसे भी दिखवा लूंगा। अगर सदन की राय हो तो उनको छोड़ दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, आपने अध्यक्ष पीठ से इस बात की इच्छा प्रकट की कि उन्हें छोड़ दिया जाय। मान्यवर, इससे हम भी असहमत नहीं हो सकते हैं । मान्यवर, दूसरा बिन्दु प्रश्न का यह है कि रोजाना पुलिस के खिलाफ यह आरोप लगाये जाते हैं कि वह नियमों के विरुद्ध काम करके लोगों को पीटती है, लेकिन इस आदरणीय सदन के स्टाफ ने, मैं नियमों की आलोचना नहीं करता, क्योंकि उस आलोचना से आप पर भी आक्षेप होता है, मैं इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर ले जाता हूँ कि जो आपने रक्षक रखे हैं, उन गार्डसों ने उनकी पिटाई की तथा उनकी घड़ी छीने जाने की भी शिकायत है।

इस संबंध में चाहूँगा कि आप कृपया उसकी जाँच करालें और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जांच करने के बाद जो रिपोर्टस आती है, उससे सदन को अवगत करा दें ताकि उस पर हम भी अपना मत व्यक्त कर सकें। क्योंकि हमारे पास भी उसकी कुछ जानकारी है। दूसरी बात यह है कि उनकी घड़ी छीन ली गई। मान्यवर, महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि आखिर वह परिस्थितियाँ क्या थीं जिनकी वजह से उनको यह काम करना पड़ा। हम भी इसकी निन्दा करते हैं कि यह एक अशोभनीय कार्य है। आखिर उनकी माँग क्या थी जिसकी वजह से उनको यह सब काम करना पड़ा। क्योंकि इसे हम भी समझते हैं कि वे हमारे ही

---

†छापे नहीं गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नवयुवक हैं। कभी मनुष्य आवेश में आकर बगावत कर ही देता है। मैं चाहूँगा कि आप इन सारे विन्दुओं पर जाँच करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

जितनी बातें माननीय श्री गुप्ताजी ने कही हैं मैं इस सदन को, जब यह जाँच रिपोर्ट तैयार हो जायेगी, उसे देखकर, उससे इस आदरणीय सदन को अवगत कराऊँगा।

श्री रियासत हुसैन--

जिस विषय को लेकर विवश होकर यह कार्य उन्होंने किया है, इसका भी पता लगा लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। तथ्यों का पता लगाया जायगा, जांच की जायगी।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, चूंकि आप खड़े हो गये थे, इसलिये मैं बैठ गया था, एक प्रश्न कर लेने दें माननीय मन्त्री जी से।

श्री अध्यक्ष--

मैं मा0 मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि मा0 शंकर सिंह, मा0 दलगंजन सिंह तथा मा0 राजेन्द्र अग्निहोत्री जी को अपने कक्ष में बुलवा लें और एक-एक चाय का प्याला पिलायें और उनकी शंकाओं का समाधान करें।

केन्द्र सरकार के प्रदेश सरकार से मण्डल आयोग की संस्तुति की को लागू करने संबंधी पत्र व्यवहार विषयक दिनांक 11 मार्च, 1983 को पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 (नत्थी ग) के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)--

मान्यवर, आपने मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिये जो अवसर दिया है, मैं उन तमाम वर्गों की ओर से, जिनके निमित्त यह मण्डल आयोग गठित हुआ था, तहे दिल से बधाई देता हूं।

आजादी से पहले हमारे सामने दो व्यवस्थायें आती हैं। एक तो मनु की स्मृति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था है और आबादी के बाद भारतीय संविधान पर आधारित व्यवस्थायें देखने को मिलती हैं। यह सर्वमान्य तथ्य है कि समाज के 90 प्रतिशत लोग सदियों से पिछड़े और प्रताड़ित रहे हैं और उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं मिला है आजादी के 35 वर्षों के बाद भी वे उपेक्षित हैं और उनको सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में भारत के संविधान को बनाते समय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 15(4), 16(4) 29(2) और 340 का प्राविधान किया। अनुच्छेद 38 में यहां के उपेक्षित लोगों को यह आश्वासन दिया कि आजादी के बाद तमाम उपेक्षित लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन आज भी हम उपेक्षत हैं। सरकार केवल कागजी आश्वासन देती रही है और व्यवहार में राहत देने में कतराती रही है। इस सम्बन्ध में 1953 में भारत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ने काका कालेलकर आयोग बैठाया और 2 वर्षों के बाद 30 मार्च, 1955 को काका कालेलकर की रिपोर्ट आयी और रिपोर्ट आने के बाद भी पिछड़े वर्ग के लोगों की सरकार द्वारा उपेक्षा की गयी और 1955 के बाद फिर गरीबों की लड़ाई 79 में शुरू होती है। 1 जनवरी, 1979 को जनता सरकार ने बी0 पी मण्डल आयोग का गठन किया।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, मण्डल आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में केवल आधे घण्टे की चर्चा निर्धारित है। माननीय सदस्य से कहें ....

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य बहुत लम्बी बात न कहें, संक्षेप में बात कहें ताकि अन्य लोगों को भी अवसर मिल सके।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

मान्यवर, अभी तो यह केवल इण्ट्रोडक्शन है।

श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)---

हमारे संसदीय कार्य मन्त्री जी को तकलीफ हो रही है। पिछड़े वर्ग के लोगों को कितनी तकलीफ होगी, आप महसूस नहीं करते। मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा इस चर्चा में भाग लेते हुए कि इस विषय पर आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहे काफी समय बीत गया और इस आयोग मण्डल की रिपोर्ट आए हुए भी काफी समय हो गया, लेकिन यह केन्द्र सरकार हिला-हवाला करना चाहता है राज्यों की सिफारिश के नाम पर। हमें इसमें कोई तकलीफ न होती यदि वह वास्तव में प्रान्तों की राय इस पर लेती, लेकिन वह इसका सहारा लेकर मामले को निरंतर टालते रहना चाहती है, तकलीफ इस रवैये परहै। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार करते हुए फैसला दे दिया कि 50 प्रतिशत तक आरक्षण बैकवर्ड का किया जा सकता है, इस पर मण्डल आयोग ने केवल 27 प्रतिशत ही रखा, उसे भी आपको मानने में और लागू करने में क्या तकलीफ हो रही है ।

श्री रियासत हुसैन---

अब माननीय मंत्री जी इस पर दिल खोलकर बता दीजिए।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, दिल की बात को दिल ही समझ सकता है।

श्री अध्यक्ष---

दोनों आदमी अपने-अपने दिलों की बात में मुझे भी शामिल कर लीजिए। (हँसी)

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, आप तो शामिल हैं ही। भाई राम नारायन जी ने कहा कि मैं शायद उनकी बात को सुनना नहीं चाह रहा था, ऐसी बात नहीं है, हम तो यह चाह रहे थे कि आप आधे घंटे तक बोलते रहें और हम सुनते रहते। मान्यवर, एक प्रश्न यहाँ पर यह उठा था कि जो केन्द्र से यहाँ पर पत्राचार हुआ है मण्डल आयोग की सिफारिश के ऊपर, उस पर जो कार्य-

वाही हुयी हो, उसे माननीय सदस्यों को बताया जाए। उसके बाद जब चर्चा हुयी तो उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार की तरफ से यह पत्र मिला कि अपनी राय मण्डल आयोग के प्रति केन्द्र सरकार को भेजें। मान्यवर इस आयोग का गठन 20 दिसम्बर, 1978 में हुआ। और इसके तीन एक्सटेन्शन हुए। पहला इक्सटेशन पहली जनवरी से 31 मार्च, 1980 तक रहा और दूसरा एक्सटेंशन पहली अप्रैल से 30 सितम्बर, 1980 तक रहा और तीसरा एक्सटेंशन पहली अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक। केन्द्र सरकार ने केवल उत्तर प्रदेश सरकार से ही राय नहीं माँगी है बल्कि पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से सिफारिशें माँगी गयी थीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में एक उच्च स्तरीय समिति हुयी, जिसके अंतर्गत मुख्य सचिव अध्यक्ष हुए और इसमें तमाम सचिवों इण्डस्ट्रियल सेक्रेट्री नेशनल इन्टेग्रेटी सेक्रेट्री ,लेबर सेक्रेट्री आदि सेक्रेट्रीज की एक कमेटी बना दी गयी ताकि इस आयोग की जो सिफारिशें हैं उन पर पूरी तरह से विचार करके सरकार के सामने अपनी राय को रक्खें तो इस कमेटी ने अब तक 4 बैटकें कीं, जिसमें सारे बिन्दु विचाराधीन हैं और लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाए ताकि हम केन्द्र को शीघ्रता से भेज सकें।

श्री रियासत हुसैन––

मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो कमेटी आपने बनाई है, क्या उसका कोई वक्त मुकर्रर किया है कि इतने-इतने वक्त में वह अपनी रिपोर्ट दे देगी और यदि नहीं किया है तो क्या अब करेंगे कोई टाइम बाउंड करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी––

मान्यवर, इसके लिये समय निर्धारित नहीं किया गया था। प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि इसकी रिपोर्ट जल्दी तैयार हो जाय। अब मान्यवर, सभी सदस्य बोल लें, एक साथ ही मैं सबके उत्तर दे दूंगा।

श्री भीखालाल––

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह केन्द्र सरकार का कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं था बल्कि यह पोलीटिकल निर्णय था कि पिछड़े वर्ग को सहूलियतें दी जायें। इसके लिये वी0 पी0 मण्डल एम0 पी0 की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी थी। इसके पीछे पोलीटिकल भावनाएं थीं तो इसकी संस्तुतियों पर निर्णय के लिये जो आपने अधिकारियों की कमेटी बनायी है इस मण्डल में कोई माननीय सदस्य या मंत्री मण्डल के किसी मंत्री को नहीं लिया गया है, केवल प्रशासनिक अधिकारियों की ही कमेटी बनायी गयी है, इसमें राजनीतिक भावना थी इसलिये किसी न किसी सदस्य को इसमें न रखे जाने का क्या कारण है ?

श्री गोरे लाल शाक्य––

मान्यवर, यह वी0 पी0 मण्डल आयोग की सिफारिशें जो हैं यह हिन्दुस्तान के 53 परसेन्ट आबादी से संबंधित हैं और मान्यवर, यही वर्ग हिन्दुस्तान में जो 53 परसेन्ट है पिछड़ा वर्ग है और यही 75 परसेन्ट उत्पादन कर रहा है। काका कालेलकर की सिफारिशों को रद्द करके वी0 पी0 मण्डल आयोग नियुक्त किया गया और इसकी सिफारिशें भी आ गयी हैं। हमारे पास यहां पर सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग श्री बहुगुणा जी के समय में बना था उसकी भी सिफारिश आ गई है।

मैं यह महसूस करता हूं कि स्वतंत्रता के बाद अन्य वर्गों की तुलना करते हुए आप देखें कि पिछड़ा वर्ग की जो आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, शैक्षिक उन्नति कम हुई है सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ है। इसलिये हम यह चाहते हैं कि यह समिति जो हमारे माननीय मंत्री जी ने बनाई है वास्तव में इसकी आवश्यकता कतई नहीं महसूस करता हूं। जो 53 परसेन्ट की आबादी की मिसाल है लगातार इसके साथ 1947 से उपेक्षा बरती जा रही है। काका कालेलकर की सिफारिशों के लिये हम आपके माध्यम से दरखास्त करते हैं कि तुरन्त ही सरकार अपनी संस्तुति को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को भेजें ताकि वी0 पी0 मण्डल की सिफारिशों को लागू किया जा सके जो कि संविधान के अन्दर उनका संवैधानिक अधिकार है। आप ऐसा कोई तरीका बनायें, कोई रास्ता बनायें जिससे कि वे खुशहाल हो सकें और इनकी तरक्की हो सके।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, वी0 पी0 मण्डल आयोग पर आज यहां विचार हो रहा है। मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है क्योंकि सारी जानकारी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को है और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि काफी अर्से पहले मण्डल की रिपोर्ट आयी है जिस पर कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार से राय मांगी है। इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने छेदी लाल साथी की कमेटी की रिपोर्ट आयी थी, उसको भी यह सरकार मानने से इन्कार करती रही है और जब केन्द्रीय सरकार ने वी 0 पी0 मण्डल आयोग पर प्रदेश सरकार की राय मांगी तो मौजूदा सरकार जानबूझ कर मण्डल आयोग की रिपोर्ट, सियासी तौर पर दबाना चाहती है कि पिछड़े वर्ग का विकास न हो सके, उनका किसी दिशा में भी उत्थान न हो। जब केन्द्रीय सरकार ने साफ आदेश कर दिया है कि जल्दी से जल्दी आप अपनी राय दें तो आपको जल्दी से जल्दी अपनी राय भेजने में क्या आपत्ति है ? यह मौजूदा सरकार पिछड़ा वर्ग के हितों के लिये नहीं है। उनकी भावनाओं को यह सरकार नहीं समझती है और इसीलिये केन्द्र सरकार को सिफारिशें नहीं भेजी जा रही हैं और नुकसान हमारा हो रहा है, यह जिम्मेदारी भी आप पर ही है। आप आज तमाम बैकवर्ड क्लासेज के लोग की उपेक्षा हो रही है, वह बरदास्त के बाहर है। वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र शासन को भेजें।

श्री मित्रसेन--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो कमेटी उन्होंने बनायी है उसकी कितनी बैठकें हो चुकी हैं और किन-किन मदों पर विचार हुआ है। मंडल आयोग की जो संस्तुतियां हैं उनमें से किन-किन पर हमारी सरकार सहमत है।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 340 के प्राविधानों के अनुसार बैकवर्ड क्लासेज का एक कमीशन काका कलेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया। वह रिपोर्ट लोक सभा में भी पेश की गयी थी।

श्री मित्रसेन—

व्यवस्था का प्रश्न है, मा0 मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि बोलिए।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो आपको नहीं बोलना चाहिए।

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, काका कालेलकर की अध्यक्षता में जो कमीशन बनाया गया था और उसकी जो रिपोर्ट थीं उसको लोक सभा में भी पेश किया गया था। मैं विपक्षी दलों से पूछना चाहूंगा कि जब आपकी सरकार में केन्द्र बहुमत से 1977 में दिल्ली में बनी तो आपने उस रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया। हमारी सरकार इसको कर रही है। जनता पार्टी की सरकार की नियत साफ नहीं थी इसलिए उन्होंने इसको लागू नहीं किया और पिछड़े वर्गों को गुमराह करने के लिए एक दूसरा कमीशन बना दिया और वह रिपोर्ट अब पेश की गयी है। हमारी लोक प्रिय सरकार की नियत साफ है। मैं समस्त पिछड़े वर्गों की तरफ से अनुरोध करूंगा कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्रिय सरकार को अपनी संस्तुति शीघ्रातिशीघ्र भेजें और लागू करायें। धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द—

मैं जानना चाहता हूं कि जो कमेटी माननीय मंत्री जी ने बनाया है, उसमें किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को रखा गया है।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक जो कमेटी बनी है उसके लिए अभी तक समय निश्चित नहीं है तो क्या कोई अवधि निश्चित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री दलगंजन सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि 52 प्रतिशत जनता के हित को देखते हुए रिपोर्ट को शीघ्र स्वीकार करने जा रहे हैं ?

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

आबादी के हिसाब से क्या आप सवर्णों क्लास का आरक्षण करेंगे और पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)—

मान्यवर, जिन साथियों ने चर्चा में भाग लिया है मैं उन सबको बधाई देता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय अम्मार साहब को भी इस आश्वासन के साथ बधाई देना चाहता

हूं कि वे एक सहृदय आदमी हैं इसलिये वे पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिये मंडल आयोग की रिपोर्ट को हू-बहू लागू करने का आश्वासन देंगे।

श्री अम्मार रिजवी---

अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव प्रश्नों के रूप में मुझे दिये। इससे काफी मार्गदर्शन हमको होगा। मान्यवर, सबसे पहले रियासत हुसैन जी ने प्रश्न किया था और मैंने उसका उत्तर दे दिया था। माननीय भीखालाल जी ने एक बात कही कि यह जो कमेटी बनी है वह एक पोलिटिकल फैसला था और उसी के तहत इस आयोग का गठन हुआ। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कमेटी बनायी है उसमें अधिकारी वर्ग के लोग रखे गये हैं और उसमें राजनीति के लोग या जनप्रतिनिधि कोई नहीं रखा गया है। यह उन्होंने कहा।

मान्यवर, मेरा ख्याल है उनका यह तात्पर्य था कि जिस आयोग का गठन पोलिटिकल रीजन्स की वजह से हुआ है उसमें किसी पोलिटिकल आदमी का न होना बहुत आश्चर्य की बात है। यह बहुत आवश्यक है। (श्री भीखालाल जी के कुछ कहने पर)। मान्यवर, भीखालाल जी की बात मेरी समझ में आ गई है, मैं बड़ा खुशनसीब हूं।

श्री रियासत हुसैन---

आपकी समझदारी की तारीफ आपकी ही तरफ के लोग नहीं करते हैं, हम तो करते ही हैं।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, उन्होंने जो प्रश्न किया था कि उन अधिकारियों की जो कमेटी बनायी गई है उसमें जनप्रतिनिधि नहीं हैं। मान्यवर, वह जो कमेटी बनी है वह अन्तिम निर्णय लेने के लिये नहीं बनायी गई है। उस पर अंतिम निर्णय मंत्रि-परिषद् लेगी। मंत्रि-परिषद् में जनप्रतिनिधि ही होते हैं। उनकी तो एक फैक्ट-फाइन्डिग की रिपोर्ट होगी। वह यह देखेगी कि दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत सूचनायें दूसरे प्रदेशों से मांगी गई हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करना है। इसमें कई विभाग हैं जैसे प्लानिंग विभाग है, एजूकेशन है हरिजन एवं सोशल वेलफियर है, रेवेन्यू है, इन्डस्ट्रीज है, राष्ट्रीय एकीकरण है, टेक्निकल एजूकेशन है, इनके सेक्रेटरीज उसमें हैं। इन विभागों के अन्दर जो नौकरी का सम्बन्ध है, इम्प्लायमेंट का सम्बन्ध हो सकता है, आरक्षण का सम्बन्ध हो सकता है। उसके लिये यह कमेटी बनायी गई है और उसकी रिपोर्ट के ऊपर मंत्रि-परिषद अपना निर्णय अंतिम रूप से लेगी।

मान्यवर, दूसरा सवाल माननीय गोरेलाल शाक्य जी ने उठाया कि इसको सेन्टर में भेजना चाहिए। जहां तक पिछड़े वर्ग का सम्बन्ध है सरकार उनके हितों को सहानुभूतिपूर्वक संरक्षण देगी, उनको ताकि कोई नुकसान न पहुंच सके। जो रिपोर्ट में सिफारिशें होंगी

उनका परीक्षण कराकर जो अंतिम निर्णय होगा वह उनके हितों में होगा। इसके बारे में मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं। माननीय गोपीनाथ वर्मा जी ने कहा कि हम इसको जानबूझकर दबाना चाहते हैं जो यह रिपोर्ट है उसको और सरकार की सिफारिशों को। तो ऐसी बात नहीं है। मैं इस रिपोर्ट का वह पत्र पढ़ देना चाहता हूं जो कि इस आयोग के अध्यक्ष श्री बी0 पी0 मंडल ने राष्ट्रपति जी को लिखा था।

मान्यवर, तीन मर्तबे इस आयोग को एक्सटेंशन दिया गया साथ ही उन्होंने इस पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया है कि मौजूदा जो सरकार है उसको थैंक्स भी दिया है। उन्होंने लिखा है कि 20 दिसम्बर 1978 को भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरार-जी देसाई ने चार अन्य सदस्यों सहित मेरी अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी लिखा है कि हमने अपना कार्य प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई के 21 मार्च 1979 के उद्घाटन भाषण से प्रारम्भ किया था और 12 दिसम्बर 1980 को भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समापन भाषण से समाप्त किया। उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि तीन मर्तबे अवधि इसकी बढ़ाई गई इस वजह से यह रिपोर्ट इतनी जल्दी तैयार हो सकी। तो यह किताब माननीय जसवंत सिंहजी देख लें पूर पत्र हमसे ले लें। माननीय गोपीनाथ जी ने कहा कि किसी प्रकार यह सरकार रिपोर्ट को दबाना चाहती है, यह सरकार उसको नहीं चाहती है। मैं एक बात बता दूं कि यह सारे भारत वर्ष से संबंधित है उस पर भारत सरकार ने सबसे कमेंट्स मांगे हैं तो ऐसे में उसमें सोच समझ कर जनहित में सोचना पड़ता है कि कहीं उनको नुकसान न पहुंचे।

माननीय मित्र सेन जी ने कहा कि कितनी बैठकें हुए जो यहां पर कमेटी बनाई गयी है और किन किन से सहमत हैं। किन किन से सहमत हैं यह निर्णय तो मंत्रिमंडल में होगा उनकी रिपोर्ट आने के बाद। जहां तक बैठकों का सवाल है पहली बैठक 13-10.82 को 11.30 बजे हुई, दूसरी बैठक 30.10.82 को 4.30 वजे हुई, तीसरी बैठक 13.1.83 को 3.00 बजे हुई चौथी बैठक 18.383 को 3.15 वजे हुई। इतनी बैटकें हो चुकी हैं और 30 अप्रैल को माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई है जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलाया है परामर्श के लिए। तो आप स्वयं देखें कि यह सरकार और भारत सरकार कितनी इसमें जागरूक है। जब समय बढ़ाने का समय हुआ तो भारत सरकार ने तीन मर्तबा टाइम बढ़ाया जिसके लिए समिति के चेयरमैन साहब से खुद एकनालेज किया है। इसी प्रकार चार बैठकें हो चुकी हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सरकार उन सिफा-रिशों को दबाना चाहती है या खतम कर देना चाहती है। यह सब फारमैलिटीज हैं उनको पूरा करने में समय लगता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य दलगंजन सिंह जी को बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप उनका नाम जरूर ले लें।

श्री अम्मार रिजवी--

उनके नाम के बगैर तो जैसे खाने में नमक मिर्च के बगैर मजा नहीं आता उसी तरह डिवेट में उनके नाम आये बिना मजा नहीं आता।

श्री शंकर सिंह--

मेरे दिल का हाल कोई पूछता नहीं, लोग कहते हैं मेरी सूरत बदल गयी।

श्री अम्मार रिजवी--

ऐसा लगता है उन्होंने आइना देख लिया है। तो मान्यवर, यह सारी चीजें विचाराधीन हैं जो माननीय सदस्यों को शंका है मैं उनको विश्वास दिलाता हूं वह दूर कर लें। जो उन्होंने भावनायें व्यक्त की हैं उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और जो सुझाव दिया है कि जल्दी हो जाना चाहिये इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह जो रिपोर्ट है इसको एक्जामिन कराकर हम केन्द्र को भेज देंगे और जो निर्णय होगा वह किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 8 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
24 मार्च, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या--80 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर।)

परिशिष्ट "क"

8--शैक्षिक अर्हतायें : सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हतायें रखता हो :

(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या प्राविधिक संस्था से यांत्रिक अभियन्त्रण में उपाधि (या उपाधि के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई डिप्लोमा), और

(दो) किसी ख्याति प्राप्त आटोमोबाइल कर्मशाला या राष्ट्रीयकृत परिवहन उपक्रम में मोटर गाड़ियों की मरम्मत और उनके अनुरक्षण का तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या शिशुक्षता,

या

(एक) प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राविधिक संस्था का यांत्रिक अभियन्त्रण (आटोमोबाइल अभियंत्रण में डिप्लोमा) या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र।

(दो) या तो इंजनों के पुनर्वलीयन (रिकंडीशनिंग) या आटोमोबाइल (मोटर गाड़ियों) की मरम्मत और उनके अनुरक्षण, टायरों की रिट्टीडिंग या चेसिस पर दोनों ही सम्पूर्ण धातु और मिली-जुली प्रकार (कम्पोजिट टाइप) की बाडी के निर्माण का दस वर्ष

का व्यावहारिक अनुभव, जिसमें से तीन वर्ष सहायक परिवहन अभियन्ता के पद का या उसके समकक्ष किसी उत्तरदायित्वपूर्ण पद का अनुभव होना आवश्यक है।

(तीन) स्वतन्त्र रूप से किसी कर्मशाला को परिचालित करने में सक्षम होना चाहिये।

परिशिष्ट "ख"

1. हाई स्कूल वर्ष 1952।

2. माडर्न गैराज आटो इन्जीनियर्स से दो वर्ष का एपेरिन्टसशिप कोर्स।

3. जनता इन्जीनियरिंग कालेज कर्नाल से 1955 में डिप्लोमा कोर्स।

4. जुलाई 1955 से दिसम्बर 1955 का सार्टीफिकेट कोर्स सेन्ट्रल ट्रेक्टर आर्गनाइजेशन, गवर्नमेंट आफ इण्डिया।

5. गवर्नमेंट आफ इण्डिया मिनिस्ट्री आफ इरीगेशन एण्ड पावर सेन्ट्रल वाटर एण्ड कमीशन से सार्टिफिकेट कोर्स 1957 ।

अनुभव

1. चम्बल प्रोजेक्ट (एम0 पी0) गैराज एवं वर्कशाप में मेकेनिकल चार्जमैन का अनुभव लगभग एक वर्ष।

2. गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्ट्री चुर्क में फोरमैन का अनुभव. . . लगभग 3 वर्ष।

3. (क) डाइमंड माइनिंग प्रोजेक्ट आफ नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट पन्ना में सहायक फोरमेन का अनुभव. . .लगभग 2 वर्ष।

(ख) इन्चार्ज वर्कशाप एण्ड गैराज आफ हैवी एण्ड लाइट ड्यूटी विहीकिल्स का अनुभव. . . लगभग 3 वर्ष।

(ग) आइरन ओर प्रोजेक्ट में इन्चार्ज मैकेनिकल एण्ड इलेक्ट्रकल विंग का अनुभव. . . . लगभग 3 वर्ष।

कुल अनुभव लगभग 12 वर्ष।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—83 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....पर)

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 2-8-82 तक एल0 आई0 जी0 एम0 आई0 जी0 तथा एच0 आई0 जी0 के कुल निर्मित भवनों का विवरण

क्रम सं0	योजना का नाम	कुल निर्मित भवनों की सं0
एल0 आई0 जी0		
1—	विजय नगर	103
2—	उस्मानपुर	126
3—	बर्रा 2, 3, 4, 5	770
4—	रतनलाल नगर	220
5—	जाजमऊ	722
6—	इन्द्रानगर	115
7—	दबौली	187
8—	पनकी गंगागंज	424
		2767
एम0 आई0 जी		
1—	जूही	268
2—	दबौली	314
3—	लखनपुर	126
4—	रतनलाल नगर	151
5—	इन्द्रानगर	124
6—	जाजमऊ	100
7—	पनकी	389
8—	बर्रा भाग 1, 2, 3, 4, 6	450
		1922
एच0 आई0 जी0		
1—	दबौली	60
2—	लखनपुर	19
3—	इन्द्रानगर	40
4—	रतनलालनगर	100
		219

सूची स "ख"

शासनादेश सं0-1003/37-168 (एम0 एच0)/64 दिनांक 19-4-70 के अनुसार सुरक्षा कर्मचारियों के लिए आरक्षण तथा आवंटन का प्रतिशत :—

क्रमांक	नाम योजना	कुल निर्मित भवनों की संख्या	सुरक्षा कर्मचारियों को आवंटन भवनों की संख्या	कुल भवनों में से सुरक्षा कर्मचारियों को आवंटित भवनों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
	एम0 आई0 जी0 भवन			
1—	विजय नगर	103	6	5-82 प्रतिशत
2—	उस्मानपुर	126	9	7-14 ,,
3—	बर्रा भाग-3	130	5	3-85 ,,
4—	रतनलाल नगर	220	—	—
5—	इन्द्रानगर	115	1	-87 ,,
6—	दबौली भाग-1	51	2	3-92 ,,
7—	दबौली	236	3	1-27 ,,
	मध्यम आय वर्ग के भवन			
1—	नौबस्ता जे-3	141	निल	निल
2—	जूही डब्लू/	52	5	9-61 ,,
3—	जे-2 (पी0 ए0 सी0)	29	2	6-9 ,,
4—	जे-2 डब्लू/	36	निल	निल
5—	जूही ब्लाक डब्लू	10	1	10-00 ,,
6—	लखनपुर	126	निल	निल
7—	रतनलाल नगर	151	4	2-65 ,,
6—	इन्द्रा नगर	124	1	-81 ,,
9—	बर्रा भाग-1	50	4	8-00 ,,
10—	बर्रा भाग-2	152	8	5-26 ,,

1	2	3	4	5
एच0 आई0 जी0 भवन				
1—	रतनलाल नगर	100	1	1-00 प्रतिशत
2—	इन्द्रा नगर	40	1	2-5 ,,
3—	दबौली	60	3	5-00 ,,
4—	लखनपुर	19	—	—

सत्यमेव जयते

सूची "ग"

शासनादेश संख्या-4156/37-2-18 मिस/78 दिनांक 24 अगस्त, 1981 के अनुसार सुरक्षा कर्मचारियों के लिए आरक्षण तथा आवंटन

क्रम सं0	योजना का नाम	कुल निर्मित भवनों की संख्या	सुरक्षा कर्मचारियों को आवंटित भवन की संख्या	कुल भवनों में से सुरक्षा कर्मचारियों को आवंटित भवनों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
एल0 आई0 जी0 भवन				
1—	बर्रा भाग-2	166	7	4-21 प्रतिशत
2—	बर्रा भाग-4	190	5	2-63 ,,
3—	बर्रा भाग-5	284	11	3-87 ,,
4—	जाजमऊ	452	18	3-98 ,,
5—	जाजमऊ	270	10	3-70 ,,
6—	पनकी गंगागंज	350	7	2-00 ,,
7—	पनकी गंगागंज	74	3	4-05 ,,
मध्यम आय वर्ग भवन				
1—	दबौली	177	7	3-95 ,,
2—	दबौली	40	2	5-00 ,,
3—	दबौली	97	1	1-03 ,,
4—	जाजमऊ	100	4	4-00 ,,
5—	पनकी (बी-ब्लाक)	120	5	4-17 ,,
6—	पनकी बिनुआपुर	62	2	3-22 ,,
7—	पनकी गंगागंज	88	4	4-55 ,,
8—	पनकी गंगागंज	119	3	2-52 ,,
9—	बर्रा भाग-2	100	4	4-00 ,,
10—	बर्रा भाग-4	24	निल	निल
11—	बर्रा भाग-5	124	5	4-03 ,,

यू0 पी0 प्रिंटिंग प्रेस, इलाहाबाद—68 विधान सभा—5-12-83—(813 प्रतियाँ)